राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ६] द्वितीय विधान सभा के छठे सत्र का दसवां दिवस [संख्या ६

बुधवार, १९ अगस्त, १९५९.

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[गृह, कृषि, सिंचाई, सहकारी, स्वास्थ्य, स्वायत्त शासन, सार्वजनिक निर्माण, ग्राम जल प्रदाय, खाद एवं रसद तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग]

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): I think the Hon'ble Ministers are sitting before the Chair has taken.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न ।

प्रश्न सं० १९३

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

(कृपया-आगे देखिये)

प्रश्न सं० १९४

श्री जगदीश प्रसाद माथुर ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १९५

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित

नगरपालिका चाकसू द्वारा राजकीय हाई स्कूल, चाकसू में कमरे बनवाना

१९६. **श्रीप्रभुलाल पुरोहित**(लालसोट): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजकीय हाई स्कूल, चाकसू में नगरपालिका चाकसू द्वारा कितने कमरे बनाये गये हैं ? क्या वे कमरे अभी तक अधूरे ही पड़े हैं ? यदि अधूरे हैं, तो नगरपालिका चाकसू उन्हें कब तक पूर्ण करायेगी ?

(ख) क्या यह सही है कि डाइरेक्टर लोकल बॉडीज के कार्यालय के निरीक्षक ने उक्त कमरे पूर्ण करवाने में आपत्ति की है ?

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

यदि हाँ, तो उक्त आपत्ति कार्यारम्भ करने से पूर्व ही क्यों नहीं प्रकट की गई ?

(ग) क्या सरकार नगरपालिका चाकसू को अपूर्ण कमरों की दीवारों के चारों ओर प्लास्टर, सफेदी एवं आलमारियों के किवाड़ आदि बनवाने के लिए आदेश देगी ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्री-प्रसाद गुप्ता) : (क) नगर पालिका चाकसू द्वारा तीन कमरे बनवाये गये हैं। उनका थोड़ा सा कार्य ही अब बाकी है।

(ख) नगरपालिका को ऐसे कार्य के लिए राजस्थान टाउन म्युनिसिपेलिटीज एक्ट १९५१ की धारा ५६ (घ) के अन्तर्गत सरकार की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है, ऐसा सुझाव प्रादेशिक निरीक्षक ने अपनी निरीक्षण टिप्पणी में नगरपालिका को दिया था।

(ग) राजस्थान टाउन म्युनिसिपेलिटीज एक्ट १९५१ की धारा ५६ (घ) के अन्तर्गत नगरपालिका की मांग आने पर विचार किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

बांडी घाटी को तोड़ना

१९७. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) ; क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या मेड़ता से वाया भैरूंदा होती हुई पुष्कर जानेवाली बस के रास्ते में आने वाली बांडी घाटी को तोड़ने का सरकार ने आदेश दिया था ?

(२) यदि हां, तो कब और इस कार्य का ठेका किसको दिया गया था ?

(३) उक्त कार्य पूरा हुआ या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां।

(२) दिनांक १६-६-१९५८ को श्री भैरूंसिंह पूनाराम को।

(३) कार्य पूरा हो चुका है व याता-यात के लिए सड़क खोल दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

भाखरा क्षेत्र में भूमिहीनों को भूमि का अलॉटमेंट

१९८. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या भाखरा क्षेत्र में भूमिहीनों को अलॉट की जानेवाली भूमि की एक किश्त पहले लेकर बाद में उनको भूमि अलॉट की जाती है और जिस भूमिहीन ने पहले किश्त नहीं भर पाई है उसको भूमि से वंचित ही रहना पड़ता है ?

(२) क्या भाखरा में सभी किसानों से पहले एक एक किश्त ली गई है ? यदि नहीं, तो फिर भूमिहीनों से क्यों ली जा रही है ?

Page No.3

श्री उपाध्यक्ष : It seems the reply has not been received.

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : यह प्रश्न राजस्व विभाग से सम्बन्धित है अतः राजस्व मन्त्री अपनी टर्न पर जवाब देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : It will be replied lateron.

प्र० सं० १६६

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल।

अनुसूचित जाति के पंचों का मनोनयन (तहसील नोखा)

•२००. **श्री गिरधारी लाल** (नोखा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील नोखा में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सभी ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति का कोई भी पंच निर्वाचित नहीं हुआ है ?

(ग) उक्त पंचायतों में हरिजन सदस्यों को अभी तक नामजद क्यों नहीं किया गया है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) २५ ग्राम पंचायतें हैं।

(ख) जी नहीं। १० ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति के सदस्य निर्वाचित हुए हैं।

(ग) प्रश्न नम्बर (ख) के उत्तर में अंकित १० पंचायतों में नामजदगी की जरूरत नहीं। एक पंचायत में नामजदगी कर दी गई है। ४ पंचायतों के केस विचाराधीन हैं। शेष १० ग्राम पंचायतों से मांग न आने के कारण नामजदगी नहीं की गई।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): ४ नामजदगी करने के लिए कब से विचाराधीन **है ?**

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी थोड़े ही दिनों से आया है वह विचाराधीन है।

श्री मुरलीधर व्यास : कितने दिन हुए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि थोड़े दिन से आये हुए हैं। तारीख तो मेरे पास नहीं है। लेकिन जल्दी हो जायेगा।

श्री गिरधारीलाल: विचाराधीन कितनी पंचायतों के हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी ४ पंचायतों के नाम हैं मेरे पास।

श्री मुरलीधर व्यास : पंचायतों के चुनाव कब हुए थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चुनाव की तारीख इस समय नहीं है, चुनाव अप्रेल, मई में हुए हैं।

श्री गिरधारीलाल : क्या यह सही है कि १४ पंचायतों में हरिजनों को नोमिनेट कर

Page No.4

(श्री गिरधारीलाल)

दिया था? ४ दिन पहले बाकी पंचायतों में हरिजनों को नोमीनेट किया गया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऑर्डर इश्यू नहीं हुआ है इसलिए कह रहा हूँ कि विचाराधीन है।

श्री गिरधारीलाल : १४ के लिए नहीं मैं ४ के लिए कहता हूं कि इन ग्राम पंचायतों में ४ दिन पहले हरिजनों को नोमिनेट किया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं कहता हूं कि आपको जानकारी ज्यादा होगी। मेरे पास जानकारी यह है। अगर हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर इश्यू हो जायगा।

श्रीउपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

बीकानेर वेटरनरी कॉलेज

२०१. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजस्थान वेटरनरी कॉलेज, बीकानेर के प्रिन्सिपल का कार्य तथा राजस्थान पशु पालन विभाग, जयपुर के संचालक का कार्य एक ही व्यक्ति कर रहे हैं? यदि हाँ, तो कृपया बतावें कि वे हर माह बीकानेर कितने दिन रहते हैं?

(ख) क्या अन्य किसी प्रान्त में भी इस प्रकार डाइरेक्टर व प्रिंसिपल एक ही व्यक्ति काम करता है जबकि उनके हैड क्वार्टर्स अलग अलग जगह हों?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हाँ। सरकार के आदेशानुसार जैसे जैसे तथा जितने दिन जरूरत होती है संचालक, पशुपालन विभाग राजस्थान बीकानेर वेटरनरी कॉलेज जाते

श्री मुरलीधर व्यास : बहुत धड़ाके के साथ पढ़ रहे हैं, धीरे पढ़िये।

श्री नाथूराम मिर्धा : (ख) इसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : जो संचालक, विभाग वहाँ जाते हैं और प्रिन्सिपल का काम करते हैं, क्या इस प्रकार और इलाकों में एक व्यक्ति दो काम करता है?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा इसकी जानकारी नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : प्रश्न पूछा था, इसकी जानकारी क्यों नहीं की गई?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई जानकारी करने की आवश्यककता नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : आवश्यकता नहीं है, यह जवाब नहीं है। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि क्यों आवश्यकता नहीं है? मैं पूछता हूँ इस प्रकार की बात और इलाकों में है, आप कहते हैं कि आवश्यकता नहीं है जानकारी करने की। प्रश्न का जवाब आना चाहिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : दूसरे जिस तरह करते हैं उसी तरह अपन करें, यह जरूरी नहीं है।

Page No.5

श्री मुरलीधर व्यास : क्या हिन्दुस्तान में कोई ऐसा प्रान्त है जहाँ इस प्रकार एक आदमी दो काम करता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं कहता हूँ कि इसकी इन्फॉर्मेशन मंगाई नहीं। जानकारी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सब जगह ऐसा करें, यह जरूरी नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : यह डाइरेक्टर जो हैं, वे प्रोफेसर ऑफ मेडिसन हैं वहाँ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हाँ, पढ़ाते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : क्या उसके लिए २०० रुपये मिलते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि साल भर में एक भी क्लास नहीं ली है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी नहीं, यह सही नहीं है ?

श्री पी० के० चौधरी : कितनी क्लास ली है, यह बता दीजिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उन्होंने कुल ४७ लेक्चर दिये हैं।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह बात सही नहीं है कि डाइरेक्टर के इक्वल क्वालिफिकेशन रखने वाले प्रिंसिपल के काबिल दूसरे लोग इस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, जिनको प्रिन्सिपल रखा जा सकता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं अभी नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : यह बात सही नहीं है कि डॉ० राठौर और डॉ० मोहनसिंह हैं They possess qualifications to be a director and disqualifications for the post of Principal ?

श्री नाथूराम मिर्धा : डॉ० मोहनसिंह की क्वालिफिकेशन है, तजुर्बा नहीं कि प्रिन्सिपल बना दिया जाय। इसलिए ये दोनों काम कर रहे हैं। फिर काम करने का मौका मिलता है। जब थोड़े दिनों बाद मेचोरिटी इस काबिल होगी तब विचार करेंगे।

श्री पी० के० चौधरी : डॉक्टर राठौर अमेरिका के डॉक्टर ऑफ वेटरनरी नहीं हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वे हैं और डिप्टी डाइरेक्टर का काम कर रहे हैं।

श्री पी० के० चौधरी : एक्सपीरियन्स नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : डॉक्टर हांडा, जो डाइरेक्टर हैं, वे पंजाब में प्रिन्सिपल ही नहीं, डाइरेक्टर भी रह चुके हैं। वे आज प्रिन्सिपल और डाइरेक्टर हैं। डाइरेक्टर ऑफ पशुपालन विभाग का काम करने के अलावा उन्हें प्रिन्सिपल का काम भी सौंपा गया है। वे कुछ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। वे वेटरनरी कॉलेज भी चलाते हैं और विभाग का काम भी चलाते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है...

Page No.6

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री पी० के० चौधरी : Is he not qualified to be a Principal ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : (उनियारा) क्या एक आदमी दो जगह काम करता है यह इकॉनोमिकल है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इकॉनोमिकल है तभी तो।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या जो व्यक्ति तीन जगह काम करता है, वह रिटायर्ड है और उसके बाद भी दो जगह काम करता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां करता है, तीन काम करता है।

श्री मुरलीधर व्यास : अगर तीन काम करता है तो रिजल्ट पहले से अच्छा हुआ है या खराब हुआ है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रिजल्ट कम्पेरिवटेली सारी युनिवर्सिटी को देखते हुए वेटरनरी कॉलेज का अच्छा रहा है। वहां के लड़के छः माह में दूसरा इम्तिहान देते हैं उसकी वजह से पर्सेन्टेज पिछली साल के बराबर नहीं रहा।

श्री मुरलीधर व्यास : जब प्रिंसिपल अलग थे, तब रिजल्ट अच्छा था और अब तीन काम करते हैं इसके कारण रिजल्ट बिगड़ा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई रिजल्ट बिगड़ा नहीं है। सब काम संतोषजनक है।

श्री मुरलीधर व्यास : पहले क्या पर्सेन्टेज था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह अलग प्रश्न है।

श्री मुरलीधर व्यास : फिर कैसे जवाब देते हैं कि रिजल्ट अच्छा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वेटरनरी कॉलेज में प्रगति आई है और रिजल्ट अच्छा रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं पूछता हूँ कि पहले रिजल्ट और अबके रिजल्ट के आधार पर क्या यह नहीं कह सकते कि रिजल्ट बिगड़ा है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अलग से नोटिस देकर प्रश्न पूछिये, मैं बता दूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कहा था कि काम अच्छा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मेरी जानकारी है। मैं विभाग चलाता हूं मुझे पता है इसलिए कहा है।

श्री पी० के० चौधरी : पहले इस कॉलेज का रिजल्ट ७० पर्सेन्ट था अब यह ५० पर्सेन्ट रह गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पर्सेन्टेज के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए नहीं कह सकता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

Page No.7

ग्राम नीमड़ी कोठरिया और नीमड़ी कलां के लिए अलग अलग पंचायतें (डेगाना)

२०२. **श्री लक्ष्मी चन्द** (आंसोर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि डेगाना तहसील के ग्राम नीमड़ी कोठरिया और नीमड़ी कलां की अलग पंचायतें बनाई जा रही हैं ?

(२) यह सही है कि उपरोक्त गांवों के लोगों ने पंचायत मॉडल जोधा के अन्तर्गत ही रहने की सरकार से मांग की है ?

(३) यदि हां, तो फिर किस आधार पर सरकार उन्हें अलग कर रही है ?

स्वाययत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) विचाराधीन है ।

(२) जी हां ।

(३) विचाराधीन है अतः प्रश्न नहीं उठता ।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या विचाराधीन है, यह अलग की जायगी या मॉडल पंचायत में रखी जायगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ५ हजार से ऊपर की पंचायतें हैं उनको छोटा बनाने के लिए केस कमिश्नर को दिया गया है और कमिश्नर का प्रस्ताव आने के बाद विचार किया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा ।

इ. एस. आई. लिमिटेड, रामगंज मंडी में सुरंग लगाते समय दुर्घटना

२०३. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा—सु.) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि कुछ समय पूर्व ई. एस. आई. लिमिटेड, रामगंज मंडी की लापरवाही से सुरंग लगाते समय श्री मोतीलाल तश्करी का पैर टूट गया, उसका लड़का मर गया तथा ४,५ आदमियों को चोटें आई ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त घटना का कारण बारूद भरनेवाले का ट्रेन्ड न होना तथा मेरे हुए बारूद को ठोकने के लिये ताँबे के औजार की व्यवस्था न होना था ?

(३) यदि हाँ, तो पुलिस ने जाँच के समय उक्त कारणों पर विचार किया ? यदि हाँ तो जाँच का क्या परिणाम रहा ?

गृहमंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हाँ । श्री शंकर पुत्र बैजनाथ उसका लड़का मदन व अन्य ५ मजदूरों के चोटें आई थीं । मदनलाल शफाखाने में मर गया । लेकिन मोतीलाल तश्करी घायल नहीं हुआ था ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां । जाँच करने के बाद पुलिस ने एक इस्तगासा संचालक ई. एस. आई. कम्पनी के विरुद्ध धारा ७६ के खानों के कानून के अन्तर्गत अदालत एस. डी. एम. में पेश किया है जो अदालत में विचाराधीन है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी ।

Page No.8

श्री रामस्वरूप, सरपंच गुढ़ा के विरुद्ध आरोप

२०४. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister Incharge of Rural Water Supply be pleased to state:—

1. It is correct that a sum of Rs. 2,000 was advanced by 'Jal Board' to one Shri Ramswarup, Sarpanch, Gudha, for construction of a drinking water well in the village Daulatpura, Tahsil Bundi. Is it also correct that Sarpanch has further collected an amount of. Rs. 1,000/- from the villagers for the construction ?

2. Is it correct that on complaints received from the villagers it has been found that the actual expenditure incurred for the construction of the well was Rs. 1,800/- only.

3. Is it correct that the Sarpanch Shri Ramswarup was arrested by the Anty Corruption Department for submission of a fabricated account for the expenditure of Rs. 3,000/- to the Jal Board and has been set at liberty on a bail of Rs. 5,000/- .? If so, on what date the arrest was made, when he was released ? What are the specific charges against him and why no prosecution has been started against him. ¿

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हाँ।

(२) एग्जेक्ट अमाउन्ट का पता नहीं है कि कितना खर्चा हुआ।

(३) जी हाँ। दिनांक १५. ८. १६५८ को गिरफ्तार हुए और दिनांक १६-८-१६५८ को जमानत पर आजाद हुए। हिसाबात में रद्दोबदल करने एवं रकम का दुरुपयोग करने के आरोप हैं।....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : चौथा कैसे है ?

श्री उपाध्यक्ष : चौथा नहीं है। चौथा आपके अन्दर है।

श्री पी० के० चौधरी : बता दीजिये। Let him say-

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अपने क्वेश्चन को अमलगमेट कर दिया है, मेरे पास चार है it is a part of that.

श्री पी० के० चौधरी : उसके खिलाफ अभी तक केस क्यों नहीं चलाया जा रहा है ? why he has not been proescuted uptill now ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट को मामला हमने भेज दिया था।

श्री पी.के. चौधरी : एन्टी करप्शन ने केस करने की पर्मिशन मांगी थी, अभी तक पर्मिशन नहीं दी गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा मालूम होता है कि पर्मिशन का मामला विचाराधीन है।

श्री पी. के. चौधरी : कब तक विचाराधीन रहेगा, आज छः महीने हो गये। Since when you have taken under consederation and when you want to fnialise it ?

Page No.9

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसकी पर्मिशन का मामला विचाराधीन है। यह केस पेचरी-केट किया गया है इसलिए उसको देखा जा रहा है।

श्री पी. के. चौधरी : कब तक उसको फाइनल करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बहुत जल्दी हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

राजकीय अनाज के व्यापार की योजना

२०५. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार ने राजकीय अनाज के व्यापार के सम्बन्ध में अपनी पूर्ण योजना बनाली है ?

(२) राज्य से कौन कौन से अनाज की निकासी की छूट है व किसी अनाज की निकासी बन्द की गई है ?

(३) क्या सरकार जो अनाज राज्य से बाहर जाता है उसका लेखा-जोखा रखती है व राज्य की आवश्यकता के अनुसार अनाज का राज्य में सुरक्षित रखने का प्रबन्ध करती है ?

खाद्य एवम् रसद मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां, योजना बनाई गई है।

(२) केवल गेहूं की निकासी पर रोक है।

(३) क्योंकि सिवाय गेहूं के दूसरी चीजों पर बाहर जाने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है उनके बाहर जाने का कोई लेखा नहीं रखा जाता।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : यह जो योजना बनाई है, वह क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स प्रोक्योरमेंट की योजना है।

श्री पी. के. चौधरी : आज तक कितना अनाज इकट्ठा हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अलग क्वेश्चन है।

श्री पी. के. चौधरी : अलग नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय It is a vital question connected with the original question.

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास : अनाज के सम्बन्ध में जो योजना आपने बनाई वह किस प्रकार की बनाई है, उसकी नीति बता दीजिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपका यह प्रश्न है कि क्या सरकार ने राजकीय अनाज के व्यापार के सम्बन्ध में अपनी पूर्ण योजना बना ली है ! मैंने कहा है 'जी हां' योजना बनाई गई है'। अगर आप डिटेल्स पूछते तो मैं बता देता। वैसे मैंने अर्ज किया है कि डिफरेन्ट डिस्ट्रिक्ट्स से सरप्लस अनाज खरीदने की स्कीम है।

श्री पी. के. चौधरी : इस अनाज का क्या करते हैं ? प्रोक्योरमेंट करके क्या करते हैं, जला देते हैं या क्या करते हैं ? आप बफर स्टॉक बनाते हैं क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बफर स्टॉक बनाने की स्कीम है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : आपने योजना बनाई अनाज खरीदने की तो इस स्टेट ट्रेडिंग की योजना बनाने का क्या कारण था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब कमी आती है तब अनाज सप्लाई कर सकें।

श्री श्रीभानसिंह : तो यह माना जाय कि राजस्थान में एक्स्ट्रा अनाज होता है; सरप्लस मौजूद है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : राजस्थान में सरप्लस अनाज जरूर है। यह ठीक है कि राजस्थान में सरप्लस अनाज है।

श्री श्रीभानसिंह : यह योजना....

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री श्रीभानसिंह : I think I caught the eye to the Hon'ble chair before the Hon'ble member'

श्री उपाध्यक्ष : It is not a question of catching an eye but it is a ques' tion of preference.

श्री श्रीभानसिंह : I think the Hon'ble member has exrcised this preference twice.

श्री उपाध्यक्ष : He is still exercising

श्री मुरलीधर व्यास : यह जो आपने कहा कि इस प्रकार प्रोक्योर करने का हर डिस्ट्रिक्ट में किया है यह केवल उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए, यह नीति रखी है। अगर हर डिस्ट्रिक्ट के लिए है तो राजस्थान के अन्य भागों से कितना अनाज लिया गया ? इस प्रकार से जिलों में जो माल खरीदते हैं तो उसका आधार सरकार खुद लेगी और वहां से बाहर नहीं जा सकता है, क्या इस प्रकार की घोषणा गंगानगर में की गई थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने जो सवाल पूछा है उसका मुलाहिजा कर लें। अब आप डिटेल्स कैसे पूछ रहे हैं ? डिटेल्स में पूछेंगे तो अर्ज कर दूंगा।

श्री पी० के० चौधरी : एक ब्रोड पालिसी पूछते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में इकट्ठा किया है उसको स्टोर कहां किया है ? उसी डिस्ट्रिक्ट में रख दिया है या कोई सेंट्रल पूल में रख दिया है ? उसको इकट्ठा किया है, उसको एक्सपोर्ट करते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी भी जिस डिस्ट्रिक्ट में किया है वह वहां एक जगह कायम है ऐसे ही दूसरा राजस्थान में स्टोर करना चाहते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : क्या मन्त्री महोदय इस चीज को बताने की पोज़िशन में हैं कि स्टेट ट्रेडिंग की वजह से राजस्थान में प्राइस कन्ट्रोल हुआ या नहीं ? आप प्राइसेज़ को नीचे ला सके या नहीं ला सके ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह प्राइसेज़ जो स्टेट ट्रेडिंग के पहले भी थीं। वह अब

Page No.11

(श्री पी. के. चौधरी)

कुछ कम है। जब स्टेट ट्रेडिंग के लिए चना खरीदा गया था गंगानगर में चने के भाव अब उससे चने के भाव कम हैं। गेहूं की प्राइसेज़ पहले जैसी थी वैसी अब भी है। टू कन्ट्रोल कि प्राइसेज़ यानि जब प्राइसेज़ राइज़ हो, तब के लिए स्टोर कर रखा है कि सप्लाई करके मार्केट को कन्ट्रोल में रख सकें।

श्री मुरलीधर व्यास : गेहूँ के संबंध में ही खास तौर से बात थी कि राजस्थान के अन्दर का गेहूँ बाहर नहीं जा सकता था। इसका लक्ष्य यह है कि राजस्थान में गेहूं के अन्दर भाव कम हों, परन्तु क्या उस आधार पर भाव कम हुए ? जिस नीति को आपने अख्त्यार किया है उससे भावों में कमी आई या नहीं

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि आपको मालूम है कि स्टेट ट्रेडिंग की वजह से बाहर जाने पर जो रोक लगाई थी गेहूँ पर उसका मतलब यह नहीं था कि प्राइसेज़ डाउन हो जायेंगी बल्कि यह था कि राजस्थान के बाहर गेहूँ चला जाता था जैसा पिछली दफा में बहुत मांग थी और हमने सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से एप्रोच किया कि गेहूं यहां का बाहर नहीं जाना चाहिए और केन्द्रीय सरकार ने बात मान ली और उसके मुताबिक हम कर रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह माना जाय कि गेहूँ के भाव सराकर की नीति के कारण बढ़े हैं ? क्योंकि सरकार गंगानगर के अन्दर १६, १७ रु० फी मन के भाव से गेहूं खरीदते हैं उसको आप १४)रु० मन में खरीदते हैं तो उनको घाटा होता है और बीकानेर और दूसरे स्थानों में भेजेंगे तो ज्यादा लगेगा। उसके भाव बढ़ने का कारण सरकार है क्योंकि सरकार का नियन्त्रण नहीं है किसी तरह का। भाव बढ़ने का कारण सरकार की नीति है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह बात गलत है कि सरकार की नीति के कारण प्राइसेज बढ़ी हैं। अभी कोटा में प्रोक्योर नहीं किया गया और दूसरे सब डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू नहीं हुआ है वहां के बारे में क्या जवाब है ?

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सरकार यह मानती है कि भाव बढ़े या नहीं सरकार की इस नीति के कारण से ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : भाव बढ़े नहीं हैं जैसे हैं वैसे ही हैं।

श्री पी.के. चौधरी : क्या यह बात सही है कि अनाज जो खरीदा गया है, प्रोक्योर किया गया है तथा आपके गोडाउन की केपेसिटी नहीं होने की वजह से व्यापारियों के पास पड़ा हुआ है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारे गोडाउन में है गवर्नमेंट के। जहां पर प्राइवेट गोडाउन्स हैं वे भी हमने ले लिये हैं इसलिए व्यापारियों के पास रखने का सवाल नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या यह सही है कि धौलपुर, भरतपुर के अन्दर आपके खरीदने से गेहूं के भाव बढ़े हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास जानकारी नहीं है।

प्रश्न संख्या २०६।

Page No.12

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री मूलचन्द डागा ।

पाली तहसील में लघु सिंचाई योजनाएँ

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पाली तहसील में आज तक कौन कौन सी लघु सिंचाई योजनाएँ पूरी हो चुकी हैं ?

(ख) किस किस का सर्वे व इन्वेस्टीगेशन बाकी है और किन योजनाओं के लिए सरकार द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेन्क्शन मिल चुकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): (क) पाली तहसील में लघु सिंचाई की कोई योजना सिंचाई विभाग द्वारा कार्यान्वित नहीं की गई है ।

(ख) निम्नलिखित तीन योजनाओं का सर्वे का कार्य अभी बाकी है ।

(१) बांडी का नहरा

(२) राणा का तालाब

(३) मिटड़ी नदी

निम्नलिखित योजनाओं की एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल दी जा चुकी है :

(१) दाँतीवाड़ा

(२) मनियारी

(३) खसड़ी

(४) रेस्टोरेशन ऑफ दी नीमली ब्राह्मणी ।

श्री मूलचन्द डागा : मनियारी क्या पाली तहसील में है ?

श्री रामकिशोर व्यास : डिस्ट्रिक्ट में है ।

श्री मूलचन्द डागा : सर्वे और इन्वेस्टीगेशन को हुए कितना अर्सा हो चुका है ?

श्री रामकिशोर व्यास : टाइम की इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : कितना कुछ हो चुका है ? आज तक क्या हुआ है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा कि कुछ एप्रूव्ड हो गये हैं । उसमें टेन्डर इन्वाइट किये गये हैं । टेन्डर्स हाई आये इसलिए दूसरी बार इन्वाइट किये गये ।

श्री मूलचन्द डागा : खाड़ी में कब काम शुरू हुआ है अन्दाज से बता दें ?

श्री रामकिशोर व्यास : तारीख अर्ज करना मुश्किल है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरवलाल 'काला बादल' ।

कोटा भाटापाड़ा के कोली पड़े में नल लगाना

२०८. **श्री भैरवलाल 'काला बादल'** (अकलेरा-सु-डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर)

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

द्वारा पूछा गया) ; क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

कोटा माटापाड़ा के कोलीपाड़े में नल लगाने की जनता द्वारा बार बार माँग की जाने पर भी वहां नल क्यों नही लगाया गया?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : इसके लिए म्युनिसिपल बोर्ड को कहा जा रहा है ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : कब कहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि कहा जा रहा है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : कह दिये जाने में कितना समय लगेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ज्यादा समय नहीं लगेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरण सिंह ।

शाहपुरा-कोटपुतली रूट पर तारकोल डालना

२०६. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या शाहपुरा–कोटपुतली रूट के कुछ भाग पर ही पिछले वर्ष तारकोल डाली गई ? यदि हां, तो बचे हुए खराब टुकड़ों पर न डालने का क्या कारण है ?

(२) क्या सरकार को विदित है कि भावरू से कोटपुतली तक डामर की कमी के कारण सकड़ प्रायः नष्ट हो गई है ?

(३) क्या इस समय मामूली खर्चे से होने वाले कार्य में देरी करने से बाद में अधिक खर्चा नहीं करना पड़ेगा ?

(४) राष्ट्रीय मार्ग का कार्य कब से चालू हो जायेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

(२) कुछ मीलों में रोड़ी निकल आई है ।

(३) कोई विशेष अन्तर नहीं होगा ।

(४) भारत सरकार से स्वीकृति होने पर।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही है कि बजट में जो टुकड़ा शाहपुरा से कोटपुतली तक का है वह एक साथ बनी थी । उसमें कुल १८ मील पर तारकोल डाल दिया गया था उसकी मरम्मत नहीं की गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : लास्ट ईअर तारकोल डाला ही नहीं । कुछ मील में रोड़ी निकल आई है यह ठीक बात है । उसकी मरम्मत नहीं हो सकी क्योंकि यह नेशनल हाई वे वाला सेक्शन है । उसके एस्टीमेट वगैरह तैयार हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मामला अन्डर कन्सीडरेशन है । मन्जूर हो जायेगी तो काम शुरू कर दिया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

Page No.14

सरकारी डॉक्टरों द्वारा ड्यूटी आवर्स में बीमारों को देखने के लिए उनके मकानों पर जाना

२१०. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकारी डॉक्टर अपनी ड्यूटी आवर्स में बीमारों को उनके मकानात पर देखने जा सकते हैं ? यदि हाँ, तो किन किन हालतों में ?

(ख) क्या सरकार द्वारा डॉक्टर्स की विजिटिंग फीसबंधी हुई है ? यदि हां, तो किन श्रेणी के डॉक्टरों की कितनी कितनी फीस है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) सरकारी डॉक्टर अपनी ड्यूटी आवर्स में केवल ऐसे बीमारों को मकानात पर देखने जा सकते हैं जिनकी हालत चिन्ताजनक हो अन्यथा नहीं।

(ख) जी हाँ, निर्धारित फीस की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई।

[कृपया परिशिष्ट १ देखिए]

प्रश्न संख्या २११

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल मोदी।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या २१२

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए) :

श्री मोगजी भाई।

ग्राम गामड़ी में अरनोद पुलिस द्वारा अफीम की बरामदगी

२१३. श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा): क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या प्रतापगढ़, तहसील अरनाग के ग्राम गामड़ी में अरनोद पुलिस ने अफीम बरामद की थी ? यदि हां, तो किसके मकान में और कितनी और कौन व्यक्ति उस मामले में पकड़े गए थे ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त मामले को प्रतापगढ़ अदालत में पेश किया गया था ? अगर हाँ, तो उस मामले के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जिला चित्तौड़ के ग्राम गामड़ी में कोई अफीम बरामद नहीं हुई।

(२) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

श्री मोगजी भाई : क्या यह सही है कि अफीम पकड़ कर अदालत में पेश की गई थी वह गुड़ बताया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : किसी और जगह का होगा उस जगह का नहीं है।

प्रश्न संख्या २१४

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

श्री मोगजी भाई।

बांसवाड़ा में शासकीय कर्मचारियों को वेतनवृद्धि नहीं दिया जाना

२१५ **श्री मोगजीभाई** (बांसवाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि गत वर्ष माह अक्तूबर, ५८ से शासकीय कर्मचारियों को वेतन में ५ रु० वृद्धि की गई थी ?

(२) बांसवाड़ा सार्वजनिक निर्माण विभाग के गेंगमैन और बेलदारों को अब तक वह वेतन वृद्धि नहीं दिये जाने का क्या कारण है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां।

(२) जिन मजदूरों का सेवा काल ता० १-१०-५८ को २ वर्ष या इससे अधिक हो गया है उनको दे दिया है और बाकी जो रह गये हैं उनके लिये कार्यवाही जारी है।

श्री मोगजी भाई : अब तक जो बाकी रह गये हैं उनको कब दिया जायेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : काफी लम्बी तादाद है। हमारी तरफ से जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री मोगजी भाई : अब तक नहीं दी जाने का क्या कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : काफी लंबा चौड़ा स्टाफ है। हिसाब-किताब कर रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर-सिटि) : स्टाफ तो लंबा-चौड़ा है लेकिन गरीबों को अब तक नहीं दिया जा रहा है इसका क्या कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जिनको नहीं दिया गया है उनको एक साथ दे दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूलाल करोल।

पंचायत विदरखा (लालसोट) का हिस्सों में बांटा जाना

२१६. **श्री नाथूलाल करोल** (लालसोट-सु) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि तहसील लालसोट, जिला जयपुर में पंचायत विदरखा बड़ी होने के लिहाज से उसको २ हिस्सों में बांट दिया है और पंचायत का दूसरा केन्द्र कायम होने के लिये ग्राम सिन्दोली घोषित हो चुका है ?

(ख) क्या यह सही है कि ग्राम सिन्दोली में जो पंचायत का केन्द्र कायम किया जा रहा है उसके खिलाफ ग्राम सोनड़ के ग्रामवासियों का प्रार्थना-पत्र सरकार के पास आया है कि पंचायत केन्द्र ग्राम सोनड़ में होना चाहिये ?

(ग) यदि हां तो यह सरकार के पास कब आया और इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी नहीं। अभी तक दो

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

हिस्सों में बांटा नहीं गया बल्कि बांटने के लिए आपत्तियां माँगने हेतु सूचनापत्र जारी किया गया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) जून तथा अक्तूबर १६५८ को प्राप्त हुए जो विचाराधीन हैं ।

श्री नाथूलाल करोल : आपने यह कहा कि बांटा नहीं गया लेकिन क्या इसका गजट नोटिफिकेशन नहीं हो चुका है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी तक तो ऐतराज मांगे हैं, फाईनल ऑर्डर अभी तक नहीं हुआ है ।

श्री नाथूलाल करोल : सिन्दोली के लोगों का प्रार्थना-पत्र आया था कि पंचायत का केन्द्र सिन्दोली में होना चाहिये उनको आपने कौन सी डेट बतलाई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सोनड के निवा-ने जून १६५८ में आपत्ति उठाई थी ।

श्री नाथूलाल करोल : अब तक फाईनल क्यों नहीं हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जिन्होंने अलग के लिये प्रस्ताव रखा था कि अलग कर दिया जाय उनके बारे में दुबारा कलेक्टर से रिपार्ट मांगी गई है और यह पूछा गया है कि क्या करना चाहिये ।

(प्रश्न संख्या २१७)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हुकमसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री ज्ञानचंद मोदी ।

ग्राम पंचायतों द्वारा सांड रखने की व्यवस्था को अनिवार्य करना

२१८. **श्री ज्ञानचंद मोदी** (नीमका थाना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार पशु धन की अभिवृद्धि और कृषि की उन्नति हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा सांड रखना अनिवार्य करने की की व्यवस्था करेगी ?

स्वायत शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : पंचायत समिति व जिला परिषद् बिल में यह प्रावधान है कि पंचायत समितियां यह काम अनिवार्य रूप से करेंगी । पंचायतों के लिये यह कार्य अनिवार्य रूप से करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर-सिटी) : क्या इस प्रकार का आदेश दे दिया है कि वे अनिवार्य रूप से सांड रखें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पंचायत समिति और जिला परिषद् बिल में यह रखा है ।

प्रश्न संख्या २१६

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २२०

श्रीमती गंगादेवी डाटा ।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)
श्री हुकमसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

डॉ० बहादुरसिंह ।

आयुर्वेद विभाग में पदवृद्धि के नियम

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) आयुर्वेद विभाग में पदवृद्धि के नियम हैं ? वैद्यों का श्रेणी विभाजन वेतन के स्तर के दृष्टिकोण से किया जाता है या योग्यता के आधार पर ?

(२) उत्तर प्रदेश के ए. एम. एस., बी. आई. एन. एस. आदि उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को सरकार अपने यहाँ किस श्रेणी में नियुक्त करती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) आयुर्वेद विभाग में पदवृद्धि के समय समान योग्यता होने की परिस्थिति में वरिष्टता (सीनियोरिटी) की प्राथमिकता रखी जाती है। परन्तु भिषगाचार्य एवं तत्तुल्य योग्यता एवं विशिष्ट अनुभव के आधार पर अस्थायी पदोन्नति (प्रमोशन) देने का निर्णय भी कभी कभी कार्य सुचारु रूप से चलाने की दृष्टि से किया जाता है। स्थायी पदोन्नति के लिए राजस्थान जनसेवा आयोग द्वारा ही उचित निर्णय लिया जाता है और योग्यतम व्यक्तियों की पदोन्नति, ५० प्रतिशत तक वरिष्टता एवं शैक्षणिक योग्यता की दृष्टि से जनसेवा आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर सरकार से कराने की व्यवस्था की जा सकती है।

(२) उत्तर प्रदेश के ए. एम. एस. तथा बी. आई. एम. एस. परीक्षार्थियों को आरम्भ में सी श्रेणी में ही नियुक्त किया जाता है। अध्यापन आदि में विशेष योग्यता होने की परिस्थिति में प्रवक्ता पदों पर जो ए. श्रेणी के समकक्ष हैं सीधी नियुक्ति भी की जा सकती है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या सरकार को मालूम है कि हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस की ए. एम. एस. और उत्तर प्रदेश की बी. आई. एम. एस. का ५ वर्ष का कोर्स है उसको आप सी. क्लास में रखते हैं और अपने यहां की डिग्री जिसको दूसरे स्टेट्स नहीं मानते हैं उनको ए. या बी. में रखते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दोनों को समान रखते हैं। हमारे यहां राजस्थान में भी ५ वर्ष लगते हैं और दूसरी जगह यू. पी. आदि में भी इतने ही वर्ष लगते हैं।

डॉ० बहादुर सिंह : आपने कहा न कि सी. में रखते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सब को एक ही श्रेणी में शुरू में रखते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या ए. एम. एम. और बी. आई. एम. एस. पास लोग अब भी सी. श्रेणी में है ?

श्री बद्रीप्रसा गुप्ता : शुरू में जब इन्टीग्रेशन हुआ तब जो जैसे अस्पताल में काम करता था उसके हिसाब से ए., बी. या सी. श्रेणी में रखा गया। अब पब्लिक सर्विस कमिशन क्वालिफिकेशन के आधार पर सलेक्शन करता है।

डॉ० बहादुरसिंह : शुरू से जो नौकर हैं उन्होंने कौन सा गुनाह किया था जिसके

(डा० बहादुरसिंह)

कारण उनको सी. में रखा गया और नयों को ए. में रखा गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : फाईनल सलेक्शन पी. एस. सी. द्वारा किया जाता है। इन्टीग्रेशन के समय जो जिस जगह काम करता था उसके आधार पर रखा गया।

डॉ. बहादुरसिंह : आखिर आपके सामने कोई क्राइटेरिया तो होगा, ए. एम., एस. बी. आई. एम. एस, या भिषगाचार्य को किस में लेना चाहिये, इस बारे में पी. एस. सी. के सामने भी तो कोई क्राइटेरिया होगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इन्टीग्रेशन के समय जो जिस जगह काम करता था उसको देखते हुए उसको उसी श्रेणी में रक्खा गया अब सी. श्रेणी में भर्ती करते हैं और आगे बी. और ए. में प्रमोशन देते हैं।

डॉ. बहादुरसिंह : पहले सबको सी. में रखा जाता है यह कौनसा नियम है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह ऐसा ही नियम है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

बारलूथ से आगे सिरोही-बागरा सड़क का निर्माण

२२४. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Minister for Public Works Department be pleased to state:—

1. Whether the Government contemplates to take in hand the construction of Sirohi-Bagra road from Barlooth onwards ?

2. If so, when this work is to be taken in hand.

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (नाथूराम मिर्धा) : 1. No.

2. Question dose not arise.

श्री मोहब्बतसिंह : Is it not in the Second Five Year Plan ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सिरोही-बागरा की सीधी सड़क बरलूथ होकर बनाने की आवश्यकता नहीं है। न सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान में इसे रखा गया था और न थर्ड में रखने का विचार है। क्योंकि सिरोही कालन्दरी से सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है और कालन्दरी से बनड़ी तक सड़क बढ़ाई जा रही है इसलिए यह अपने आप जुड़ जायेगा और यह प्रोजेक्ट १९६० में पूरा हो जायेगा।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या थर्ड फाइव ईयर प्लान बन चुका है ? जिससे आप कहते हैं कि इस सड़क को नहीं लिया जायेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह रास्ता तो मार्च, ६० तक ही कनेक्ट हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री तेजमल बापना।

डिस्पेन्सरियों तथा आयुर्वेदिक औषधालयों का खोलना

२२५. **श्री तेजमल बापना** (बनेरा (बेगूं) द्वारा पूछा गया) : Will the Minister for Medical & Public Helth Department be pleased to state :-

(श्री तेजमल बापना)

1 How many Dispensaries and Ayurvedic Aushadhalayas have been opened th's year and at what places?

2. What are the places in Bhilwara District, where a special building for Ayurvedic Aushadhalaya is ready?

3. Is it a fact that the village Kundia Kaln in Banera Tehsil is the only place where such a building is ready which is constructed by the cash & shram contributions of the villagers?

4. Is the Government going to give priority to Kundia Kalan and get an Ayurvedic Aushadhalaya opened there this year? If not, why?

स्वायत्त शासन मंत्री : (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) (१) एलोपेथिक में तो चालू वर्ष में सिर्फ एक डिस्पेन्सरी जोलाना में खोलने की दिनांक २४. ६. ५६ को सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है मगर आयुर्वेदिक में कहीं भी नहीं।

(२) प्राय: सभी स्थानों से भवन व्यवस्था का आश्वासन है ।

(३) जी हां. संबंधित विषय में जन प्रतिनिधि द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है ।

(४) जिला विकास समिति भीलवाड़ा द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के शेष काल में खुलनेवाले औषधालयों में ग्राम कुन्डियाकलां को प्राथमिकता नहीं दी गई है । अतः इस स्थान पर औषधालय खोलना असम्भव हो गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह ।

अनाद्रा एड-पोस्ट का डिस्पेन्सरी में परिवर्तन

२२६. **श्री मोहब्बतसिंह** (सीरोही) : Will the Minister for Medical and Public Health Department be pleased to state:-

1. Whether the Government is contemplating to raise Anadra aid post into a dispensary?

2. Is the Government also aware that during the time of former Sirohi State Anadra had a full fledged alopathic dispensary?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता):

1. No.

2. Yes.

श्री मोहब्बतसिंह : क्या आपको वह मालूम है कि सिरोही स्टेट के समय से यहां पर फुलफ्लेज्ड डिस्पेनसरी चल रही थी ? जो सुविधा पहले से उपलब्ध थी उसको रिन्यू करने में क्या ऐतराज है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जितने होस्पिटल्स थे उनको केटेगेराइज किया गया । उसमें इसका नंबर डिस्पेन्सरी में नहीं आया है । अब तो प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स ही खोल रहे हैं ।

श्री मोहब्बतसिंह : प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स तो सिर्फ ब्लॉक्स में ही खोले जा

(श्री मोहब्बतसिंह)

रहे हैं। सिन्दरी अनादरा से ६ मील की दूरी पर है जहां पर नया खोलने की योजना है। उसके बजाय अनादरा में ही जहां सिरोही राज्य के टाईम में भी डिस्पेन्सरी थी डिस्पेन्सरी रिन्यू क्यों नहीं की जाती ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नये प्लान के अनुसार प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स खोलने की ही योजना है। नये को अपग्रेड करने की योजना नहीं है।

श्री मोहब्बतसिंह : नोर्न ब्लॉक एरिया में तो आप डिस्पेन्सरी ही खोलेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ब्लॉक्स सभी एरियाज में होनेवाली हैं। सिर्फ टाईम का ही सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद।

(अनुपस्थित)

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

अनुपस्थित।

श्री राकरणसिंह।

जिला जयपुर में शफाखाने

[२०६. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जिला जयपुर में किस किस श्रेणी के कहाँ कहाँ शफाखाने हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें

(२) उनमें बेड्स की संख्या क्या है ?

(३) क्या बेड्स के साथ साथ गद्दे, कम्बल व अन्य कपड़े ठीक हालत में हैं ?

(४) क्या पावटा डिस्पेन्सरी में बेड्स और कपड़ों की हालत खराब है ?

(५) क्या कभी निरीक्षण में भी कपड़ों का जिक्र आया है ?

(६) यदि हाँ, तो क्या ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) सूची संलग्न है।

(२) उपरोक्त सूची में इसका विवरण दिया गया है।

(३) जी हाँ।

(४) जी नहीं।

(५) डी. एम एच. ओ. की निरीक्षण रिपोर्ट में इसका जिक्र आया है। इसका पुनरुद्धार कर दिया है।

(६) कम्बल, तकिये, तकिये की खोली, तोलिये व झाडन की आवश्यकता है।

[कृपया परिशिष्ट २ देखिए]

श्री रामकरणसिंह : नं. (४) के जवाब में बताया 'जी नहीं' और फिर डी. एम. एच. ओ ने इसकी आवश्यकता बताई। यह अलग अलग जवाब कैसे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने पूछा था कि क्या खराब थे इसलिए उसका जवाब दिया गया। उसको पूरा कर दिया है।

श्री रामकरणसिंह : क्या वह पूरा किया जा चुका है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां।

२११. (८८/ए. टी. एम.) **श्री मुक्तिलाल मोदी** (बैराठ): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सरकार सहकारिता के प्रसार के लिये क्या क्या कदम उठा रही है ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : सरकार राज्य भर में सहकारिता के प्रचार के लिये जो कदम उठा रही है उसका दिग्दर्शन इस प्रकार है एवं विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है :

१. सदस्यता में वृद्धि

२. ऋण प्रणाली में परिवर्तन

३. क्रय-विक्रय सहकारी समितियों का गठन एवं आकार व्यवस्था।

४. मार्केटिंग समितियों के लिए ऋण व्यवस्था

५. सहकारी परिशिक्षण

६. सहकारी साहित्य का प्रकाशन

७. सहकारिता का प्रचार एवं प्रसार

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

एक माननीय सदस्य : इस प्रश्न का उत्तर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Reply be given.

पंचायतों का पुनर्निर्माण तथा उनका क्षेत्र

२१२. **श्री शंकरलाल,** (रायपुर-एक माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पंचायतों का पुनर्निर्माण दो हजार की आबादी के आधार पर करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ? यदि हाँ, तो कब ?

(२) क्या यह सही है कि पंचायत का क्षेत्र पटवार सर्कल व ग्राम सेवक सर्कल के अनुरूप रखने का भी आदेश सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो कब ?

(३) उपरोक्त दोनों आदेशों का पालन राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में किया जा चुका है और शेष किन किन क्षेत्रों में कब तक हो जाने की संभावना है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हाँ, ५,००० से अधिक जनसंख्यावाली पंचायतों को १,५०० से २,००० तक की जनसंख्या के आधार पर बनाने की योजना की स्वीकृति का आदेश दिनांक ३-२-५६ को हुआ।

(२) ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है।

(३) योजना तैयार की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

Page No.22

(श्री उपाध्यक्ष)
श्री हुकमसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्ष, श्री हुकमसिंहजी के इस प्रश्न का उत्तर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

जैसलमेर में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

२१७. **श्री हुकमसिंह** (जैसलमेर- **श्री लक्ष्मीचंद** (सांचोर) द्वारा पूछा गया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) ज़िला जैसलमेर में इस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन सी सड़कें बनाये जाने की योजना है और उनमें कितनी धन राशि खर्च की जावेगी तथा सड़कों की कार्य कब से शुरू होनेवाला है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) सूची प्रस्तुत है । रामदेवरा से नाचना वाया चैन का कार्य वर्ष १९६०-६१ में आरम्भ करने की योजना है ।

(सूची अनुपलब्ध)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर-सिटी) : पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जैसलमेर की कौन कौन सी सड़कें बनी हैं, कौन सी का काम बाकी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

श्री मुरलीधर व्यास : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है, पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि कौन सी सड़कों का काम बाकी रहा है, कौन सी बन गई हैं ? पहले भी सदन में पूछा गया था कि पोकरण से जैसलमेर की सड़क बनी या नहीं बनी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है, आप पढ़ लीजिये ।

श्री मुरलीधर व्यास : पोकरण जैसलमेर की सड़क बन गई या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हो जायेगी ।

श्री मुरलीधर व्यास : होजायेगी नहीं, हुई कि नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : टाइम से हो रही है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल ।

(अनुपस्थित)

श्रीमती गंगादेवी डाटा ।

(अनुपस्थित)

श्री हुकमसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : प्रश्न संख्या २२१ का जवाब दिया जाय ।

ज़िला जैसलमेर में चोरियां व लूट के मामले

२२१. **श्री हुकमसिंह** (जैसलमेर- **श्री लक्ष्मीचंद** (सांचोर) द्वारा पूछा गया) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हुकमसिंह)

(क) जिला जैसलमेर में १६५७-५८ में कुल कितनी चोरियां व लूट की रिपोर्ट्स दर्ज हुईं ?

(ख) उनमें से कितनी चोरियां पुलिस ने बरामद की ?

(ग) शेष के बरामद होने में क्या कठिनाइयां रही ?

(घ) जो माल पुलिस द्वारा बरामद हुआ है उसे क्या मालिकों को लौटा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) ज़िला जैसलमेर में १-४-५७ से ३१-३-५८ तक ३४ मुकद्मे चोरी मय नकबजनी के व ६ मुकदमें लूटमारी के दर्ज़ हुए हैं।

(ख) १५ मुकद्मे चोरी व तीन मुकद्मे लूटमार के पुलिस ने बरामद करके चालान किये हैं।

(ग) हर कोशिश करने पर भी पुलिस बाकी मुकदमों का अभी तक पता नहीं लगा सकी है।

(घ) जो माल बरामद हुआ था उसमें से कुछ तो मालिकों को अदालत के हुकम से वापिस दे दिया गया और बाकी माल अदालत में चालान के साथ पेश कर दिया।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : कुल कितना माल बरामद हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : किसका पूछ रहे हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : सब चोरी के मुकदमें हैं, लूट के भी हैं क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : कितने ?

श्री रामकिशोर व्यास : अर्ज किया न ६।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या माल लूटा गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो बताना मुश्किल है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह लूट हुई वह जैसलमेर की सीमा पर है या शहर में हुई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह भी जब तक नोटिस न दें बताना मुश्किल है। इसके लिए अलग से पूछें तो जवाब दे सकता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : कुछ घायल भी हुए हैं कि नहीं ?

(हँसी)

श्री हुकमसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : २२२ का जवाब दिया जाय।

जैसलमेर जिले के चिकित्सालयों का बजट

२२२. **श्री हुकमसिंह** (जैसलमेर-श्री लक्ष्मीचन्द(सांचोर) द्वारा पूछा गया) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री हुकमसिंह)

(क) जिला जैसलमेर में कहां कहां पर किस किस श्रेणी के चिकित्सालय हैं तथा उनका क्या बजट है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) सन् ५७-५८ में जिला जैसलमेर में कितने नये चिकित्सालय खोल गये ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जिला जैसलमेर में निम्नलिखित चिकित्सालय हैं :—

एलोपेथिक

	नाम	श्रेणी	बजट
१.	श्री जवाहर अस्पताल, जैसलमेर	तृतीय श्रेणी	रु० २१,८२०
२.	पोकरन	एड-पोस्ट	११,४५५
३.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पोकरन,	इसका बजट स्वास्थ्य विभाग में सम्मिलित नहीं है ।	

आयुर्वेदिक

१.	नाचना	सी	३,६३०
२.	फलसूंड	,,	३,६३०
३.	राजमथाई	,,	३,६३०
४.	रामदेवरा	,,	३,६३०
५.	सांकड़ा	,,	३,६३०
६.	रामगढ़	,,	३,६३०
७.	सागड़	,,	३,६३०
८.	सम	,,	३,६३०

(ख) **एलोपेथिक**

केवल विकास विभाग द्वारा पोकरन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला गया।

आयुर्वेदिक

५७-५८ में जिला जैसलमेर में ग्राम सम में नवीन औषधालय खोला गया।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर-सिटी):कितने अस्पताल हैं जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में, एक हैं या दो ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बताया न कि ३ एलोपेथिक और ८ आयुर्वेदिक औषधालय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर-सिटी) : जबाब भैरोंसिंहजी के प्रश्नों का दे दिया जाय तो अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष : Yes 193

जेल विभाग के गजेटेड अधिकारियों के इन्टीग्रेशन के लिए नियुक्त सलेक्ट कमेटी

१६३. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) द्वारा पूछा गया: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान जेल विभाग के गजेटेड ऑफिसर्स के इन्टीग्रेशन के लिए जो सलेक्ट

(श्री भैरोंसिंह)

कमेटी नियुक्त की गई थी उसमें कौन कौन सदस्य थे और क्या उस कमेटी का निर्णय अन्तिम माना गया था ?

(ख) इस समिति के निर्णयों के विरुद्ध किन किन अधिकारियों ने रिप्रेजेन्टेशन किये थे ? उन रिप्रेजेन्टेशन का क्या हुआ ?

(ग) इस कमेटी के निर्णय के अनुसार किन किन अधिकारियों को किस किस तारीख से रिटायर किया गया था और क्यों ?

(घ) क्या यह सही है कि इन रिटायर्ड अधिकारियों में से श्री टिक्कू को वापस नियुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और कब से ?

(ङ) क्या यह सही है कि श्री टिक्कू ने सन् १९५२ से सन् १९५७ तक उनके रिटायरमेंट के पीरियड की तनख्वाह व अलाउन्स का क्लेम किया है और सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है ? यदि हां, तो उनका कितने रुपयों का क्लेम था और कितना स्वीकार किया गया है ?

(च) क्या सरकार द्वारा यह क्लेम स्वीकार करने से पूर्व विधि विभाग से राय ली गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) सलेक्शन बोर्ड के निम्नलिखित सदस्य थे :—

१. श्री सी. एस. वेंकटाचार।

२. श्री एस. सी. त्रिपाठी, चेयरमैन, पब्लिक सर्विस कमीशन।

३. श्री देवीशंकर तिवाड़ी, मेम्बर, पब्लिक सर्विस कमीशन।

उक्त बोर्ड का निर्णय अन्तिम माना गया था।

(ख) उक्त बोर्ड के निर्णयों के विरुद्ध निम्नलिखित ७ अधिकारियों ने रिप्रेजेन्टेशन किए थे :—

१. श्री रेखसिंह

१. श्री रूपनारायण पुरोहित

३. श्री चैनसिंह

४. श्री जयकिशनसिंह

५. श्री हिम्मतसिंह

६. श्री शिवरामसिंह

७. श्री तापेश्वरनाथ टिक्कू

ये आवेदन-पत्र सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिये गये।

(ग) श्री तापेश्वरनाथ टिक्कू को २२-११-५२ से रिटायर कर दिया गया। चूंकि श्री तापेश्वरनाथ टिक्कू जिनको कि गजेटेड पोस्ट के लिए सलेक्शन बोर्ड ने सलेक्ट नहीं किया, नियमानुसार पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने लोअर पोस्ट के लिए एप्लाई करना चाहिये था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। नियमानुसार महानिरीक्षक, कारागृह विभाग द्वारा इनको लोअर पोस्ट ऑफर की गई लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं की इसलिए इनको रिटायर कर दिया गया।

(घ) हाँ, तारीख २७-१-५१ से। क्योंकि यह रिटायरमेंट राजस्थान सर्विस एन्ड

(श्री रामकिशोर व्यास)

कन्डेक्ट रूल्स के नियम संख्या ५६ (च) के अन्तर्गत नहीं आता था और सरकार की आज्ञा दिनांक २१-४-५१ के विरुद्ध था।

(ङ) जी हाँ, जो लगभग१६००) रु० हैं।

(च) जी हां, स्वीकार करने से पूर्व विधि विभाग से राय ली थी।

श्री मुरलीधर व्यास : ७ आदमियों ने रिप्रेजेन्टेशन दिया था तो उन सातों के सम्बन्ध में क्या निर्णय हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : अर्जे किया न कि अस्वीकार कर दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

अविलम्बनीय लोक-महत्व का प्रश्न

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) Mr, Dy. Speaker, I think the other day, I called the attention of the Hon'ble Minister to a matter of urgent public importance in a debate. Now I have received a communication from the Secretariat that my resolution will not be entertained. It was already entertained and the Hon'ble Minister shall make a reply to that according to article 131 of the Rules of Procedure which is-"Calling attention to matters of urgent public importance- A member may, with previous permission of the Speaker, call the attention of a Minister to any matter of urgent pubic importance and the Minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a later hour or date."

So this motion for calling attention was admitted...

श्री उपाध्यक्ष : It was kept for consideration and not that it was admitted. Motion was not admitted.

श्री पी० के० चौधरी : You permitted it that it is not a motion.

श्री उपाध्यक्ष : It was for consideration.

श्री पी० के० चौधरी : It is not at all a motion. It is given in the procedure that no formal motion will be made but with the formal permission of the Speaker a member may call attention to matters of urgent public importance, and that I have done. The Minister should now give reply. There is no formal motion to be moved

श्री उपाध्यक्ष : Which is that rule ?

श्री पी.के. चौधरी : It is not necessary to move any motion. Simply the attention is drawn and the Hon'ble Minister is supposed to reply.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, the Member may with the previous permission of the Speaker, call the attention of a Minister to any matter of urgent public importance and the Minister may make a statement at a later hour or date. But the relevant

Page No.27

(श्री उपाध्यक्ष)

ingredient is that there should be previous permission of the Speaker.

श्री पी० के० चौधरी : It was a particular objection raised by Shri J. P. Mathur and the Chair said that the Chair has permitted.

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Chaudhary, given I hope, you will not construe it in that sense.

स्थगन प्रस्ताव

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : एडजर्नमेंट मोशन के बारे में क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : Reply has been I think. It was recieved at 11 15 A. M.

श्री मुरलीधर व्यास : जवाब दिया गया है कि कन्सीड्रेशन के लिए दे दिया गया है जो क्रोप पहले फेल हो जाती है तो फिर कन्सीड्रेशन पर केस नहीं जाता। इसलिए उसका तो आखिरी निर्णय होना चाहिये।

श्री पी.के. चौधरी (फुलेरा) : Moreover the statement of the Hon'ble Minister is wrong, Sir. The concilation has failed and it has been handed over to the K. Labour as well as officers to consider. But after the consideration they have gone on strike.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (श्रम मंत्री) : At the time when the statement was given it was no so but now it is true that it has failed. We have recieved a report and we are taking steps accordingly......

श्री मुरलीधर व्यास : प्रश्न यह है कि क्रोप फेल हो जाने के बाद कन्सीड्रेशन का प्रश्न पैदा हो नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow any debate at all. The points may be clarified in the chamber if all the members want.

श्री मुरलीधर व्यास : जबाब तो दिया गया कि हम उसको समझ जावें ...

श्री उपाध्यक्ष : I will call the Hon'ble Minister as well as you in the Chamber for exchange of the views if any.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : I have also moved one adjournment motion.

श्री उपाध्यक्ष : But not in time.

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ।

(विराम)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य सलाहकार समिति के दूसरे प्रतिवेदन को स्वीकार किया जावे।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : एक वन्दा अधिक के प्रश्न पर विचार करना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : हाउस ने उस दिन पास किया था । It was placed before the Hoi se by Shri Hari Deo Joshi.

डॉ० बहादुरसिंह : हाउस के सामने नहीं आया था ।

श्री उपाध्यक्ष : हाउस ने उस दिन तय कर दिया था ।

प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाए ।

(स्वीकृत)

(विराम)

रिपोर्ट स्वीकार की गई ।

११.५३ म० पू०

राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, १६५८

(विचारार्थ लिया जाना)

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Revenue Minister to reply.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, सीलिंग के सम्बन्ध में सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर पिछले तीन दिनों से काफी वाद-विवाद हुआ है और काफी माननीय सदस्यों ने इस पर अनेक तरह से अपने अलग अलग सुझाव दिये हैं । खास तोर से कुछ माननीय सदस्यों ने जिन्होंने अपने नोट ऑफ डिसेन्ट रिपोर्ट में दिये थे उन पर भी काफी वाद विवाद हुआ है । मैंने जब शुरू में सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को विचारार्थ लेने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तो मैंने यह कोशिश की थी कि जिन्होंने नोट ऑफ डिसेन्ट दिया है उनकी बातों को भी नुकते नजर रखते हुए अपना दृष्टिकोण बताया था मगर उसके बाद भी वाद-विवाद हुआ । इससे ऐसा मालूम होता है कि जो कुछ मैंने कहा वह इतना संक्षेप में था कि मैं अपने दृष्टिकोण को ठीक तरह से उनके सामने नहीं रख सका । जिस तरह का यह वाद विवाद हुआ उसमें सबसे पहले और सबसे ज्यादा जोर दिया गया कि सीलिंग की हमारे यहां पर कोई जरूरत नहीं है और लैन्डलेस टिनेन्ट और स्मॉल होल्डिंग्ज की तादाद को देखते हुए मौजूदा जमीन का बंटवारा करें तो काफी जमीन आ जाती है । इसलिए यहां लैन्डलेस का प्रश्न ही नहीं है, ऐसी विचारधारा है । मैं सबसे पहले सदन में इस सम्बन्ध में अपने विचार पेश करूंगा ।

मैं यह बताने की कोशिश करूं कि जैसा आपने आंकड़ों से नतीजा निकाला है मेरे ख्याल से आपका वह नतीजा ठीक नहीं है । सीलिंग आपके सामने है, उसका मुलाहिजा करेंगे और स्टेटिक्स राजस्थान में निकलते हैं उन दोनों के फिगर्स जो हमारे यहां हैं उनको देखें तो जो जमीन हमारे यहां है उसको देखते हुए हमारे सीलिंग की आवश्यकता है और यह कहा जाता है कि हमारे यहां सीलिंग की आवश्यकता नहीं है, यह सही नहीं है । मैं आपके सामने टोटल जोगराफिकल एरिया के आंकड़े रखता हूं जो ८ करोड़, ३६ लाख एकड़ है । इसमें अनकल्टीवेटेड वेस्ट २ करोड़, १६ लाख है । उसमें से यह २ करोड़, १६ लाख निकाल लें तो आपके पास

(श्री दामोदरलाल व्यास)

६ करोड़, २० लाख एकड़ लैन्ड रहती है। इसमें से कल्टीवेटेड वेस्ट १ करोड़, ३० लाख के फिगर्स हैं यह १६५३ के हैं। १६५३-५४ के फिगर्स से कलेक्ट किये हुए हैं। इसमें से ८० लाख एकड़ जमीन आप देखेंगे बिल्कुल डेजर्ट है। वह ऐसी जमीन है जहां टीले हैं और जहां पर किसी प्रकार की कोई पैदावार नहीं होती है और मैं यह कहूँगा कि उस जमीन को कोई लेने के लिये तैयार नहीं है। जब तक वहां पर कोई सिंचाई के साधन उपलब्ध न हो जावें तब तक वह जमीन बेकार है। बाकी ५० लाख एकड़ जमीन डेजर्ट को छोड़ कर रह जाती है। बाकी जो जमीन रहती है उसके लिये हमने जब कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए प्रयत्न किया तो यह मालूम हुआ कि लैन्ड रेकॉर्डस में जितनी जमीन काबिल काश्त दर्ज है वे छोटे छोटे जमीन के टुकड़े आधा बीघा से लगा कर २, ३ बीघा तक के हैं। वह ऐसी जमीन है जिसको हम किसी दूसरे काश्तकार को नहीं दे सकते। वह तो हर हालत में उसी होल्डिंग ऑनर को दी जावेगी और अलॉट करनी होगी जिसके पास वह खेत है। इस तरह से २, ३ बीघा के टुकड़े हैं ऐसे बेसिस पर तमाम राजस्थान में ऐसे बेचेज हैं उन बेचेज को, बिटवीन दी होल्डिंग को निकाल दिये जावें तो ५० पर्सेन्ट से ज्यादा जमीन निकल जावेगी। इसके अलावा २५ पर्सेन्ट जमीन ऐसी निकल जावेगी जिसको किसी लैन्डलेस को इन्डीपेन्डेन्ट अलॉट नहीं की जा सकती और वह उस ही को की जा सकती है जिसके खेत आस-पास हैं। यह फिगर्स लेटेस्ट लैन्ड रेकॉर्डस के हैं जो ५६ के हैं। ५५-५६ के बाद में भी जमीन एलॉट होगी। इसमें से ५ लाख एकड़ जमीन निकाल लीजिये। ५८ में ५० लाख कल्टीवेटेड वेस्ट जमीन अलॉट हो गई। अब आप बतावें की कौन सी भूमि है इसके अलावा जो बच जाती है?

इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिये कि ऐसी जमीन बहुत सी है जो काबिल काश्त जरूर है लेकिन उसमें प्रोडेक्शन इतना कम होता है कि कोई भी व्यक्ति उसको लेने को तैयार नहीं होता। इसलिये १ करोड़, ३० लाख का जो फिगर नजर आता है वह बिल्कुल गलत है। १ करोड़, ३० लाख का फिगर बताया उसमें डेजर्ट और स्मॉल होल्डिंग्ज के बेचेज हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए प्रयत्न किये तो मालूम हुआ कि ५० प्रतिशत तो जमीन अपने आप निकल गई और बाकी जमीन में से २५ प्रतिशत ऐसी है जिसको लेने के लिये लोग तैयार नहीं। हमें एक डिस्ट्रिक्ट की एग्जामिन कराने से यह मालूम हुआ। क्योंकि अपने सेटलमेंट से यह राय है कि ११६ भूमि ऐसी है जिसको किसी को अलॉट नहीं कर सकते। यह सारी की सारी स्थिति है जिससे यह कहना कि हमारे यहाँ सीलिंग की आवश्यकता नहीं है गलत है। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा स्पष्ट स्थिति में किस तरह से आपके सामने पेश करूं। माननीय सदस्य खुद जानते हैं कि लैन्डलेस टिनेन्ट्स कितने हैं।

दूसरी तरफ मैंने यह अर्ज किया कि इसके अलावा लैन्डलेस फिगर देखें तो आपको मालूम होगा कि ४ लाख, ८३ हजार है। यह आंकड़ा लैन्डलेस टिनेन्ट्स का १६५६-५७ के स्टेटिस्टिक्स से आया है। इसके अलावा अगर आप स्मॉल होल्डिंग्ज करें और ऐसे लोगों को देखेंगे जिनके पास एक एक एकड़ से कम भूमि है तो वह ४

Page No.30

(श्री दामोदरलाल व्यास)

लाख, ३२ हजार का फिगर है जिनके पास जमीन है। मगर वह इतनी कम है कि इसका मतलब यह है कि वह नहीं के बराबर है। अगर इसको ले लेंगे तो ऐसे लैन्डलेस लोग हैं जिनको लैन्ड पर हमें रखना है।

एक तरफ तो लैंड की यह पोजिशन है और दूसरी तरफ लैंड की यह पोजिशन है कि हजारों बीघा, १० हजार, १५ हजार, ५ हजार, हजार हजार बीघा, ५ सौ बीघा, जैसा कि सलेक्ट कमेटी के शिड्यूल में माननीय सदस्यों ने देखा होगा, होल्डिंग्स लोगों के पास है। इतनी डेस्पेरिटी लैंड में है। यदि सोशियल जस्टिस के लिहाज से लैंड लेस को बसाना है, जमीन देनी है तो इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है कि लैंड पर सीलिंग लगायें और जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन है उन लोगों से जमीन ली जावे। यह हमारे देश की एक आम नीति है जिसको कि कांग्रेस ने माना है और प्लानिंग कमीशन ने इसको माना है कि उच्चतम भूमि की सीमा निर्धारित करके उन पर भूमिहीनों को बसाया जाय। एक तरफ तो यह दृष्टिकोण रखा है।

जिन माननीय सदस्य ने सदन में बताने की कोशिश की, वे तो हैं नहीं इस समय, अन्य माननीय सदस्यों ने भी बताने की कोशिश की और खास तौर पर भरतपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने तो यह बताया कि इतनी जमीन है और उस पर भूमिहीनों को बसाया जा सकता है, यह तो केवल पोलिटिकल स्टैन्ट है। लेकिन मैं अर्ज करूं कि जो फेक्चुअल पोजिशन है और जो कि माननीय सदस्यों ने माना है वह वास्तव में सही है। जमीन अलॉट करने के लिए हमारे पास अधिक जमीन नहीं है, जगह जगह पर स्मॉल पेचेज हैं और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था उसके सिवाय और कोई हमारे पास जमीन नहीं है। स्मॉल पेचेज की जानकारी और दूं और भरतपुर से आये हुए माननीय सदस्य इसकी शहादत देंगे कि अलवर में ऐसी जमीन १०,६०४ बीघा दर्ज है। यह लैंड रेकॉर्ड के कागजों में दर्ज है। हमारे यहां स्मॉल पेचेज ज्यादा हैं। भरतपुर और अलवर में और भी ज्यादा हैं और वहां लैंड-लेस की तादाद ३७,०६४ है। लैंड पर प्रेसर रहता है। भरतपुर में ३६,७०० एकड़ कल्चरेबल वेस्ट लैंड रेकॉर्ड के कागजों में लिखा हुआ है। लैंड-लेस ७७,७५० हैं। ये आंकड़े ५८-५६ में एकत्रित कराये गये थे। यह कल्चरेबल वेस्ट में तो दर्ज हैं लेकिन स्मॉल पेचेज में वह अवेलेबल हैं। भरतपुर, अलवर में जमीन की अलॉटमेन्ट को लेकर रोज झगड़े होते रहते हैं कि उनको जमीन फोरेस्ट में से निकाल कर दो या और किसी तरह से दो। वो मैंने आपको अर्ज किया कि ५० परसेंन्ट तो नोटेड है और ऐसा मैंने बताया कि वे स्मॉल पेचेज में अवेलेबल हैं।

माननीय सदस्य इस बात पर तो सहमत हैं कि सीलिंग लगे। लेकिन उन्होंने सीलिंग के सम्बन्ध में अपने अपने अलग अलग विचार व्यक्त किये हैं। किसी ने कहा कि लो सीलिंग लगना चाहिए लेकिन ३० स्टेन्डर्ड एकड़ जो एडोप्ट किया है वह ठीक नहीं है। किसी ने कहा कि यह तो बिल्कुल ही कम सीलिंग है। २००) रु० पर एकड़ नेट की जमीन आवे वैसा स्टेन्डर्ड एकड़ डिफाइन होना चाहिए। किसी ने कहा कि सीलिंग का रेन्ट मुकर्रर होना चाहिए। अलग अलग जगह जो जमीन का

Page No.31

(श्री दामोदरलाल व्यास)

रेन्ट मुकर्रर है उसको देख कर सीलिंग मान लेना चाहिए और उसी बेसिस पर एरिया भी मुकर्रर कर देना चाहिए। प्रिन्सिपल ऑफ सीलिंग तो सब ही माननीय सदस्यों ने महसूस किया है।

जिस समय सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को मैंने प्रस्तुत किया था तो शुरू में ही मैंने अर्ज किया था कि जिस तरह का सीलिंग का बिल पेश किया गया उसमें शिड्यूल दिया हुआ है। उसमें तहसीलवाइज़ रकबा, एरिया दिया हुआ है। उसी वक्त अर्ज किया था कि यह तहसीलवाइज़ दिया हुआ है सीलिंग और कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड है और गवर्नमेन्ट ने भी उसी बेसिस पर बिल पेश किया है। जब सलेक्ट कमेटी में यह बिल आया तो उस पर काफी बहस हुई। उसकी १४ सिटिंग्स हुई। यह विचार किया गया और काफी बहस मुबाहसा हुआ कि तहसीलवाइज़ जो एरिया दिया गया है वह ठीक है या नहीं। जहां सीलिंग लगाने का सवाल है तो एक प्रिन्सिपल तो उसके लिए अवश्य ही एडॉप्ट करना पड़ेगा। सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट में प्रिन्सिपल था २,४००) रु० पर एक एरिया वर्क आउट करना। उसका शिड्यूल बनाया। २,४००) रु० इन्कम पर शिड्यूल बनाई, तहसीलों में एरिया मुकर्रर कर दिया, अलग अलग जगह अलग अलग। हमारे सामने प्रेक्टिकल डिफिकेल्टी आई और जो वास्तव में सही है और आप सब भी उसको महसूस करेंगे कि हर तहसील में एक सी जमीन नहीं है। न तो प्रोडेक्टिविटी की दृष्टि से, न रेन्ट की दृष्टि से। यदि सोइल की दृष्टि से देखेंगे तो उसमें ५,७ तरह की सोइल मिलेगी। हर सोइल की अलग अलग प्रोडेक्टिविटी मिलेगी और हर सोइल की रेन्ट भी अलग अलग होगी। इसलिए एक तहसील में एक एरिया मुकर्रर कर देने में खतरा है। क्योंकि एक आदमी के पास तो अच्छी बेहतर जमीन का एरिया जा सकता है और दूसरे आदमी के पास एरिया उतना होते हुए भी खराब जमीन जा सकती है, जा ही नहीं सकती वह तो जायेगी ही। किसी आदमी के पास अच्छी जमीन जावेगी, किसी के पास चार नम्बर की हुई तो एरिया तो वही है लेकिन इन्कम डिफरेन्ट होगी। एक के पास वही जमीन है लेकिन एक को तो २,४००) रु० की हो जावेगी और दूसरे को ३,६००) रु० की हो जावेगी। इस तरह से उसी एरिया में प्रोडे-क्टिविटी और इन्कम के लिहाज से यह डेस्पेरिटी होगी। इसलिए यह तो नहीं कह सकते कि फॉर्मुला ठीक नहीं है। लेकिन यदि इक्विटेबल फॉर्मुला नहीं मिले तो कम से कम और नजदीक से नजदीक तो हमें जाना ही पड़ेगा। इसी बात को ध्यान में रख कर सीलिंग कमेटी ने ३० एकड़ को रखना पसन्द किया। यह नया फॉर्मुला नहीं है।

अलग अलग स्टेट्स ने क्या क्या सीलिंग का एरिया मुकर्रर किया है और हमने क्या पसन्द किया है यह मैं आपको अर्ज करूंगा। आप देखेंगे कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ हमने रखा है १० मन गेहूं की पैदावार के ऊपर। माननीय सदस्य जो बनेड़ा से आये हैं उन्होंने कहा कि यह तो नया फॉर्मुला है। यह नया फॉर्मुला नहीं है। ३० स्टेन्डर्ड एकड़ इसलिए डिफाइन किया है कि राज-स्थान की हालत को देखते हुए इसको इस तरह डिफाइन करें कि लैंड का इक्विटेशन बराबर हो जाय, पर्टिकुलर लैंड को ठीक तरह से रख सकें, जमीन मिल सके जिसको भूमि-

Page No.32

(श्री दामोदरलाल व्यास)

हीनों को बांट सकें। इसलिए १० मन गेहूँ की औसत को मुकर्रर किया है। पंजाब में ३० स्टेन्डर्ड एकड़ मुकर्रर किया है। उनकी वेस्ट लैंड है और उसी को लिया है। हमारे यहां की जो पेरेनियल वेस्ट लैंड है उसकी प्रोडेक्टिविटी को देखेंगे तो यहां भी ३०-४० मन हो सकते हैं जैसा कि वहां होता है। हम उस हद तक सीलिंग लगाने के लिए तैयार हुए हैं कि जहां जमीन नहीं मिलती है वहां जमीन मिल जाय और पर्टिकुलर स्टेन्डर्ड एक किसान रख सके और इसीलिए १० मन की पैदावार का यह फॉर्मुला एडोप्ट किया है। ऐसा फामुला एडोप्ट करने की खास वजह है और वह यह है कि राजस्थान के अन्दर सन् १९५६-५७ का नेट प्रोडेक्शन का एवरेज हम देखें तो पर-एकड़ १० मन आता है। इसी बात को ध्यान में रख कर हमने भी यहां यह रखा है।

दूसरी बात यह थी कि रीहेबिलिटेशन का फामुला विकट है। जमीन की वेल्यू कायम करने के लिये वहां पर भी १० मन का फॉर्मूला रखा था उसी आधार पर हमने वहां भी १० मन का स्टेन्डर्ड रखा है। १० मन का स्टेन्डर्ड जो रखा है वह इसलिये कि जमीन पर भी ज्यादा बोझ न पड़े और पर्टिकुलर स्टेंडर्ड ऑफ लिविंग एक किसान का मेन्टेन हो जाय और लैंड-लेस टिनेन्ट को अलॉट करने के लिए जमीन मिल जाय। इस तरह से बहुत से फॉर्मूलाज हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रकार से एडोप्ट किये हैं। मैं इसी फॉर्मूला पर स्टिक नहीं हूँ अगर सदन और किसी किस्म का सुझाव दे तो उस पर सदन विचार कर सकता है। मैं इसी फॉर्मूले पर स्टिक नहीं हूँ। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि सीलिंग को यहां लगाने की बात करें तो कम से कम ऐसा फॉर्मूला एडोप्ट करें जिससे डेसपेरिटी कम से कम हो। यह तो मैं भी मानता हूँ कि हमें ऐसा फुल-प्रूफ फॉर्मूला मिल नहीं सकता। जहां तक कोर्ट में चैलेन्ज का सवाल है, मैं यह कह सकता हूं कि हरेक कानून कोर्ट में चैलेन्ज हो सकता है। यह भी माननीय सदस्य ने फरमाया कि आपने जो पर्टिकुलर शिड्यूल रखा है वह चैलेन्जेबल है, आर्बीट्रेरी शिड्यूल है इसलिए चैलेन्जेबल है। यह मैं मानता हूँ हर कानून चैलेन्जेबल हो सकता है और होते हैं उस पर कोर्ट अन-वेलिड करार भी देते हैं, अल्ट्रा वायर्स भी करार देते हैं और उनको हमें बदलना पड़ता है। इसलिये इस ख्याल से कि यह चैलेन्जेबल है इसलिये हम पर्टिकुलर फॉर्मूला को ही एडोप्ट न करके शिड्यूल लगा देना चाहिये, यह दलील जंचती नहीं है।

जैसा कि मैं माननीय सदस्यों के सामने अलग अलग स्टेट्स ने जो सीलिंग का स्टेन्डर्ड मुकर्रर किया है उसको सदन के सामने रखना चाहता हूँ ताकि उससे आपको यह अन्दाज लग सके कि हमने जो वहां सीलिंग या स्टेन्डर्ड मुकर्रर किया है वह उनके मुकाबले में किस तरह का है।

उत्तर प्रदेश को लीजिए वहां लॉ तो नहीं बना है लेकिन सरकार ने यह अनाउन्स कर दिया है कि वहां ४० एकड़ का रखा है That 40 acre of Irrigated Land लो क्वालिटी लैन्ड के लिए जहां पैदावार कम है या हल्की किस्म की जमीन है उसके लिए एक कमेटी मुकर्रर की है उसके जरिये से एक्जामिन करके बताने का रखा है

Page No.33

(श्री दामोदरलाल व्यास)

आसाम के अन्दर ५० एकड़ ।

हैदराबाद में ४॥ एकड़ का फेमिली होल्डिंग रखा है। वहां ८०० रुपये की इन्कम को फेमिली होल्डिंग रखा है ३,६०० रुपये की नेट इन्कम रखी है ।

वैस्ट बंगाल २५ एकड़ ।

जम्मू और काश्मीर २२॥ एकड़ ।

पंजाब, ३० एकड़ ८० ऑर्डिनेरी ।

हिमाचल प्रदेश, ३० एकड़ इन चैम्बल डेम एरिया एन्ड इन अदर डिस्ट्रिक्ट १२५ ऑफ दी लैंड रेवेन्यू ।

मैसूर थ्री फेमिली होल्डिंग १,२०० रुपया। Three family Holdings (F. H.= area yielding net income, of Rs. 1200/-)

उड़ीसा ३३ स्टेन्डर्ड एकड़ 33 Standard acres. Standar acre one acre of perennialy irrigated (receiving supply of water from any source of irrigation for more than 1 crop in an agr year) They have defined on soil classification entirely.

पेप्सू : ३० एकड़ । उसमें एकड़ को डिफरेन्सियेट नहीं किया । उसमें १० मन की पैदावार नहीं रखी वेस्ट लैंड है that will be equal to one Standard acre ....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : केरल में क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : केरल में सीलिंग इन्ट्रोड्यूस नहीं हुआ है। They have not yot intorduced.

In Bombay-Tirayat land-48 acres.

Seasonally irrigated or paddy or rice land—24 acres.

बम्बई के अन्दर चेन्ज किया है जैसी कि अखबारों में रिपोर्ट है। उन्होंने यह सुझाव दिया है ३,६०० रुपये की नेट इन्कम पर सीलिंग लगाना चाहते हैं। यह पोजिशन है डिफरेन्ट स्टेट्स के अन्दर। जैसा कि मैंने अर्ज किया स्टेन्डर्ड एकड़ और सीलिंग एरिया किस तरह से डिफाइन किया जाय उसके बारे में अलग अलग स्टेट्स के अन्दर जिस प्रकार की पोजिशन है वह मैंने आपको बतलाई और जो हमने एडोप्ट किया है वह भी मैंने आपके सामने रखा। हमने जो अपनाया है वह कोई नया फॉर्मूला नहीं है। इससे जमीन भी ज्यादा मिल जायेगी और लिविंग स्टेण्डर्ड जो किसान का होना चाहिए वह भी रह जायेगा।

शिड्यूल के लिए भी कहा गया लेकिन मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि जिस तरह का शिड्यूल बना हुआ है उससे अच्छा शिड्यूल हम बना नहीं सकते। हमारे यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की सोइल है। There are of different productive capacity of the soil and different rent. इसलिए इन सबका हम एक शिड्यूल नहीं बना सकते। जब तक हम यह न कर दें कि सोइल की प्रोडेक्टिविटी इतनी समान हो तब तक हम इस बारे में कुछ नहीं तय कर सकते। इसलिए पहले हमें यह तय करना होगा और किसानों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा। That must be cultivable और यह भी देखना है कि अन्य स्टेट्स में जो

Page No.34

(श्री दामोदरलाल व्यास)

फॉर्मूला एप्लाई किया गया है वह हमारे इस प्रान्त के लिए ठीक भी नहीं बैठ सकता । जहां तक चैलेन्जेबल का प्रश्न है केवल इसी को ध्यान में रखते हम यह लागू न करें तो यह उचित नहीं होगा । हमें ऐसा कार्य करना है जो कम से कम चैलेन्जेबल हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके ।

एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि रेट्स के आधार पर सीलिंग लागू किया जाना चाहिए । लेकिन उनको मैं यह कहना चाहता हूँ कि रेट्स के आधार पर सीलिंग यहां कायम नहीं हो सकता । वे शायद इस बात को समझ नहीं सके कि रेट्स की पोजिशन क्या है ? राजस्थान में आप इस पोजिशन को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा, आप चाही जमीन को ही ले लीजिये । जयपुर शहर में ४० रुपया प्रति बीघा चाही की रेट है । बून्दी के अन्दर ४, ४ आना है । रेन्ट का इतना डिफरेन्स है कि हम उस बेसिस पर कर नहीं सकते । इसी तरह से १५, १७, १२, १० और ८ तक है इस तरह से डिफरेन्ट रेट्स हैं । आप जैसा चाहते हैं ३० साल पहले जो सेटलमेन्ट हुआ वह अब भी चालू है । बारानी के अन्दर भी इसी प्रकार की डेसपेरिटी है ।, झुंझुनूं के अन्दर ६ रुपया प्रति एकड़ है । झुंझुनूं के पास ही जो चौमू डिस्ट्रिक्ट है वहां ६ आना और ८ आना है । उसी से मिला हुआ गंगानगर इलाका है । नागोर डिस्ट्रिक्ट है वहां २, २॥ और ३ रुपया है । बारानी के लगान में भी डिसपेरिटी है । लगान बेसिस पर हम यहां सीलिंग मुकर्रर नहीं कर सकते । यह हो सकता है कि लैंड रेवेन्यु को इसका आधार मुकर्रर करने का विचार दिया होता तो ठीक भी समझता । लैण्ड रेवेन्यु पुराने बंधे हुए हैं । उसमें किसी प्रकार का हेरफेर नहीं है, वह तो माना जा सकता था । जमीदारी एरिया में ये चीजें बैठ सकती हैं । हिमाचल प्रदेश में १२५ लैण्ड रेवेन्यु का सीलिंग का सुझाव आया है ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : रेन्ट का सुझाव किसने दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I think that was your suggestion.

श्री श्रीभानसिंह : I think, if you will read the note of dissent it is not there.

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर लैंड रेवेन्यु के आधार पर राजस्थान के अन्दर कहीं असेसमेन्ट हो सकता है तो वह भरतपुर और अलवर का इलाका ही है और और जगह तो लैंड रेवेन्यू का सवाल नहीं । रेन्ट कहीं होता है तो वह जमीदारी इलाके में I am glad that you don't insist upon the rent.

श्री श्रीभानसिंह : My note is very clear in this respect. I have never insisted on the rent. My note of dissent is very clear.

श्री दामोदरलाल व्यास : Perhaps you were discussing the point सेकिण्ड पोइन्ट जो लिया गया है वह यह है कि फेमिली की जो डेफिनेशन हमने चेन्ज की है उस फेमिली की डेफिनेशन के लिए कुछ माननीय सदस्यों को इस बात पर एतराज है कि यह ५

(श्री दामोदरलाल व्यास)

आदमियों की फेमिली रखी गई है वह ५ आदमियों की नहीं होनी चाहिए थी दरअसल वह ७ आदमियों की होनी चाहिए थी। तो जैसा कि ओरिजीनल बिल में रखा गया है और मैंने अर्ज किया था कि आप सेकिण्ड फाइव ईयर प्लान में देखें कि ५ से ७ जहां फेमिली का नम्बर रखा है उस समय हस्बेन्ड, वाइफ एण्ड चिल्डर्न को रखा था और हमें जो प्लानिंग कमीशन ने डाइरेक्टिव्स दिये हैं जैसा कि सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट से भी पता लगता है और मैं जब डिस्कशन के लिए गया था उनका जो डाइरेक्टिव आया उन्होंने इस बात का इसरार किया कि फेमिली का नम्बर ७ से कम करके ५ कर दिया जाये और मैं समझता हूं कि यह नम्बर ठीक भी है। हस्बेंड, वाइफ और ३ चिल्डर्न के अलावा और फेमिली में इन्क्ल्यूड नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमने इसको रखा है। In the life time of his father अगर एक आदमी मर जाता है और अपने पीछे बच्चे छोड़ जाता है तो वह तो उसके ग्रान्ड फादर की रेस्पोन्सिबिलिटी है। The responsibility will lie on the grand-father of the child इसलिए उसमें दिक्कत आनेवाली बात नहीं है।

दूसरा पोइन्ट इसमें एक माननीय सदस्य ने जिसके ऊपर काफी डिस्कशन किया है वह है चाही लैण्ड को बारानी में ट्रान्सफर करने का। यह सीलिंग कमेटी ने अपना सुझाव पेश किया है अपनी रिपोर्ट में और यह कहा है कि चाही जमीन जितनी भी है उसको बारानी लैण्ड में शुमार करना चाहिए और उसके दो, तीन कारण हैं जिनके ऊपर सीलिंग कमेटी ने काफी विचार किया है। एक तो यह है कि राजस्थान में आप देखेंगे कि मेन-इर्रिगेशन का सोर्स कुँओं का है और आईन्दा आनेवाले समय के अन्दर भी यहां कुँओं के ऊपर ही डिपेण्ड करना पड़ेगा ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा कुंए खुदवायें और अपना प्रोडेक्शन बढ़ायें। क्योंकि जितने भी मेजर और माईनर इर्रिगेशन के वर्क्स थे या तो बन गये या कुछ रह गए जो बन रहे हैं। लेकिन हमारे राजस्थान में भी काफी ऐसा एरिया है कि जहाँ सिवाय कुंओं के और कोई इर्रिगेशन का सोर्स नहीं है और ऐसे एरियाज़ में जब तक किसान कुंए नहीं खोदेंगे उस समय तक प्रोडेक्शन नहीं बढ़ेगा और प्रोडेक्शन बढ़वाने के लिए जब तक हम कोई ऐसे प्रोविजन्स नहीं रखेंगे तब तक किसान कुँए नहीं खुदवानेवाले हैं। इसलिए सबसे ज्यादा विचार तो सलेक्ट कमेटी के सामने ऐसा था कि हम कोई ऐसा प्रस्ताव न रखें कि कुंए खोदने के लिए किसानों को डिस्करेजमेन्ट मिले और आईन्दा के लिए कुँए ही खुदवाने बन्द हो जायें और प्रोडेक्शन सफर करे। आज कुंओं की जमीन आप देखें तो जहाँ इर्रिगेटेड लैण्ड बाई वेल्स का जहाँ तक सवाल है तो छोटे छोटे कुंए और उनके साथ जो छोटी छोटी जमीन लगी हुई है उसको भी सीलिंग लगा करके चाही जमीन में ले सकें, यह मुमकिन नहीं है। यह उनका पर्सनल इन्वेस्टमेन्ट है और उस पर जितना इम्प्रूवमेन्ट उन्होंने किया है वह उनकी पर्सनल इन्वेस्टमेन्ट है और वह उन्होंने पर्सनल केपिटल के ऊपर किया है और कॉस्ट ऑफ प्रोडेक्शन कुँए के ऊपर आता है। कुंओं के द्वारा जो जमीन सींची जाती है उसमें सभी चीजों का खर्चा लगाना होगा। वह शीड का, मैन्योर का, लेबर का, चड़स

(श्री दामोदरलाल व्यास)

का, लाव का और बैल का सब का है। इन सब का खर्चा लगा कर तो बारानी 'ए' के ऊपर उसका प्रोडेक्शन आ जाता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडेक्शन ५० पर्सेन्ट ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ, यह बात जरूर है कि पैदावार वहाँ ज्यादा होती है लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडेक्शन इतना आता है कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडेक्शन का हिसाब लगायें तो बारानी 'ए' के बराबर वह चाही जमीन बैठती है। इसलिए किसान अपने खुद के पैसे से इम्प्रूव करेगा और फिर उसका केपिटल और फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडेक्शन ज्यादा आये और फिर हम उस चाही जमीन को चाही रखें और १:३ का रेशो बारानी जमीन का लगा दें। इसलिए सलेक्ट कमेटी ने सिफारिश है कि चाही जमीन को बिल्कुल बारानी जमीन मानना चाहिए और बारानी जमीन के हिसाब से ही इसको सीलिंग के अन्दर शुमार करना चाहिए।

तीसरा पोइन्ट जो माननीय सदस्यों ने कहा है वह ट्रान्सफर के बारे में कहा है। ट्रान्सफर ऑफ लैण्ड के ऊपर कुछ माननीय सदस्यों का यह कहना है कि ट्रान्सफर की डेट वही रखनी चाहिए जिस तारीख को कि सीलिंग कमेटी मुकर्रर की है और अब सलेक्ट कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें सीलिंग की तारीख को १ जनवरी, १६५७ माना है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि ट्रान्सफर्स जिन दिनों में ज्यादा हुए हैं उनका ध्यान रखना चाहिए था। हमने इस बात को जानने की कोशिश की है कि किन सालों में ट्रान्सफर्स ऑफ लैण्ड ज्यादा हुए हैं। इन आंकड़ों से पता चलेगा कि १६५७, ५८,५६ इस समय में ही ज्यादा ट्रान्सफर्स हुए हैं और इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने का एक कारण और है कि हमें ज्यादा से ज्यादा जमीन लैन्डलेस में बांटने को मिल सके। अगर ये रेस्ट्रिक्शन्स नहीं रखते हैं तो जिस समय कानून बनेगा उस समय यह पोजिशन हो सकती है कि हमारे पास लैण्ड ही अवेलेबल न हो। तो इस पोजिशन से बचने के लिए इस ट्रान्सफर के मामले पर रेस्ट्रिक्शन लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऑर्डिनेरी कोर्स ऑफ बिज़नेस के अन्दर कोई आदमी अपनी जमीन को ट्रान्सफर करता है उसके ऊपर भी हमें रेस्ट्रिक्शन लगाना है। यह रेस्ट्रिक्शन तो हमें उनके ऊपर लगाने हैं कि जो ट्रान्सफर्स इन एन्टीसीपेशन ऑफ सीलिंग और नेकनियती से नहीं और टू सर्कमवेन्ट दी लॉ ऑफ सीलिंग इन हालातों के ऊपर सीलिंग लागू थी इसलिए इन हालातों के ऊपर ध्यान रखना था। इसीलिए ही सलेक्ट कमेटी ने सब छानबीन करके १ जनवरी, १६५७ की डेट रखी है कि उसके बाद में जितने भी जमीन के ट्रान्सफर्स होंगे वे इन्वेलिड होंगे। परन्तु उसके अन्दर ही एग्जेम्पशन किया है। इस एग्जेम्पशन के बारे में भी माननीय सदस्यों को ऐतराज है। लेकिन मैं समझता हूं कि वह एग्जेम्पशन वाजिब है। क्योंकि हमने रेस्ट्रिक्शन्स लगाये हैं ट्रान्सफर्स के ऊपर तो सभी ट्रान्सफर्स तो इस नियत से नहीं किये गये होंगे। कुछ स्टेट्स ने यह भी किया है कि यह लैण्ड ओनर्स के ऊपर छोड़ दिया है कि वे अपनी जमीन को ट्रान्सफर कर दें अपनी प्राइवेट सेल से। लेकिन हमने अपने यहाँ राजस्थान की स्थिति को देखते हुए इस प्रोविज़न को मंजूर नहीं किया है और न ही कर सकते हैं।

एक तरफ यह कहा जाता है कि ट्रान्सफर्स को

Page No.37

(श्री दामोदरलाल व्यास)

उस पुरानी डेट से माना जाना चाहिए पर ऐसा नहीं हो सकता । अगर हमारे यहाँ राजस्थान में यह कह देते हैं कि तुम जमीन बेच दो तो वह मनमाने काम करने लगेंगे । इसलिए यह नतीजा होगा कि जिन लोगों को जमीन मिलनी चाहिए वह उनको नहीं मिलेगी । इसलिए यह निश्चय किया गया कि सीलिंग इम्पोज करके जमीन को स्टेट ले ले और डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टेट एजेन्सी ही करे । अलबत्ता यह बात जरूर है कि जो ट्रान्सफर्स १ जनवरी, १६५७ से पहले हुए हैं तो वेलिड हैं और जो ट्रान्सफर्स इसके बाद में हुए वे इन्वेलिड हैं । अगर इससे पहले के भी हम इन्वेलिड करार दे दें और उस तारीख से इसको कर दें कि जिस तारीख से इस सीलिंग बिल के लाने का इरादा किया था तो इससे लिटीगेशन ज्यादा बढ़ जायेगा और जब हमारे पास इस बात की सूचना है कि ज्यादा ट्रान्सफर्स इन तीनों सालों में यानि १६५७, ५८ और ५६ में हुए हैं तो कोई वजह नहीं कि हम पहले के पीरियड को लेकर उसके ट्रान्सफर्स को इफेक्ट करें रेस्ट्रिक्शन को वहाँ पर लगायें ।

इसके अलावा माननीय सदस्यों ने कम्पेन्सेशन के बारे में काफी ऐतराज किया है और इस पर लैण्ड एक्वीजीशन का प्रिंसिपल लगाया है, यह दुरूस्त नहीं है । मैंने इस बिल को सदन में रखने का जो प्रस्ताव किया था उस समय कहा था कि आप इस पर दुबारा विचार कर सकते हैं इस कम्पेन्सेशन के फॉर्मूला के ऊपर । और कोई फॉर्मूला इसके अन्दर से निकाल सकते हैं तो उसके ऊपर भी विचार किया जा सकता है । एक बात है । इसी पोजिशन के अन्दर एक तरह का कम्पेन्सेशन जो खातेदारी राईट्स के फॉर्मेशन के लिए सब-टिनेन्ट्स हैं और सब-टिनेन्ट्स की खुदकाश्त है उसके ऊपर मुकर्रर किया है और उसके लिए प्रावधान हमने इसी एक्ट में इस तरह किया है । माननीय सदस्यों की मर्जी यह थी कि एक ही राईट के लिए एक एक्ट में दो प्रकार के स्टेन्डर्ड कम्पेन्सेशन के लिए रखें, यह बिल्कुल गलत है । इस एक्ट ही के अन्दर में यह प्रोविजन किया गया है कि लैन्ड एक्वीजिशन एक्ट के तहत में वह होगा । उस एक्ट को देखेंगे और सलेक्ट कमेटी की रिकमन्डेशन्स को देखेंगे तो वह इन्कल्यूड इसमें कर दिया गया है । अब कौनसा फॉर्मूला ठीक होगा ? सलेक्ट कमेटी ने इस बात पर जोर दिया था कि यह फॉर्मूला मार्केट वेल्यू के आधार पर होना चाहिए तो मार्केट वेल्यू के लिए लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट हमारे सामने था । मेरा उसके लिए कोई दबाव नहीं है । माननीय सदस्य दुबारा इस पर विचार करें और किसी दूसरे फॉर्मूले पर विचार करें और ठीक जंचता है तो उसको एडोप्ट कर लिया जाय । मैं इसके लिए कोई खास इसरार नहीं करूंगा ।

अब कुछ एग्जेम्पशन्स के बारे में माननीय सदस्यों ने काफी ऐतराज किये हैं । इस बात के ऊपर कि एग्जेम्पशन्स दिये गये हैं ....

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : इसको फिर से विचार करने के लिए यह होगा कि इस बिल को इनएबेयेन्स रखा जाए और फिर विचार किया जाए ।

श्री दामोदरलाल व्यास : किस पर ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : जैसा कि यह प्रश्न था कि ३,४ सजेशनस आ रहे हैं सलेक्ट कमेटी उन पर गौर करे।

श्री दामोदरलाल व्यास : सलेक्ट कमेटी ने विचार कर रखा है। वे लैण्ड एक्वीजिशन के प्रिन्सिपल्स की दृष्टि से करना चाहते हैं। मेरी तो यही अर्ज है कि सलेक्ट कमेटी का एक विचार है इसी बिल के अन्दर एक प्रोविजन, एक फॉर्मूला, खातेदारी राईट्स के लिए एक फॉर्मूला है कि क्या कम्पेन्सेशन देना चाहिए ? यह विचाराधीन है। उसको मैं सदन के सामने दोनों ही फॉर्मूला रख देना चाहता हूँ। जैसा एडोप्ट करना मुनासिब समझे सदन कर ले। इसको डिसएग्री करने का कोई सवाल नहीं है।

जब एग्जेम्प्शन्स के बारे में मैं अर्ज कर रहा था कि कुछ माननीय सदस्यों ने खास तौर से वैल मेनेज्ड फार्म्स के ऊपर काफी ऐतराज किया है।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : एफिशियेन्टली मेनेज्ड फार्म्स हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : Well managed farms or efficiently managed farms or whatever you may call them. उस पर काफी ऐतराज किया है। उनको एग्जेम्प्शन्स नहीं देना चाहिये। आपने सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट का मुलाहिजा किया होगा। जो बिल है उसमें जो एग्जेम्प्शन्स दिये हैं प्योरली प्लानिंग कमीशन ने रिकमन्ड किये हैं कि स्टेट्स में किस प्रकार के एग्जेम्पशन्स सीलिंग के अन्दर देने चाहिए। उनको ध्यान में रखते हुए उनको उस बिल के अन्दर इन्सर्ट किये गये थे और सलेक्ट कमेटी ने इस बात पर विचार किया है। फिर भी एग्जेम्पशन्स के ऊपर वैल मेनेज्ड फार्म्स या एफिशियेन्टली मेनेज्ड फार्म्स किसके होंगे और किस तरह के फार्म्स को एग्जेम्प्ट किया जाय ? तो इस बात का ख्याल यह था कि एफिशियेन्टली मेनेज्ड फार्म्स के नाम से या वैल मेनेज्ड फार्म्स के नाम से कोई ऐसी बात पैदा हो जायेगी जिससे चाहे जिस फार्म को गवर्नमेन्ट एग्जेम्प्ट कर सकेगी और सीलिंग का ऐम ही वह खत्म हो जायेगा। सीलिंग को सर्कम्वेन्ट करने के लिए हर फार्म एग्जेम्प्शन क्लेम करेगा, और एग्जेम्प्शन मिल जायेगा। वास्तव में न तो प्लानिंग कमीशन की यह मन्शा है, न सीलिंग कमेटी की, न सलेक्ट कमेटी की और न इस बिल की ही है। जो एफिशियेन्टली मेनेज्ड लब्ज़ रखे हैं तो एफिशियेन्टली मेनेज्ड को डिफाइन करना होगा, चाहे रूल्स में डिफाइन करे चाहे इस एक्ट में डिफाइन करें। बहरहाल डिफाइन करना जरूरी है। Well managed farms and efficiently manged farms.

प्लानिंग कमीशन की स्टेडी कमेटी ने फैक्टस को स्टेडी करके डिफाइन कर रखा है। सेकिन्ड प्लान के अन्दर देखेंगे कि वैल मेनेज्ड फार्म्स और एफिशियेन्टली मेनेज्ड फार्म्स किस तरह के होंगे, उसको डिफाइन किया गया है। पंजाब के अन्दर एडोप्ट किया है तो उन्होंने रूल्स में डिफाइन किया है, और स्टेट्स में जहाँ उसको एडोप्ट किया है, मैं अर्ज करूंगा कि यहाँ हमने एडोप्ट नहीं किया है। हर जगह वैल मेनेज्ड फार्म्स को एडोप्ट किया गया है और इस बेसिस पर एडोप्ट किया है कि ऐसे फार्म्स को ब्रेकअप करने से प्रोडेक्शन कम हो जाएगा जो कि हम नहीं

(श्री दामोदरलाल व्यास)

करना चाहते हैं। यह मानी हुई बात है कि बड़े फॉर्मूले को ब्रेक-अप करके प्रोडेक्शन को सफर कराना नहीं चाहते हैं, इसलिए रखे हैं। प्लानिंग कमिशन का वैल मैनेज्ड फार्म्स का जो स्टेन्डर्ड है वह मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसको आप देखेंगे तो आपको मालूम हो जायेगा। जो इस स्टेन्डर्ड में आयेंगे वे ही फार्म्स एग्जेम्प्ट होंगे, बाकी और कोई फार्म एग्जेम्प्ट नहीं होने चाहिए। सिलिंग के लॉ को सर्कम्वेन्ट करने के लिए इस तरह के एग्जेम्प्शन्स नहीं हो सकते हैं। इन्होंने अलग अलग स्टेन्डर्ड ले-डाउन किये हैं लैण्ड के लिए.......

The following list of factors which should be taken into account in judging the quality of the management of a farm or a holding has been worked out by a committee of the Panel of Land Reform. These factors have to be adopted to local conditions and those of them which are of special importance in an area singled out as the principal criter a of efficiency of management :

(i) Land:

(a) Levelling, bunding, terracing (where necessary and economically practicable) and other measures needed for maintaining the fertility of the soil.

(b) Development and use of cultivable waste land by drainage of water-logged area, removal of alkali or kallar by anti-erosion or soil conservation measures, eradication of pernicious weeds, clearing of bushes.

(ii) Use of pure seeds of approved variety.

(iii) Manures and fertilizers:

(a) conservation of arm yard manure:

(b) composting of all kinds of farms refuse;

(c) adoption of green manure as a regular practice;

(d) use of chemical fertilisers where necessary and economical.

(iv) Irrigation:

(a) Where canal irrigation is not available, construcion of wells, tube-wells, pumps, tanks and dams wherever possible either independently or in co-operation with the neighbouring cultivators;

(b) Economic use of water by proper maintenance of irrigation channels, ie. plastersing, keeping them, as far as practicable, straight lines and not zig-zag, keeping them free from weeds and making the irrigation channels pucca, wherever economical, in order to prevent leakage of water. This is the condition for Irrigation. और इनको करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के लिए रेस्ट्रिक्शन्स होंगे।

(v) Agricultural implements:

Use of agricultural implements of improved Variety as recommended

(श्री दामोदरलाल व्यास)

by the Agriculture Department for particular tracts.

(vi) Coutrol of insect posts and diseases and eradication of pernicious weeds and these things...

सिमिलर्ली इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रेक्टिस के लिए। उनके लिए आवश्यक ऐसा नहीं है कि पुराने मेथड़ से ही करते रहें उनका :

(a) Preparation of seed beds.
(b) methods of sowing.
(c) interculture of crops.
(d) weeding.
(e) regueing.
(f) harvesting practices.

यह जो है वह अलग प्रेस्काईब की जायेगी। इसी तरह से सूटेबल रोटेशन ऑफ क्रॉप्स प्रेस्काईब किया जायेगा। प्लान्टिंग एण्ड क्रॉप ऑफ ट्रीज़ उनके लिए प्रेस्काइब्ड किया जायेगा।

यह तो एफिशियेन्टली मेनेज्ड फार्म्स के लिए इतना स्टेन्डर्ड प्रेस्काइब करना पड़ा है।

Then only those farms will be considered कि एफिशियेन्टली मेनेज्ड हैं या नहीं।

अब जैसा कि अर्ज किया है प्लानिंग कमीशन ने एफिशियेन्टली मेनेज्ड फार्म्स को काफी डिफाइन किया है और उसको दूसरी स्टेट्स ने भी एडॉप्ट किया है। किस तरह से दूसरी स्टेट्स में लिया गया है, वह मैं बताता हूँ। आसाम का प्रोविज़न है :

Assam-- Lands utilised by efficiently managed farms on which heavy investment or permanent structural improvement have been made and whose break up is likely to lead to a fall in production.

Similar is in Hyderabad:—

Farms in compact block which are so efficiently cultivated and managed that their break up may lead to a fall in production.

Punjab—Sugar-cane farms operated by sugar factorie; Efficiently managed farms which cosist of compact blooks on which heavy investment or structural improvements have been made and whose break up is likely to lead to a fall in production.

Similarly in Himachal Pradesh—Highly efficiently managed farms whose break up is likeiy to lead to a a fall in production;

In Mysore:

An efficiently managed farms consisting of a compact block on which heavy investment have been made and whose break up is likely to lead to fall in production.

गोया हरेक स्टेट में आप देखेंगे कि जहां पर सीलिंग लॉ या बिल बना है उनमें एफिशियेन्टली मेनेज्ड फार्म्स को, शुगर फेक्ट्रीज के नीचे जो फार्म्स हैं उनको और सिमिलेरली को-ऑपरेटिव सोसाइटीज को एग्जेम्प्ट किया है और प्लानिंग कमिशन ने भी इसके लिए सिफारिश की है...

श्री चन्दनमल वैद : को-ऑपरेटिव सोसाइटीज को सीलिंग की लिमिट तक ही एग्जेम्प्शन दिया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I am just coming to that. I am only dealing with the efficiently managed farms. इस लिहाज से माननीय सदस्य देखेंगे कि हमने क्या एग्जेम्प्शन नहीं दिया है That exemption is there in the States.

सेकिन्ड एग्जेम्पशन जो है वह शुगर-केन के लिए। जैसा अर्ज किया यहां राजस्थान में केवल एक फेक्ट्री है। जहां तक मेरी जानकारी है एक ही फैक्ट्री है जहां फार्म नहीं है। शुगर फैक्ट्री के नीचे फार्म एफिशियेन्टली मेनेज्ड यदि होगा तो he will be exempted और अगर नहीं होगा तो सरेन्डर करना होगा। जितना बड़ा फार्म है वह अगर एफिशियेन्टली मेनेज्ड नहीं होगा तब तक एग्जेम्प्शन नहीं मिलेगा ...

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : That also if the produce is.

श्री दामोदरलाल व्यास : That is meant for that. This is for Sugarcane only.

वर्ना और किसी कारण से थोड़ा ही दिया गया उनको।

इसी तरह से कोऑपरेटिव फार्म्स के लिए है। माननीय सदस्य ने कहा था कि को-ऑपरेटिव फार्म्स के लिए लिमिट है। पर्टिकुलर मेम्बर का सीलिंग के लिए जितना एरिया होता है उतना शेअर उसका होगा तो उनको एग्जेम्प्शन दिया जायेगा बाकी को नहीं दिया जायेगा। को-ऑपरेटिव फार्मिंग के लिए सीलिंग मुकर्रर करेंगे तो प्रत्येक मेम्बर के हिस्से में जितनी जमीन आयेगी उस लिहाज से सारे मेम्बर्स में बांटना होगा और उतनी ही एग्जेम्प्ट होगी जितनी सीलिंग की लिमिट होगी। इसका कारण यह है कि सोसायटी एज वन युनिट पर इसका असर उल्टा न पड़े। इसलिए उसको एग्जेम्प्शन देना जरूरी है। यदि उसको एग्जेम्प्शन नहीं दिया जाता है तो उसका रिजल्ट यह होगा कि सारा सिलिंग उस पर लागू होगा और मेम्बर्स का हिस्सा नहीं रहेगा। इसलिए इसमें दिया है ; Co-operative Societies will be exempted to the extent of joint share of the members provided... अब उसमें यदि फर्ज करिये यह प्रोविजन रखना हो कि एग्जिस्टिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ऐसी हैं जिनके मेम्बर्स के पास सिलिंग एरिया से ज्यादा जमीन है उसको एग्जेम्प्ट करना है तो सदन उस पर विचार कर सकता है। लेकिन आज हमें को-ऑपरेटिव फार्मिंग को एन्करेज करना है और जहाँ जहाँ पर को-ऑपरेटिव फार्मिंग नहीं है वहाँ पर बनाना है इसलिए उनको एन्करेज करने के लिहाज से यह रखा है कि सिलिंग सीधा उन पर इफेक्ट नहीं करे : We can also consider the other alternative suggestion that other members may like to give in the House.

केटल ब्रीडिंग और शीप ब्रीडिंग पर भी कुछ माननीय सदस्यों ने आपत्ति की है। एक आदमी के पास एफिशियेन्टली मेनेज्ड फार्म हो सकता है, शुगर फार्म भी हो सकता हैं और केटल ब्रीडिंग फार्म और शीप ब्रीडिंग फार्म भी हो सकता है। लेकिन इस बिल की यह मंशा नहीं है कि एक ही आदमी सब तरह का फायदा उठा ले इसलिए इसमें सुटेबल अमेन्डमेन्ट

Page No.42

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कर दिया जायेगा। केटल ब्रीडिंग के बारे में माननीय सदस्यों ने बताया है कि हमारे यहाँ केटल ब्रीडिंग के लिये पर्टिकुलर एरिया में इसको एन्करेज करना पड़ेगा और यदि एग्जिस्टिंग है तो उनके लिए भी एग्जेम्पशन जरूरी होगा और प्लानिंग कमिशन ने भी यह क्लेरिफिकेशन किया है कि केटल ब्रीडिंग और शीप ब्रीडिंग फार्म किसको माना जायेगा। जो ये शर्तें पूरी करेगा उसको एग्जेम्ट किया जायेगा, वर्ना हरेक आदमी को एग्जेम्प्ट नहीं किया जायेगा। प्लानिंग कमिशन ने जो शर्तें रखीं है और दूसरी स्टेट्स ने भी एडोप्ट की हैं उसको एडोप्ट करना होगा। यह एग्जेम्पशन के बारे की बात रही।

अब कुछ माननीय सदस्यों ने गंगानगर के लिए खास आपत्ति उठाई थी और एक माननीय सदस्य ने वहाँ के सेटलमेन्ट की किताब जो १९४५-४६ में जारी की थी और जिसका सर्वे सन् ३८-३९ में हुआ था उसको कोट करके कहा कि सिलिंग नहीं हो सकता। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ३८ में सर्वे हुई और ४५ में लिखी गई उसको स्टेण्डर्ड मान कर चलें, यह नहीं हो सकता। लेकिन यह जरूर है कि हरेक एरिया की प्रोडेक्विटी को ध्यान में रखना पड़ेगा। सारी बातों को विचार करके स्टेन्डर्ड एकड़ रखा गया है, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। गंगानगर को सेपरेट करके उस पर अलग विचार नहीं किया जायेगा। लैंड रिफॉर्मस के बारे में सारी बातों को साथ में रख कर साथ साथ विचार किया जायेगा। मैंने जितने फेक्ट्स में उनके आधार पर नोट ऑफ डिसेन्ट्स को डील किया है और फिगर्स पेश करने की कोशिश की है और यह बताया है कि जो स्टेन्डर्ड एकड़ सलेक्ट कमेटी ने रिकमेन्ड करके भेजा है और जिन वजूहात से रिकमेंड किया है वे वजूहात मैंने आपके सामने रखे हैं। एक बात यह भी कही गई कि सिलिंग की जरूरत नहीं है। यह स्पष्ट हो गया कि सीलिंग की जरूरत है या नहीं। जमीन पर जितनी तादाद में प्रेशर था वह बतलाया। भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुन्झुनू आदि स्थानों में प्रेशर कितना था और लैंड अवेलेबल कितनी होगी? भरतपुर और अलवर से आनेवाले माननीय सदस्य जानते हैं कि यहां पर कोई लैंड अवेलेबल है क्या? इसके अलावा क्या सीलिंग मुकर्रर की जाय खास करके शिड्यूल में एरियावाइज बताने की कोशिश की है उसमें ज्यादा डिसपेरिटी आयेगी इसलिए इस शिड्यूल को सलेक्ट कमेटी ने मंजूर नहीं किया है। इसके अलावा और डेफनेशन माननीय सदस्य चाहें जैसी रखने पर विचार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

जितनी कल्चरेबल वेस्ट लैंड रिपोर्ट में दर्ज है उसके अलावा ५० परसेन्ट एक्सक्लयूड कर सकते हैं। जयपुर की रिपोर्ट आई है उसको एग्जामिन कराया है और उसका जो रिजल्ट निकला वह पेश कर चुका हूं।

	Cultūrable land in acres—
According to land records	3,51,620
According to figures collected from Tehsils.	1, 65,177(1958-59)
Land Less Persons	42,621(1958-59)

(श्री दामोदरलाल व्यास)

येह तो वे हैं जो लैंड रेकार्ड में कल्चरेबल वेस्ट थी। इससे ज्यादा तहसीलदार से जाँच कराने से आई फरदर चेकिंग जब हुआ तो एरिया विद प्लाट ऑफ ५० इर्रिगेटेड एकड़ और मोर, २० लाख एकड़ निकला। Area less then 10 acres—60,000 acres Area, between 10 and 50 acres-40,000 acres. Area not available for coultivation such as Dols, Banjaras etc. जैसा मैं अर्ज कर रहा था, स्मॉल पेचेज, छोटे छोटे टुकड़े ४५ लाख एकड़ निकले, जो अवेलेबल हैं, १ बीघा का है, २ बीघा का है। यह एक डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट है। इसी तरह से सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जमीन मिलेगी, जो अनऑक्युपाइन्ड लैंड के नाम से दर्ज है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटि) : जयपुर के जो आँकड़े रखे हैं, इन आँकडों के हिसाब से ३० स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन कितने लोगों को दी जा सकती हैं उसका आइडिया हैं क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं वह पोईन्ट भी कह रहा हूं। एक विचारधारा यह है कि जितनी जमीन जिस जिसके पास में है, उसको; जितने लैंडलेस टिनेन्ट्स हैं उनमें बराबर बांट दी जाय।

That is another point.

श्री मुरलीधर व्यास : आपने आंकड़े रखे हैं कि जयपुर जिले में इतने लैंड लेस पर्सन्स हैं इतनी जमीन है इस हिसाब से कितने आदमियों को जमीन मिल सकती है ? इस एक जिले के भी फिगर्स दे सकते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : किस बात के फिगर्स ?

श्री मुरलीधर व्यास : लैंड लेस लेबर्स को कितनी जमीन दे सकते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि स्टेन्डर्ड एकड़ को वर्क-आउट करना पड़ेगा फ्रोम विलेज टू विलेज। This is one reason for taking into consideration or for working -out the formula of ceiling. कितनी जमीन ले सकेंगे लैंड लेस टिनेन्ट्स को देने के लिए But this cannot be this sole reason for this. मैंने अर्ज किया था कि सीलिंग इम्पोज करने के लिए यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि उनका लिविंग स्टेन्डर्ड एक रखना पसन्द करेंगे। आप जो फॉर्मुला बताते हैं और जैसा कि आपने पहले बतलाया कि जितनी जमीन है उसको बराबर तकसीम कर दीजिए, चाहे एक एक एकड़ पड़े। यह फार्मुला सीलिंग के लिए मंजूर नहीं किया जा सकता है और न सीलिंग की स्कीम इससे पूरी हो सकती है। इसकी मन्शा है कि काश्तकार के पास उतनी जमीन रहे कि जो लिविंग स्टेन्डर्ड रखना चाहते हैं वह रहे। जितनी हम चाहते हैं कि वह अपनी और अपनी फेमिली की गुजर कर सके। उसको रहने के, खाने के और पीने के साधन उपलब्ध हो सकें। उसके अलावा जितनी जमीन है वह लेकर लैंडलेस-लेबरर्स को दे दें। रहा सवाल यह कि एक डिस्ट्रिक्ट में कितना लैंड अवेलेबल हो जायगा यह वर्क-आउट करने की जरूरत है ...

श्री मुरलीधर व्यास : आपने रखा है कि सिलिंग इसलिए लागू किया जा रहा है

Page No.44

(श्री मुरलीधर व्यास)

कि लैंड--लेस टिनेन्टस को या जिनके पास अनइकॉनोमिक होल्डिंग हैं उनको जमीन मिल सके। यह जो बुनियादी चीज मानी गई है यह कहां तक हल हो सकेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बुनियादी सिद्धांत रखा है, इसीलिए सिलिंग इम्पोज कर रहे हैं। जितनी जमीन मिलेगी वह लैंड-लेस-टिनेन्ट्स को अलॉट करेंगे। अब हर गांव में कितनी जमीन मिल जायेगी यह बताना मुश्किल है।

श्री मुरलीधर व्यास : एक डिस्ट्रिक्ट की बता दीजिए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे खयाल से माननीय सदस्य इसको कैसे वर्क-आउट करेंगे, यह नहीं कह सकता लेकिन इसका वर्क-आउट करना आसान नहीं है। It is to be worked out on different classes of soil, different villages and different holdings and it is not easy to give a ready made answer here. कि कितनी एक डिस्ट्रिक्ट में आ जायेगी, यह मुमकिन नहीं है। ३० स्टेन्डर्ड एकड़ रख कर यह विचार करना है कि एक काश्तकार की मिनिमम इन्कम कितनी हो जाती है। इसके बाद यह सेकिंड पोइन्ट उस वक्त लेंगे जब मालूम होगा कि एक डिस्ट्रिक्ट में कितनी जमीन मिल जायेगी। अभी इसका जवाब नहीं मिल सकता है। यह बात जरूर है कि अगर आप सिलिंग कमेटी की रिपोर्ट देखेंगे तो पता लगेगा कि १०० एकड़ की जितनी होल्डिंग है, ५०० एकड़ की जितनी होल्डिंग है, १,००० एकड़ की जितनी होल्डिंग है उनसे यह अन्दाज लग सकता है कि राजस्थान में कितनी जमीन मिल जायेगी और कितने लैंड-लेस-टिनेन्ट्स को अलॉट कर सकेंगे। अभी हरएक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताना पोसिबल नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : उसको वर्क-आउट करके बताना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : I hope the Hon'ble Minister is concluding his reply.

श्री दामोदरलाल व्यास Yes Sir. जयपुर डिस्ट्रिक्ट का जो नक्शा बतलाया है उससे इस बात को बतलाना चाहता हूं कि छोटे २ टुकड़े हैं उनकी वजह से स्केल-अप हो गया है वर्ना लैंड-लेस टिनेन्ट्स को ज्यादा जमीन देने को नहीं है।

श्री होतीलाल (भरतपुर) : अलॉटमेंट प्रिफरेन्स अनईकॉनोमिक होल्डिंग्स को दिया जायेगा या लैंड-लेस को देने का इरादा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सेपरेट इश्यू है It is a separate issue. सीलिंग में आई जमीन को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें।

It is altogether a seperate issue and that will definately be allotted to landless tenants. Now the question of preference will be decided later on.

श्री मोतीलाल : एग्यूजेम्प्सन के लिए कहा, वह एकिजस्टिंग फार्म के लिए है या न्यू फार्म्स के लिए भी है।

श्री दामोदर लाल व्यास : आपने देखा होगा This is purely for existing farms. उसमें डेट दी हुई है। You can

(श्री दामोदरलाल व्यास)

put a date. किस तारीख से न्यू फार्म को कनवर्ट किया है। वैसे एक्जिसटिंग फार्म पर अप्लाई होगा।

श्री उपाध्यक्ष : So you have concluded it ?

श्री दामोदर लाल व्यास : Yes Sir. I have.

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Shribhan Singh. Are you withdrawing your motion ?

श्री गिरधारी लाल (नोखा) : ऑनए पोईन्ट ऑफ ऑर्डर सर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने मोशन मूव किया है कि इस बिल को प्रवर समिति को रेफर किया जाय उनको रिप्लाई का मौका नहीं दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : No right of reply exist.

श्री गिरधारी लाल : विथड्रॉ करने का सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : विथड्रा के प्रश्न पर स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता, रिप्लाई का अधिकार नहीं है।

श्री गिरधारी लाल : जहां तक मेरा ख्याल है, रिप्लाई देने का माननीय सदस्य को अधिकार है। रूल ७५ के उपनियम ३ में देख लीजिये।

श्री मुरलीधर व्यास (बिकानेर सिटी) : अधिकार होना चाहिए। क्योंकि जानकारी पूरी दी जा सकती है, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं विवश हूं, समय नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता।

श्री गिरधारी लाल : मैं रूल ७५ का हवाला देकर निवेदन करूंगा कि जिन माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव पेश किये हैं उनको मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : ऑनरेबल श्री श्रीभान सिंह।

श्री गिरधारीलाल : मेरे पोईन्ट ऑफ आर्डर का क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने निवेदन किया है कि समय नहीं है इसलिए वक्त नहीं दिया जा सकता।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : I beg leave of the House to withdraw my motion.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री श्रीभानसिंह जी ने प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री श्रीभानसिंह: I with draw my motion,

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

श्री गिरधारी लाल (नोखा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव था।

श्री उपाध्यक्ष : I have given my observation.

श्री गिरधारी लाल : मेरा प्रस्ताव था कि इस बिल को प्रवर समिति को दुबारा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रस्ताव सपोर्ट में रह गया है। प्रस्ताव श्री श्रीभानसिंह का था।

श्री गिरधारीलाल : इससे पहले का था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीभानसिंह का पहले का है।

श्री गिरधारी लाल : मेरा पहले का है।

श्री उपाध्यक्ष : On a point of time, Shri Shribhan Singh's motion was first.

श्री गिरधारी लाल : मेरा पहले का है, मैं कहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा हूँ कि श्री श्रीभानसिंह का प्रस्ताव पहले है, समय के अनुसार।

श्री गिरधारी लाल : मेरे पास समय है नहीं, नहीं तो मैं बताता कि मेरा पहले का है।

श्री उपाध्यक्ष : I can again satisfy the Hon'ble Member in the Chamber. I have said that his motion was the first.

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लया गया।

१२.५६ म० प०

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, ५६

(प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक पर विचार)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय........

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ मेरे साथ ट्रेजडी हो रही है। जिला परिषद् बिल की कॉपी मुझे नहीं मिल रही है। पिछली दफा, जब बिल हाउस में इन्ट्रोड्यूज हुआ उस वक्त भी नहीं मिली थी। आज सुबह मिली है। जहां तक मेरी सूचना है और सदस्यों को भी आज सर्क्यूलेट हुआ है। इसलिए जो तीन रोज का टाइम मिलना चाहिये वह नहीं मिला है। मैं समझता हूं कि कोई भी सदस्य ठीक तरह से प्रिपेअर्ड नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरी यह जानकारी है कि यह सर्क्यूलेट १६ की रात को हो गया है। जो सदस्य यहां नहीं थे उनको मिलने में विलम्ब हुआ। १६ को नहीं मिला और आज सुबह मिल गया है तो आज अध्ययन करके कल हिस्सा ले लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान पंचायत समिति व जिला परिषद् विधेयक, १९५९ को विचारार्थ लिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे मैं समझता हूँ कि जो यह विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया गया है इसको सलेक्ट कमेटी को रेफर करने के पहले इस पर काफी वाद-विवाद हुआ था और बहुत से विचार इस सदन के समक्ष आ

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

गए थे। सलेक्ट कमेटी की जो रिपोर्ट सदन के समक्ष है उसमें कुछ बातों पर विस्तार के साथ रोशनी डालने की कोशिश की गई है और कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए गए हैं। मैं सारी बातों के विस्तार में न जाकर इस समय, माननीय उपाध्यक्ष, सदन के समक्ष कुछ बातें ही रखना चाहता हूं।

जैसा कि सबको विदित है, राजस्थान के अन्दर पंचायत समिति के और जिला परिषद् के संगठन को जो बलवन्तराय कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, उस के आधार पर पूर्णरूप से सारे राजस्थान भर के अन्दर लागू करने का पहला कदम उठाया जा रहा है।

अन्यत्र कुछ ब्लॉक्स में इसका परीक्षण किया गया है, कुछ जगह जिलों के स्तर पर इसका परीक्षण किया जा रहा है। राजस्थान में उन ब्लॉक्स में और जहां पर ब्लॉक्स नहीं हैं उन पर भी इनको एक साथ राजस्थान में लागू कर रहे हैं और जिला परिषदों का निर्माण भी इसके साथ करने का निश्चय किया गया है। अभी अभी कुछ दिनों पहले यू. पी. ने विकेन्द्रीकरण के बारे में योजना बनाई। वहां जिलों के स्तर पर इसको लागू करने का सोचते हैं। बाकी राज्यों में इस पर अमल नहीं हुआ है।

स्वाभाविक बात है, जैसा कि सबको विदित है, राजस्थान में जो कुछ किया जा रहा है उसकी तरफ बहुत उत्सुकता भरी नजरों से देखते हैं कि हम जो करने जा रहे हैं उसकी योजना क्या है और इसका परिणाम क्या हुआ। राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रदेश समझा जाता है। जनतान्त्रिक परम्पराओं के लिहाज से भी राजस्थान में हम यह कहें कि काफी पुरानी जनतान्त्रिक परम्पराएं यहां कायम हो चुकी हैं तो यह भी ठीक नहीं। कुछ ही अर्सा हुआ है कि राजस्थान में हमने सामन्ती और पहले जो रजवाड़े थे उन प्रथाओं से निकल कर इस प्रणाली के अन्दर काम करना शुरू किया है लेकिन जो कुछ यहाँ ऐसी बातें हैं उसके बीचमें मैं जानता हूँ सभी माननीय सदस्यों को अनुभव हुआ होगा कि हमारी बहुत सी योजनाएं जो मूलतः विकास से सम्बन्धित हैं उनको गांवों में तेजी से सफल करने में हमें कामयाबी ज्यादा तभी होती है जब कि वहां के रहने वाले पंच, सरपंच या गैर सरकारी सदस्य उसमें रुचि लेते हों।

आज देश के सामने प्रश्न है कि किस तरह आर्थिक, सामाजिक विकास करें। जहां तक आर्थिक विकास करने की बात पैदा हो तो यह प्रश्न खड़ा होता है कि हमारा उत्पादन कैसे बढ़े, खेती-बाड़ी का, छोटे उद्योग-धंधों का जो गांवों में बिखरे हुए हैं उनका विकास कैसे कर सकते हैं, उनको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? इन चीजों को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि गाँवों के स्तर तक इस बात की कोशिश की जाय कि गांवों के लोग आपस में मिल-जुल कर उनके वहां के उत्पादन के सम्बन्ध में विचार करें और अपनी तरक्की कर सकें।

इस सम्बन्ध में कोम्युनिटी प्रोजेक्ट की देश भर में व्यवस्था की गई। उसके द्वारा लोगों में उत्साह पैदा हुआ। एक मंजिल तक हम पहुंचे पर एक मंजिल तक पहुँचने के बाद में मालूम हुआ कि विकेन्द्रित के तरीके से अगर इस काम को आगे

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

बढ़ायें तो ज्यादा तेजी से विकास हो सकता है। लोगों को अनुभव हुआ, काम करने के लिए स्वावलम्बन उनमें पैदा हुआ और देश के अन्दर आप और हम देखते हैं कि ज्यों ज्यों विकास व्यापक होता जाता है यह जरूरी हो जाता है कि एक चीज को केन्द्रित तरीके से चलाने के बजाय विकेन्द्रित तरीके से संगठित करते हैं तो परिणाम ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। पहले मामूली बज़ट था। काम कम था, साधारण था। उस समय से आज के समय में विस्तार काफी बढ़ गया और दिन दिन विस्तार से निश्चित रूप में बढ़ेगा। एक नहीं, दो नहीं २३२ ब्लॉक्स राजस्थान में होंगे। उनके लिए ऊपर से बैठ कर गांवों तक चलाया जाय तो मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। सिद्धान्ततः भी इस बात की आवश्यकता है कि गांवों के लोगों में हम इस भावना को पैदा करें कि वे अपने विकास के काम-काज में गांवों के निर्माण के लिए अपने पांवों पर खड़े हों, आत्मनिर्भर हों, उनमें हिम्मत आये, पर वह चीज केवल कहने मात्र से नहीं आती, इस दिशा में सक्रिय कदम उटाना होगा। यही हमने सोचा और यह सोचने के बाद बलतन्तराय कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसको आधार बना कर एक मसविदा, विधेयक सदन के सामने रखा और सलेक्ट कमेटी ने भी उस पर विचार किया कि जिससे गांवों के लोग ही आपस में मिल-जुल कर काम करें, उन्हें मिल-जुल कर काम करने का अवसर किस प्रकार दिया जाय, यह विधेयक आपके सामने है, इसमें उन दिशाओं का संकेत मिलता है।

इस समय राजस्थान में चाहे प्राइमरी स्कूल का टीचर हो, ग्राम सेवक हो उनका कन्ट्रोल बी. डी. ओ जिले के अफसरों के हाथ में रहता है। चाहे उनमें गांवों के लोग काम करते हों, उन लोगों को अपनी इच्छाओं का, अपने तरीके से सोचने का कि गांवों में किस तरह निर्माण करना चाहते हैं अवसर नहीं मिलता। उन लोगों में उत्साह पैदा नहीं होता तब तक राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश में और मैं समझता हूं दूसरी जगह भी, जिस गति से हम इस कार्य को चलाना चाहते हैं, मुश्किल होगा। इसलिए हमें अभी से ऐसा बना लेना होगा कि हम किस तरह अपना सारा स्वरूप बना लेना चाहते हैं। बाहर भी संसार में जहां जनतन्त्र चलते हैं या जनतन्त्र नहीं भी चलते हैं वहां की व्यवस्था को देखें तो पता चलेगा कि वहां उन्होंने बहुत विके-न्द्रित तरीके से काम चला रखा है। भारत में क्योंकि हम परतन्त्र थे, कुछ संस्थाएं बनीं, म्युनिसिपेलिटीज बनीं, पंचायतें बनीं पर विकास का कार्य इतना ज्यादा नहीं था इस वजह से और दूसरे उस समय जो शासन व्यवस्था थी वह विदेशी थी इन कारणों से यहां प्रगति इतनी नहीं हुई।

विकास के-साथ साथ हमारे यहां भविष्य की बात सामने रखें तो हम इस परिणाम पर पहुँचेंगे कि हम गांवों के लोगों को इस बात का अवसर दें कि वे खुद बैठ कर अपने भविष्य के बारे में सोच सकें। पंचायत समि-तियों का निर्माण और गठन इसमें रखा गया है। उसके बारे में सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि जो गांवों में सरपंच डाइरेक्टली लोगों द्वारा चुने जाते हैं उनको ही माना है कि वे पंचायत समिति के सदस्य होंगे। व्यवस्था यह भी हो सकती थी कि पंचायतों के सभी सदस्य, पंच और सरपंच सभी मिल कर पंचायत समिति

Page No.49

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

की व्यवस्था करें पर सरपंच डाइरेक्टली जनता द्वारा चुने हुए हैं, उनको डाइरेक्टली स्थान दिया है। इसमें नामजादगी का नाम न रखकर कोऑप्शन की गुंजाइश इसमें रखी है वे लोग जो कि एक्सपर्ट हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उनको वे चाहें तो कोऑप्ट कर लें। इस तरह पंचायत समिति के गठन की कल्पना की गई है।

वैसे पंचायत समिति द्वारा हम जो कार्यक्रम राजस्थान में चलाना चाहते हैं वह कितना महत्वपूर्ण है, इसका अन्दाज इससे हो सकता है कि अभी हमने जो थोड़ी बहुत जानकारी की उससे जो अन्दाज होता है वह यह होता है कि अक्टूबर से मार्च के आखिर तक मतलब कि बाकी के ६ महीनों में करीब ४ करोड़ रुपयों का विकास का कार्य पंचायत समिति के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में किया जायेगा। आगामी वर्षों में हमें यह समझ कर चलना चाहिए कि करीब ६ करोड़ रुपयों के आसपास का काम अलग अलग क्षेत्रों में पंचायतों के द्वारा होने के लिए उनको सौंप रहे हैं वह काम किया जावेगा। वह काम काफी बड़ा काम है जिसके विकेन्द्रीकरण की योजना हमने स्वीकार की है। जब हम इस योजना को स्वीकार करते हैं तो यह स्वाभाविक बात है कि जो कुछ काम आज चल रहे हैं ब्लॉकों में उनमें सुधार होना चाहिये और उन कामों में तेजी आनी चाहिटे और कोई इस प्रकार की स्थिति पैदा न हो कि जिससे जो आज प्रगति हो रही है उससे भी पीछे हट जावें। इसके लिए इस सम्बन्ध में जितने प्रिकॉशन्स लिये जा सकते हैं लेने के लिए पूरा-पूरा ध्यान रखा है। हमने गवर्नमेन्ट ऑफिसर्स को, बी. डी. ओज. को गजेटेड ऑफिसर मान कर ब्लॉक्स में रखा है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल पंचायत समिति का रहेगा मगर दूसरा स्टाफ बी.डी. ओ. आदि के अन्डर में होगा। उस पर एग्जिक्यूटिव ऑफिसर का कन्ट्रोल रहेगा और वह उस पर अपना कन्ट्रोल रखेगा जिससे काम-काज की गति बराबर चलती रहे, इसको ध्यान में रखा है। जिससे जो काम चलता है उसमें किसी तरह ढिलाई न हो और इसके अलावा और जो काम हैं उनकी उन्नति हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख कर व्यवस्था की है। कुछ माननीय सदस्य कहा करते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था से बहुत जगह गड़बड़ हो जावेगी वह भी नहीं हो पावेगी और हम आगे इस काम को बढ़ाते हुए चलेंगे। इस व्यवस्था को करने में सबसे बड़ा प्रश्न है कि जब इतने करोड़ों रुपयों को खर्च करने का अधिकार पंचायत समिति को सौंपा जाता है या जिला परिषद् को सौंपा जाता है तो यह स्वाभाविक है कि हजारों आदमी राजस्थान में फैले हुए पंचायत समिति की सर्विसेज में होंगे जैसे टीचर्स, ग्रामसेवक, स्टोक मैन, फिल्ड. मैन आदि। ऐसे बहुत से व्यक्ति होंगे काम काज में लगे हुए उनके सम्बन्ध में भी यह आवश्यक है कि जो भी व्यवस्था काम करती है और आज भी है और जो ट्रान्सफर्स होंगे पंचायत कमेटी अपने अपने क्षेत्रों में काम करने के लिए, उनके लिए आगे जो व्यवस्था होती है उनके दिमाग में यह सिक्योरिटी होनी चाहिए कि जो काम करते हैं वे कभी भी चाहे मैजोरिटी से या एक व्यक्ति की इच्छा से, कोई टीचर या ग्रामसेवक या और कोई अधिकारी हो उसको अपनी इच्छा से न निकाल दे या अमुक आदमी को जो किसी दूसरी सर्विसेज में है उसको ग्रामसेवक बनादें या टीचर को ग्रामसेवक बना कर ग्रामसेवक

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

को टीचर बना दे। तो इसमें पंचायत समिति के लोगों में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है और सर्विसेज में भी सिक्योरिटी की फीलिंग नहीं रहेगी तो इसको रोकना उचित होगा। क्योंकि आज हजारों की तादाद में टीचर्स की ट्रान्सफर होती हैं। आज उनकी सिक्योरिटी रखना बहुत जरूरी है। इन सब बातों को लक्ष्य में रखते हुए हमने इस बात का प्रावधान किया है कि सर्विसेज के बारे में एक्शन लें और रिटक्रूमेन्ट के बारे में व्यवस्था करें। इसके अलावा पर्सनल नहीं हो और व्यक्ति के खिलाफ डिसिप्लेनरी ऐक्शन के बारे में कोई बात आवे तो इसके लिए अलग अलग रिप्रेजेन्टेशन करने की बात है, इन सब चीजों की व्यवस्था यहां की है। अगर यह व्यवस्था यहां नहीं रहती है तो बहुत सी बातों का खतरा रहता है। क्योंकि अगर एक आदमी फ्रीली काम करने लगता है और उसको जो कुछ बन्दिशें हैं सर्विसेज के कायदे कानून उस पर लागू हैं लेकिन वे लागू रहते हुए भी किसी की इच्छा पर वे काम करें और न काम करने पर उनको निकाल दिया जावे तो इससे बहुत बड़ा अन्तर काम की एफिशियेन्सी पर पड़ जाता है इसलिए यह चीज यहाँ रखी है।साथ ही साथ हम वहां पर गजेटेड ऑफिसर को भेजते हैं उसके बारे में यह प्रश्न आता है कि अगर सारी पंचायत समिति उसके खिलाफ हो और फिर भी उस अधिकारी को राज्य सरकार उन पर थोपे रखे तो वह काम जिसके लिए व्यक्ति को एपोईन्ट किया जाता हैं खतम हो जाता है और पंचायत समिति का पर्पज समाप्त हो जाता है इसलिये इस लिहाज से सलेक्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें यह रखा है कि तीन चौथाई की मेजोरिटी से यदि पंचायत समिति यह तय करती है कि इस अधिकारी को यहां नहीं रखा जावे, यह ऑफिसर ठीक काम नहीं करता है तो उसको यहां से हटा दिया जाना चाहिए तो उसके प्रस्ताव पास करने पर राज्य सरकार उस पर कार्यवाही करेगी। यह रखना आवश्यक है जिससे रात दिन यह भी सिलसिला नहीं रहे कि इसको हटाइये।

हमारे यहां पर जो पंचायत समिति और जिला परिषद् हैं वहां पर यह व्यवस्था की है कि चेअरमैन इलेक्टेड होगा। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि बलवन्तराय कमेटी ने कुछ वर्ष के लिये पंचायत समिति का चेअरमैन एस. डी. ओ. को रखने के लिए माना था। मगर हमने यहां पर यह व्यवस्था की है कि वह इलेक्टेड हो। इसी प्रकार हमने यह किया है कि जिला परिषद् का चेअरमैन भी इलेक्टेड हो, यह व्यवस्था हमने की है। यह बलवन्तराय कमेटी की रिपोर्ट में और हमारे यहां फर्क है। पंचायत समिति का चेअरमैन इलेक्टेड होगा और उसी तरह से जिला परिषद् के चेअरमैन को भी इलेक्टेड रखा है।

इस व्यवस्था के रखने के बाद में रात दिन के काम काज के लिए शुरू ही में इसमें स्टेंडिंग कमेटी का प्रोविजन रखा है कि स्टेन्डिग कमेटी बनावें। उसके काम काज के लिए आर्थिक व्यवस्था का प्रश्न कई बार खड़ा होता है और बहुत से क्वार्टर्स में कहा जाता है कि पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ करने के लिये लैण्ड रेवेन्यू का २५ प्रतिशत या ४० प्रतिशत अलग रखा जावे लेकिन हमने इसमें व्यवस्था की है। सलेक्ट कमेटी

Page No.51

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

ने इसमें यह व्यवस्था की है कि २५ नये पैसे पर-हैड। यदि वहां की आबादी १२० या १३० लाख के आसपास समझें तो उससे ३२ या ३४ लाख के आसपास ग्रान्ट इन एड के तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से दी जावेगी। इसके सिवाय मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्यों की जानकारी में है कि १।८ परसेन्ट के करीब का खर्चा आता है, उस धन को मिला कर ५५ लाख के आसपास होगा। वहलैन्ड रेवेन्यू के पार्ट में से कहिये, टोटल में से कहिये, वह पंचायत समिति को एडहोक दे दिया जायेगा। इसके अलावा सारे राजस्थान भर में सारी जगह पंचायत समितियों को २५ प्रतिशत दिया जावेगा। इसके अलावा बलवन्तराय कमेटी की रिपोर्ट थी उसके अनुसार बहुत सी चीजें उनको ट्रान्सफर करने की थीं, जैसे प्राईमरी एज्युकेशन आदि जिससे यह सारी की सारी लाईबिलिटी उन पर ट्रान्सफर करते। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि जो काम-काज पंचायत समितियों द्वारा किया जावेगा उसमें करीब करीब ७ या ८ करोड़ के आसपास बजट होता है और अगले साल तो मैं समझता हूँ कि इससे भी ज्यादा ६ करोड़ के आसपास बजट होगा जबकि नेट कलेक्शन ५ या ६ करोड़ के आसपास होता होगा। इसमें एरियर और दूसरे जो लैन्ड रेवेन्यू कलेक्शन पर खर्चा होता है वह शामिल है। इसको निकाल कर नेट वर्क-आउट करें तो वह इससे ज्यादा हो जाता है। लेकिन हमने देखा है कि राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहाँ एक ब्लॉक लैण्ड रेवेन्यू टीक होती है और ५ लाख हो सकती है मगर एक डेजर्ट के ब्लॉक की लैण्ड रेवेन्यू ऐसी है जो ५० हजार हो सकती हैं, दूसरी जगह कहीं ज्यादा और कहीं कम हो सकता है। इसलिए ऑल राउन्ड फ्लेट परसेन्टेज की बात आती है तो उसमें बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं। असल में प्रश्न यह है कि हम किस प्रकार से उनके रिसोर्सेज में, पंचायत समिति के काम-काज में हैल्प करें, इस चीज को ध्यान में रखा गया है और उन्हें एडहोक-ग्रान्ट के तौर पर और दूसरे ग्रान्ट हैं और लोन वगैरह और भी दिये जाते हैं। इस पंचायत समिति के फाईनेन्स को ज्यादा सुदृढ़ किया जावे, उसको ध्यान में रख कर चल रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि उससे पंचायत समितियों के परसेन्टेज और दूसरे प्रश्नों से कोई फर्क नहीं पड़ता।

दूसरी बात, माननीय उपाध्यक्षजी, यह देखने की है कि जो कुछ यहाँ हम तय करते हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए करना है कि प्लान के टोटल रिसोर्सेज की जो पोजिशन है वह एक ही है। सारे हिन्दुस्तान की दृष्टि से एक है। राजस्थान को यह देख कर चलना होगा कि जो रिसोर्सेज ट्रान्सफर करते हैं उनका कुल असर सारे राजस्थान पर क्या पड़ता है। स्कीम के बारे में कह सकते हैं कि प्राइमरी स्कूलों की रेस्पोन्सिबिलिटी पंचायतों की होगी। उनको फन्डस प्रोवाइड न करें और सारा वे ही कर लेंगे, यह मुश्किल है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्राइमरी एजुकेशन हम शत प्रतिशत दे सकें, पंचायत समितियों के लिए परसेन्टेज तय करके हम फैसला कर दें कि ये उनको काम सौंपा जाता है। दूसरी बातें और कई हो रही हैं उनको वे पूरा कर सकें, उनको निगाह में रखते हुए जो टरगेट्स हमारे हैं, जो हमारी स्थिति है,

Page No.52

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जहां सुविधाओं की आवश्यकता है, वे हम ज्यादा से ज्यादा दें।

डिसेन्ट्रेलाइजेशन में इस बात का भी प्रयत्न किया है कि जहां जिला परिषदों का हम निर्माण कर रहे हैं उनके विषय में मैं विशेष तौर पर निवेदन चाहूँगा कि जिला परिषदों को कायम करने का मूल कारण यह है कि जिला परिषदों के सदस्य हैं वे एल्डरली पर्सन्स की तरह, पंचायत समितियों को ज्यादा से ज्यादा स्वावलम्बी बन कर काम काज चला सकें, उसके लिए उनको सलाह देना, कोऑर्डिनेशन करने का उनका मुख्य काम है। जिलों के स्तर पर डिसेन्ट्रेलाइजेशन हो रहा है यह मान कर चलना उचित नहीं होगा। इसको हम ब्लॉक लेवल पर ही कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करूँगा कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्समें पंचायत समितियाँ बजट बनाती हैं। उनको एक साथ जिला परिषदों में, जिला परिषद् के प्रधान, एम. एल. ए., एम. पी., उनको सोच कर राय दें कि सारे जिलों में कैसे काम कर रहे हैं। एक दूसरे के विचारों के आदान-प्रदान का वह फोरम है। सारे डिस्ट्रिक्ट का क्या प्लान होगा? दूसरा यह भी रखा है कि कुछ चीजें हम पंचायत समितियों को हैन्ड ओवर नहीं कर रहे हैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, इरीगेशन के वर्क्स हैं और चीजें हैं। उनके विषय में जिला परिषदों में बैठ कर सम्बन्धित अफसरों के सामने उनके संबंध में क्या प्रोग्रेस है उन पर विचार कर सकें इसके लिए गुन्जाइश हो उसकी बहुत आवश्यकता हो जाती है। यदि जिले के स्तर पर स्टेट्युटरी और एक्जीक्युटिव पावर्स की कल्पना करें तो इसका स्वाभाविक मतलब होगा कि हायर बॉडीज में इलेक्ट होकर आये और लोअर बॉडीज में जाकर एक्जीक्युटिव की तरह फन्क्शन करने लग जायँ, जो कि कहीं कहीं होता। बहुत जगह यह प्रश्न खड़ा होता है कि एम. एल. एज. एम. पीज हैं, जिस तरह से सरपंच होता है उसी तरह से पंचायत समितियों में होने चाहिये और उसके मेम्बर होने चाहिये। तो मैं नम्रता पूर्वक यह अर्ज करना चाहता हूं कि डिसेन्ट्रे-लाजेशन के अन्तर्गत जो संगठन हम बनाने जा रहे हैं उसमें ऊपर के व्यक्ति एक्सऑफि-शियों मेम्बर की तरह नीचे की बॉडीज में जाकर बैठें, यह तो किसी डिसेन्ट्रेलाइजेशन की व्यवस्था में नहीं होता है। बहुत सी जगहों की इस विषय में जानकारी की है। फॉरेन कन्ट्रीज में जहां जहां डिसेन्ट्रेलाईजेशन की व्यवस्था है उनमें मान लें, कि पार्लियामेन्ट के एक्स ऑफिशियो मेम्बर होकर लन्दन में बैठे, कहीं म्युनिसिपेलिटीज के मेम्बर कहीं बन जांय और वे ही एक्स-ऑफिशियों पंचायत समिति में स्वाभाविक तौर पर मेम्बर हो जांय, वह डिसेन्ट्रेलाईजेशन की कल्पना नहीं होती। वे जिस पर्पज के लिए होते हैं उसकी बॉडी के स्टेट्युटरी पावर्स रखे हैं। जहां इस विधेयक को पारित करने जा रहे हैं तो हमें इस लक्ष्य को भी ध्यान में रखना होगा कि जो डिसेन्ट्रेलाईज्ड बॉडी है और डिसेन्ट्रे-लाईज्ड बॉडी के फाइनेन्स को कौन कन्ट्रोल करे? इस पर्पज के लिए जो इलेक्ट होते हैं, वे इलेक्टेड मेम्बर्स प्लस कोऑप्टेड मेम्बर्स, वे तो कर सकते हैं। एक सरपंच चाहता है उस ब्लॉक का या १५ सरपंच उसके मेम्बर हैं वे चाहें या न चाहें एक्स ऑफिशियों मेम्बर होकर आयेंगे, वहां डिसेन्ट्रेलाईजेशन से वह मेल नहीं खाता है। इसलिये एक्स-ऑफिशियों की तरह एम. एल. ए., एम. पीज उसके मेम्बर हों यह

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हमने नहीं रखा है। माननीय सदस्य उस स्प्रिट में इस पर पूरी तरह से विचार करेंगे। पंचायतों को अधिकार दिये हैं, म्युनिसिपेलिटीज को अधिकार दिये हैं। म्युनिसिपेलिटीज के अन्दर भी ब्लॉक्स होते हैं, कहीं म्युनिसिपेलिटी के चार ब्लॉक हो सकते हैं, उसकी तादाद बढ़ सकती है, जैसे जयपुर में पांच ब्लॉक हो जाय, उनमें एम. एल. एज. एम. पीज एक्स-ऑफिशियों की तरह नहीं होते हैं, इस बात पर सोचें। वैसा ही हो जाय जैसा कि मैंने ऊपर निवेदन किया तो कानून के साथ साथ ऐसा फैसला करते हैं तो मैं निवेदन करूँगा कि जहाँ डिसेन्ट्रेलाइजेशन हम से एडवान्स स्टेज पर है वहां भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है।

तीसरा, उपाध्यक्ष महोदय, सारी व्यवस्था के अन्दर इस बात को निरन्तर लक्ष्य में रखा गया है कि जहां फाइनेन्स को डील करने का प्रश्न है, अकाउन्ट्स का प्रश्न है, गवर्नमेन्ट के स्थाई तौर से गवर्नमेन्ट सरवेन्ट्स हैं या लोकल बॉडीज के सरवन्ट्स हैं वे उनको लुक आफ्टर करें और उनकी कस्टडी में वे रहें क्योंकि नॉन-ऑफिशियल्स हिसाब किताब रखने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होते। जिनके ऊपर की यह व्यवस्था रहे और आगे जाकर शिकायतें हों इस सम्बन्ध में तो, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है। साथ ही यह भी रखा गया है कि जो सर्विसेज में होंगे, जो कुछ फन्ड्स वहां पर हैं उनको तनख्वाह के लिये प्रायोरिटी होनी चाहिये जिससे कि उनको वक्त पर तनख्वाह मिल सके। कुछ जगह म्युनिसिपेलिटीज के अन्तर्गत स्कूल शुरू हुए। कुछ पंचायतों में भी। इस सम्बन्ध में काफी दिक्कतें आई कि उन लोगों को समय पर तनख्वाह नहीं मिलती। मेंइस के लिए भी दिक्कतें आई। उन सारी परिस्थितियों को सामने रख कर ही हमको चलना होगा जिससे कि असन्तोष न हो और जो स्टाफ रखा जाता है वह सारी चीजों को वक्त पर पूरा कर सके।

और एक बात सामने आई कि जो विधेयक आया है उसके अन्दर कलेक्टर को एक्जीक्युटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट, जिला परिषदों का नहीं बनाया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बलवन्तराय मेहता कमेटी की व्यवस्था को ऊपर से नीचे तक सोचा। उसमें ज्यादा भावना यह है कि यह ट्रान्जिशनल पिरीयड है और इसलिए ऑफिसर्स और चेयरमैन दोनों जगह रख कर एक प्रकार का कन्ट्रोल एक्सरसाइज करें। हमने इसमें मूलभूत परिवर्तन किया है कि इलेक्टेड चेयरमैन हो वहां। जब इलेक्टेड चेयरमैन की व्यवस्था कर सकें तो और बातों को ध्यान में रख कर सोचा कि अलग अलग कलेक्टर्स हैं उनको कॉन्फलिक्ट में पड़ने जैसी स्थिति में नहीं रखना चाहिये क्योंकि कलेक्टर्स के ऊपर डिसेन्ट्रेलाईजेशन के अलावा रेवेन्यू, लॉ एन्ड ऑर्डर और प्लान के डिस्ट्रिक्ट में जो काम चल रहे हैं उनको देखने का काम मुख्य तौर पर रहेगा। जब कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की स्थिति ऐसी है कि जो पंचायत समिति के फंक्शन्स हैं उनको इम्प्लीमेन्ट करने वाले वे ही एक्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं इसलिए हम उनको फिक्स करते हैं। यह कहा जा सकता है कि कलेक्टर केवल जिला परिषदों के डिसीजन्स को इम्प्लीमेन्ट करने वाले ऑफिसर नहीं हैं, वे तो एक प्रकार से को-ऑर्डिनेट करने वाले ऑफिसर होते हैं। दूसरी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

तरफ उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी और अलग है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति को देखना भी उनका कर्तव्य है और उनकी ड्यूटी है। इसलिए अगर कलेक्टर को एक्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाते हैं और उनको फुलफ्लेज्ड मेम्बर बनाते है, वोट देने का राईट देते हैं तो यह हमने उचित नहीं समझा। हमने इसमें यह रखा है कि कलेक्टर मेम्बर होगा। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट ऑफिसर की तौर पर वह वहां रहेगा। नोन वोटिंग मेम्बर की तरह वह वहां उपस्थित रहेगा ताकि जो कुछ भी वहां तय हो उसकी जानकारी उसको रहे। इसके साथ साथ हमने यह भी व्यवस्था की है कि कलेक्टर की यह ड्यूटी होगी कि जिला परिषदें जो भी फैसला करें वह अमल में आता है या नहीं उसको देखें। चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह वह यह देखे कि उनके द्वारा जो फैसले होते हैं वे इम्पलीमेंट होते हैं या नहीं जिला परिषदों में जो भी फैसले होते हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने के बारे में वह ध्यान रखेगा। इसके अलावा कलेक्टर्स जो कुछ बजट्स आते हैं तहसील पंचायत समितियों की उन बजट्स पर राय लेकर जिला परिषदों के सामने रखेगा। वहां भी कलेक्टर की व्यवस्था इस आशय से की गई है कि कलेक्टर अपने अनुभव के आधार पर जो बजट्स तैयार होते हैं अलग अलग टार्गेट्स जो फिक्स्ड हैं उनमें किसको प्रायोरिटी देनी है इस व्यवस्था को वह जिला परिषद् के नोटिस में ले आये। उसमें किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता हो तो जिला परिषद के सामने एक प्रीप्रेटरी नोट्स की तरह आ जाता है तो फिर जिला परिषद् के सामने निर्णय करना आसान हो जाता है। वह उस पर निर्णय कर सकती है कि इसको ध्यान में रखते हुए क्या किया जाना चाहिए। आखिर अन्तिम निर्णय का अधिकार तो पंचायत समितियों को है। सब प्रधान उसके मेम्बर होते हैं तो वे जाकर अपने अपने क्षेत्र में जो कुछ भी निर्णय होता है उससे अवगत करा सकते हैं। उसमें किस प्रकार खामी है, क्या क्या डिसकसन्स हुए वे पंचायत समिति के सामने रख सकते हैं। कलेक्टर को हमने उसकी सुपिरियर पोजिशन है इस लिहाज से नहीं रखा बल्कि जिला परिषद की कार्यक्षमता बढ़े इस लिहाज से रखा है लेकिन उनकी ड्यूटिज और काम काज इस प्रकार के हैं कि अगर हम कलेक्टर को वोट देने वाला और उसका सर्वेसर्वा बना देते हैं तो उसमें कम्प्लीकेशन्स ज्यादा पैदा होंगे इस लिहाज से हमने इस प्रकार की व्यवस्था रखी है।

दूसरा निवेदन यह करना है कि ऑफिसर्स को पंचायत समिति या जिला परिषदों का मेम्बर बना दिया जाता है तो सारी चीजें योजना की उस पर निर्भर करती हैं। ऑफिसर्स यह समझने लगते हैं कि हमें डोमिनेट करना है तो उसमें खतरा है दूसरी तरफ यह समझा जाय कि उनको काम काज का अनुभव है यह समझकर वे वहां पर रहते हैं तो आवश्यक काम काज के बजाय कॉन्फलिक्ट स्थिति पैदा हो जायेगी। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि ऑफिसर्स के कौन एटीड्यूड की जो सरकार द्वारा अपेक्षा की जाती है वह सलाहकार के रूप में और दूसरी तरफ जो फैसले पंचायत समितियाँ करती हैं उनको एक्जीक्यूट करने के लिए वहां रखा है इसी साइकोलोजी में हमें बैठना है।

दूसरी तरफ दूसरे जो मेम्बर्स हैं वे दिन प्रतिदिन के जो कार्य होते हैं उनकी उलझन

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

में पड़ सकते हैं। वे उलझनों में न पड़े इस बारे में भी उनको सलाह देना है। इस तरह से दोनों का समन्वय स्थापित हो सके और विकास के कामकाज के अन्दर तीव्र गति आ सके और विकास के कार्य तेज गति से आगे बढ़ सकें, ये ही मुख्य चीजें हैं।

इसके अलावा औरभी बातें रखी हैं, यूनॉनिमसली फैसले के लिए भी कुछ बातें रखी हैं। एक राय से फैसला जिस चीज के बारे में हो जाता है वह काम काज शुरू हो जाना चाहिए और बहुत से काम काज बहुमत के निर्णय पर भी शुरू हो सकते हैं, इस प्रकार की बातें भी रखी हैं। एक मत होना इसलिए आवश्यक रखा है कि ऐसा देखा गया है कि गाँव के अन्दर किसी बात को लेकर गांव का बंटवारा हो जाता है। वहां अनेक पार्टियाँ बन जाती हैं जैसे एक कुंआ बनाना है तो उसके लिए जो स्थान चुना जाता है उसमें लोगों का मतभेद हो सकता है। इसलिए यह रखा गया है कि कुछ चीजों के बारे में एक मत हो या ज्यादा से ज्यादा मत हो तो वह शुरू हो जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि गांव वाले एक दूसरे के नजदीक में आकर फैसला कर सकते हैं। इसमें ऐसा है कि गांव वाले जितना मिलकर कार्य करेंगे उतनी ही ज्यादा सफलता उनको मिलेगी। जितनी पंचायत समितियों में आपसी भेदभाव कम होगा और उत्साहपूर्वक कार्य करेंगे तो यह निश्चय है कि वहां विकास को अधिक सफलता मिलने वाली है। इसलिए पंचायतों और पंचायत समितियों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है। और वे इस बात की कोशिश करें कि राजनैतिक दृष्टि इस काम काज में न रखें केवल देश और प्रान्त के विकास की दृष्टि रक्खेंगे तो उनमें स्वावलम्बन आयेगा। आत्मनिर्भरता आयेगी तो हमारी गति विकास के कार्य में आगे बढ़ सकती है। सदियों से इस प्रान्त को पिछड़ा हुआ माना है। जहां हमारी आदत ऊपर से देखने की बन गई है लेकिन मानव में जो शक्ति छिपी हुई है वह शक्ति यदि जाग्रत हो जाती है तो वह किसी भी दूसरी शक्ति के मुकाबले देश को आगे बढ़ा सकती है, इसी को ध्यान में रखते हुए यह यह बिल रखा गया है।

टैक्सेज के सम्बन्ध में भी हमने यह व्यवस्था की है। हमने लिस्ट चाहे कितनी बड़ी रख दी हो लेकिन वे सब कम्पलसरी टैक्स के रूप में रख दिए हों, यह बात नहीं है। ओबलिगेटरी टैक्सेज के रूप में है यह वहां की परिस्थिति पर निर्भर करते हैं और उसको देखते हुए ही वे फैसला करें। किस प्रकार के रिसोर्सेज किस परिस्थिति के अन्दर क्या क्या बैठ सकते हैं यह उन समितियों पर निर्भर करता है। हो सकता है कुछ पंचायत समितियां यह समझें कि अलग अलग टैक्स लगाने के बजाय सालाना कुछ रकम ले ली जाय या साल में दो दफा इकट्ठा करें, यह तो वहां रिसोर्सेज और परिस्थिति को सामने रखते हुए किस प्रकार के रिसोर्सेज टैक्स के हैं वे लागू कर सकते हैं। यह सही बात है कि राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है और साथ साथ यह भी है कि सारी पंचायतों में ही किसी न किसी प्रकार के झगड़े हों, यह बात नहीं है। जो कुछ भी तय किया जायेगा आज जो स्थिति चल रही है उसको देखते हुए उसमें फर्क अवश्य पड़ जायेगा.

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

नम्रतापूर्वक मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि झगड़े कुछ जगह हो सकते हैं लेकिन उन झगड़ों की वजह से हम यह समझें यह सारे राजस्थान के अन्दर लागू न करें, यह उचित भी नहीं और ठीक भी नहीं है। आज सैंकड़ों ही नहीं हजारों उदाहरण ऐसे हैं जिनमें आम लोग यह समझने लगे हैं कि अपना निर्माण स्वयं अपन ही कर सकते हैं और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ही पंचायतें सक्रिय रूप से निर्माण कार्य में जुटी हुई हैं। यह योजना इस पर निर्भर करती है कि मनुष्य शक्ति पर हमें निर्भर करना है। जनतन्त्र में आखिर जनशक्ति के अन्दर विश्वास करने का यह प्रश्न है। इसके साथ अगर इस योजना को लागू की जाय और हम इसके लिए जितना सहयोग चाहिये वह दें तो चाहे पिछड़े जमाने में भले ही हम पिछड़े रहे हों, हमारे पूर्वज रहे हों, छोटे-मोटे झगड़ों को पीछे रखते हुए हमें इस कार्य में इतनी तेजी से लग जाना है ताकि हमें सब तरफ से उचित वातावरण और उचित सहयोग मिले तो जिस चीज की हम कल्पना कर रहे हैं वह साकार रूप में परिणत हो सकती है और राजस्थान को आगे बढ़ाने में हम सफल हो सकते हैं इन शब्दों के साथ यह रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करता हूँ।

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल को देखा और सलेक्ट कमेटी से इसका जो ड्राफ्ट आया है उसको भी देखा। मैं समझता हूँ कि सलेक्ट कमेटी से जो ड्राफ्ट आया है वह ओरीजिनल बिल से भी ज्यादा खराब है, रिट्रोग्रेड है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के ऊपर विचार करने के लिए हमें सबसे पहले इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हम डीसेन्ट्रेलाइजेशन का क्या मतलब निकालते हैं। इस बिल का पंचायत समिति और परिषद् का जो प्रोसेस है और डीसेन्ट्रेलाइजेशन का और इस बिल का आइडिया जिन्होंने दिया है वह बलवंतराय मेहता कमेटी ने क्या डेफीनेशन डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन की दी है वह मैं सबसे पहले आपके सामने पेश करूंगा।

१. ४० मं० प०

(श्री मुरलीधर व्यास, सभापति, पदासीन)

डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन के लिए उनकी रिपोर्ट के वोल्यूम १ के पेज ७ और पैरा २ में कहा गया है :

"It is not infrequently that delegation of powers is mistaken for Decentralisation. The former does not divest Government of the ultimate responsibility of the actions of the authorities to whom power is delegated. This authority is under the control of the Government and is in every way subordinate to it. Decentralisation, no the other hand, is a process whereby the Goverment divests itself completely of certain duties and responsibilities and devolves them on to some other authority." सभापति महोदय, यह डीसेन्ट्रेलाइजेशन का डेफीनेशन है। उन्होंने डिस्टिंक्शन किया है डेलीगेशन ऑफ पावर्स में और डीसेन्ट्रलाइजेशन में। उन्होंने बताया है कि इन दोनों में क्या फर्क है। डेलीगेशन ऑफ पावर्स में यह होता है कि अल्टीमेटली कन्ट्रोल जो वह गवर्नमेन्ट के पास रह जाता है और अल्टीमेट रेस्पोन्सी-

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

बिलिटी गवर्नमेंट के पास रह जाती है। लेकिन जो डीसेन्ट्रेलाइजेशन हैं उसमें सर्टेन आईटम्स के लिए The Government completely divests itself of responsibility' यानि कुछ मुद्दों के लिए, कुछ पोइन्ट्स के लिए, कुछ आईटम्स के लिए, कुछ विषयों के लिए अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रखती है वह सारी की सारी एक लोअर बॉडी को दे देती है 'बाई स्टेचुटरी प्रोविजन्स' तो उसको डीसेन्ट्रेलाइजेशन कहते हैं। यह जो डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन का बिल है उसको सही माने में हमें देखना है कि आया यह डीसेन्ट्रेलाईजेशन है या डेलीगेशन ऑफ पावर्स है। तो हमें देखना चाहिए कि इस बिल में एक्चुएली डेलीगेशन ऑफ पावर्स हुआ है या डीसेन्ट्रेलाइजेशन हुआ है। गवर्नमेन्ट ने अपनी सारी की सारी जो पावर्स हैं फोर सर्टेन आइटम्स उन्होंने कम्प्लीटली अपनी रेस्पान्सिबिलिटी डाइवेस्ट की है या नहीं इस चीज को गौर से देखें तो हम इस नतीजे पर आ सकते हैं कि अगर इस बिल को हम पास करते हैं तो वह डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन है नहीं तो वह डेलीगेशन ऑफ पॉवर्स की डेफीनेशन में आता है। सभापति महोदय, इस बिल में जो आइडिया दिया गया है वह कोई हमारे हिन्दुस्तान के लिए बहुत नया आइडिया हो, ऐसी बात नहीं है। जहां तक आपको जानकारी है कि जो लोकल बॉडीज का आइडिया है वह हिन्दुस्तान में दूसरे मुल्कों के बनस्बित पहले से ही था और यहां लोकल बॉडीज के इन्स्टीट्यूशन्स थे। उनके पास जितनी पावर्स थी उतनी दुनियां के किसी भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बॉडी के पास नहीं थी। वे पावर्स और जो ऐसी इन्स्टीट्यूशन्स थीं वे आफ्टर दी फाल ऑफ मुगल एम्पायर, मुगलों के खत्म हो जाने के बाद में ब्रिटिशर्स आये तो करीब करीब सारी की सारी इन्स्टीट्यूशन्स डिसएपीयर हो गईं। लेकिन उसके पहले उनके पास सारी की सारी पावर्स थीं। मोर डेल्यूटेड फार्म आज डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन के नाम से हम देना चाहते हैं वे सारी की सारी पावर्स हिन्दुस्तान में सारे गांवों में रहती थीं और जो लोग गांवों में रहते थे उनके पास ही सारी पावर्स थीं। सेनीटेशन और डवेलपमेन्ट का काम, जस्टिस और पुलिस का काम, लॉ एण्ड ऑर्डर का काम भी उनके पास ही था। तो हम कोई नई चीज़ उनको दे रहे हों ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आज 'इन दी ईयर ऑफ १६५६' में जो चीज़ देने जा रहे हैं और जो चैक्स एण्ड बेलेन्सेज़ हमने रखे हैं उनसे ज्यादा प्रोग्रेसिव आइडिया सभापति महोदय, कम से कम ७०-८० वर्ष पहले एक इंगलिश रूलर जो हिन्दुस्तान में थे उनके दिमाग में था और उन्होंने प्रोपोज भी किया था। मैं लॉर्ड रिपन को रेफर कर रहा था Resolution of the Government of India of 1882, १८८२ का जो रेज़ोल्यूशन था उसमें भी जो पावर्स आज देने की बात कर रहे हैं वे सारी की सारी पावर्स देने का प्रोपोज किया था। तो हम कोई रेवोल्यूशनेरी काम कर रहे हों, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो पावर्स लॉर्ड रिपन देना चाहते थे उनसे कम पावर्स दे रहे हैं।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : He proposed and you are giving.

Page No.58

श्री पी० के० चौधरी : He also started giving. पर उस समय पावर्स देने के समय कुछ अड़चनें डाली गई थीं। ब्रिटिश गवर्नमेन्ट के टाईम में हिन्दुस्तान का लोकल सैल्फ गवर्नमेन्ट का यूनिट जो था वह डिस्ट्रिक्ट बेसिस पर था। लॉर्ड रिपन ने सब-डिविज़न के बेसिस पर लोकल बोडीज़ को प्रोपोज़ किया था। इसके साथ ही यह प्रोपोज़ किया था कि नॉन-ऑफिशियल्स को इसमें रहना चाहिए और ऑफिशियल्स का इसमें कोई इन्टरफियरेन्स नहीं होना चाहिए। नॉन ऑफिशियल ही इसका चेयरमैन होना चाहिये। यह लॉर्ड रिपन का १८८२ का रेज्योल्यूशन था। जिस तरह से इस बिल को कम्पाईल किया है, स्टाइफल किया है, वह लॉर्ड रिपन के साथ में हुआ था। वह क्या हुआ था ? उनके सामने लोगों ने सवाल किया था कि यह जो एफिशियेन्सी है अगर पावर्स लोकल मैन को सारी की सारी दे देंगे तो एफीशियेन्सी सफर करेगी और एफीशियेन्सी के नाम पर उसको रोका था। लेकिन लॉर्ड रिपन ने जो जवाब दिया था उसकी मैं आपके सामने दो लाईन पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ : "It is not primarily with a view to improvement in administration that measure is put forward and supported. It is chiefly desirable as a measure of political and popular education." यानि उन्होंने जवाब दिया था कि जब हम लोगों को पावर्स देते हैं और लोकल बॉडीज को पावर्स देते हैं तो एफीशियेन्सी का जो सवाल है वह हमारे सामने नहीं आना चाहिए। एफीशियेन्सी के लिए हम पावर्स नहीं दे रहे हैं। एफीशियेन्सी के लिए लोकल बॉडीज़ को पावर्स देने की जरूरत नहीं है। पावर्स जो दे रहे हैं as a measure of political and popular education. उसको रेस्पोन्सिबिलिटी उठाने के लिए, उसके अन्दर ताकत लाने के लिए हम पावर्स देना चाहते हैं। तो सभापति महोदय, मैं जो कह रहा था कि यह जो आईडिया है उसको मैं डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन नहीं मानता हूँ क्योंकि उसमें इतने चैक्स एण्ड बैलेन्सेज हैं जो मैं आगे जाकर आपके सामने पेश करूंगा। जो बलवंतराय मेहता कमेटी ने कहा है कि The Government divests itself of ultimate responsibility अब अल्टीमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी ऑन सर्टेन आइटम्स तो गर्वनमेंट ने अपनी अल्टीमेट रेस्पोन्सिबिलिटी डाईवेस्ट नहीं की बल्कि उन्होंने सब जगह पर कन्ट्रोल रखा है। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो डायार्की इम्पोज किया है। तो यह जो कहना है कि डीसेन्ट्रेलाइजेशन हो रहा है, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। डीसेन्ट्रेलाइजेशन को जैसा बलवंतराय मेहता कमेटी ने कहा था कि It will be an act of faith in democracy. लेकिन इस बिल के जो प्रोविजन्स हैं उनको पढ़ने के बाद यह मालूम होता है कि the persons who have framed this Bill, they have lost faith in democracy जैसा माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि चैक्स एण्ड बैलेन्सेज हमने काफी प्रोवाइड किये हैं। ये वर्ड्स बताते हैं कि हमें डेमोक्रेसी पर फेथ नहीं है जो इम्प्लीसिट फेथ होना चाहिए that we will allow them to commit mistakes so that they may learn through making mistakes. यह जो फेथ होना चाहिए यह फेथ बिल का और जो सलेक्ट कमेटी से आया है, इम्प्रूव होकर यह मिसिंग है। सलेक्ट कमेटी से जो बिल आया है वह इम्प्रूव होकर नहीं आया है। मैं समझता हूँ कि वह ज्यादा रीएक्शनेरी बन करके उसकी शक्ल आई है

(श्री पी० के० चौधरी)
सभापति महोदय, सबसे पहले मैं लेउंगा उसके रेस्ट्रिक्शन्स को कि इसके ऊपर कहां कहां रेस्ट्रिक्शन्स हो रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि जो उनका बजट है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन्स हैं। वह अपना बजट जिला परिषद् से स्क्रूटिनी करायेंगे। उसकी स्क्रूटिनी होनी चाहिए। अगर स्क्रूटिनी नहीं होती है तो वे खर्च कर सकते हैं, ऐसा उसमें लिखा है कि ज़िला परिषद् अमुक निश्चित् टाइम के अन्दर अपना एप्रूवल नहीं देती है तो पंचायत समिति उसके ऊपर अपना खर्च कर सकती है। लेकिन एक आइटम उसमें रख दिया है कि मेचिंग ग्रान्ट्स का जितना खर्चा है वह नहीं कर सकते हैं। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, निवेदन करूंगा कि विकास का जितना काम होगा वह सारे का सारा मेचिंग ग्रांट्स पर चलेगा, यानि एक छोटी सी क्लॉज लगा दी कि मेचिंग ग्रांट के जितने आइटम हैं वे बगैर जिला परिषद् की इजाजत, जब तक उसका एप्रूवल नहीं हो जाय बजट का, तब तक खर्च नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ७५ परसेन्ट of their budget will remain invalid. तो मेरी समझ में नहीं आता है कि हम पावर्स दें और उन पावर्स पर हम बराबर यह रेस्ट्रिक्शन्स लगा दें तो आपको यह डर है कि ज़िला परिषद् या पंचायत समिति का जो फण्ड होगा वह सरपंच की शादी में खर्च होगा या और किसी विवाह शादी में खर्च कर दें ? आपकी पोजीशन तमाम सामने आयेगी। The money will be given under particular Heads. विकास के लिए इतना पैसा है और फलां चीज के लिए इतना पैसा है there will be certain Heads of expenditure. उसके बाद में बजट को ज़िला परिषद् में भेजने और उसको स्क्रूटिनी करवाने की मैं जरूरत नहीं समझता हूँ। उसके बाद में भी आप लिख दें कि मेचिंग ग्रान्ट्स के जितने आइटम्स हैं वे तब तक खर्च नहीं कर सकते है जब तक कि जिला परिषद् मन्जूर नहीं कर सकती है। यह रेस्ट्रिक्शन्स उसमें नहीं होना चाहिए।

दूसरा फाईनेन्स का था। हिन्दुस्तान में जो लोकल बॉडीज़ फेल हुई है और फेल होने पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो समय समय पर कमेटीज़ वगैरह एपोइंट की हैं। उनकी राय यह रही है कि लोकल बॉडीज के फेल होने के खास दो कारण हैं। एक तो यह कि उनको जो रेस्पोन्सिबिलिटी दी वह पूरी रेस्पान्सिबिलिटी इनको कभी नहीं दी They were not given full responsibility. हमेशा गवर्नमेंट का एक्जीक्यूटिव ऑफिसर रेस्पोन्सिबल रहा करता था। एक तो पूरी रेस्पोन्सिबिलिटी नहीं दी थी। दूसरी बात हुई फाईनेन्स की। रेस्पोन्सिबिलिटी कम, फाईनेन्स नहीं तो काम करने की ताकत नहीं रहती है, तो लोकल बॉडीज, सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ कभी डवेलप नहीं कर सकती है इनको अगर डवेलप करना हैं तो सफिशियेन्ट फन्ड्स उनको देना चाहिए।

अब फन्ड्स क्या देते हैं ! पोपुलेशन के बेसिस पर पर-हैड ६ नये पैसे दिये है जब कि बलवन्तराय मेहता कमेटी ने सिफारिश यह की थी ४० पर्सेन्ट ऑफ दी लैण्ड रेवेन्यू उनको मिलनी चाहिए थी। मैं तो कहता हूँ कि ६ नये पैसे नहीं करके कम से कम ४० पर्सेन्ट नहीं तो २० पर्सेन्ट देना चाहिए। पंचायत समितियों को सफिशियेन्ट फण्ड्स देने चाहिए। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सभापति महोदय, कि किस तरह से उनकी एक्टीविटीज को

(श्री पी० के० चौधरी)

करटेल करने का सारा इन्तजाम इस बिल में है।

और एक बात जो माननीय मुख्य मंत्री ने तारीफ के तरीके से पेश की थी वह है कि कन्स्ट्रक्शन करने का काम हमने किया है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें रखी है क्लॉज ३ (४) (ivc) कि टैंक्स, वैल्स, रोड्स :

श्री मोतीलाल (डीडवाना): बिल्डिंग्स।

श्री पी० के० चौधरी : Building, Iwill just refer it.

Yes, construction of wells, tanks, ponds for the supply of water for drinking, bathing and washing purposes, construction of public streets, construction of public latrines, construction of new buildings..."सारे के सारे काम ३।४ मेजोरिटी ऑफ दी होल मेम्बरशिप। यह नहीं है कि 3/4 majority of those present लेकिन पंचायत समिति में by 3/4th's majority of the total से फैसला होगा तब जाकर सारा काम हो सकता है। मैं समझता हूँ कि इस क्लॉज के कारण सारे का सारा काम ही ठप्प हो जायेगा। पंचायत समिति से कोई काम नहीं हो पायेगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी स्वयं बहुत सी वालेन्टरी ऑर्गेनाईजेशन्स में काम कर चुके हैं। उनको मालूम होगा कि ३।४ मेजोरिटी की राय से तय करना किसी पब्लिक बॉडी में कितना मुश्किल होता है। It is almost an impossible task तो उसमें रखा है कि ३।४ मेजोरिटी of not only those present...

एक माननीय सदस्य : It is 2/3rd majority.

श्री पी० के० चौधरी : May be 2/3rd of the total membership. But that is also very difficult. २।३ तो हम अपने कॉन्स्टट्यूशन के अमेंडमेंट के वक्त में लेते हैं। वह भी कोई आसान बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि वह रिट्रोग्रेट स्टेप है जिससे किसी पंचायत समिति का फन्क्शन करना उसके लिए मुश्किल हो जावेगा।

श्री मोतीलाल : That is not for Panchayat Samities. It is for Panchayat only.

श्री पी०के० चौधरी : किसी पंचायत में भी हो तो २।३ सारी पंचायत के मेम्बरों को इकट्ठा करना दिक्कत रहेगी।

उसके बाद, सभापति महोदय, अपन जाते हैं पावर्स एन्ड फन्क्शन्स ऑफ विकास अधिकारी। उसको जो पावर्स एन्ड फन्क्शन्स दिये गये है, जो इमरजेन्सी पावर्स दिये गये हैं वे सारे के सारे इस प्रकार के हैं कि पंचायत समिति का जो अध्यक्ष है जिसके हैडवार्टर से गैर हाज़िर होने पर वह सारा सारा काम कर सकता है। उसको वे सारे अधिकार दे दिये हैं और इमरजेन्सी पावर्स भी दे दिये हैं। इन पावर्स के जरिये विकास अधिकारी जो मन चाहे वह काम कर सकता है। उसमें पंचायत का जो प्रधान है उसका कुछ नहीं सोचेगा। इतना ही नहीं, विकास अधिकारी की पोज़ीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से सेक्रोसेन्ट हो गयी है It is holier than Bible विकास अधिकारी का आपको ट्रान्सफर करना है तो ३।४

Page No.61

(श्री पी० के० चौधरी)

मेजोरिटी चाहिए । सभापति महोदय, ३।४ मेजोरिटी ऑफ टोटल नम्बर ऑफ मेम्बर्स होनी चाहिए । सभापति महोदय, जो हिन्दुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एमेंडमेंन्ट करने के लिए आर्टिकल ३६८ में कहा गया है कि a majority of the total membership of the House and 2/3rd majority of those present. इसका मतलब यह है कि यदि हिन्दुस्तान के विधान में परिवर्तन करना है तो मान लें कि हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट के १०० सदस्य है उनमें से ८० सदस्य पार्लियामेंट में मौजूद हैं तो २।३ मेजोरिटी ऑफ दी प्रेजेन्ट यानि ८० आदमी प्रेजेन्ट रहते हैं यानी ५४ आदमी वोट कर दें तो १०० आदमियों की अगर पार्लियामेंट है तो हिन्दुस्तान के विधान में उसका एमेन्डमेन्ट हो सकता है । लेकिन ये विकास अधिकारी या ज़िला परिषद् के सेक्रेट्री महोदय हैं उनका ट्रान्सफर करना है और ज़िला परिषद् या ज़िला समिति समझ लें, कि १०० सदस्य होते हैं तो उसके ८० सदस्य मौजूद रहें और उन में से ७५ आदमी के वोट जब तक नहीं होते हैं तब तक ट्रान्सफर नहीं हो सकता है He is holier than Bible more sacrosant than the constiution even. मैं कहता हूँ कि विकास अधिकारी या जो चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर रहेगा वह चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर ऐसा रहेगा कि हमारी छाती पर कूदेगा । यह प्रोविजन न रख कर बल्कि यह प्रोविजन रखते कि विकास अधिकारी का ट्रान्सफर गवर्नमेन्ट करे और इस बात को रोक देते तो ज्यादा अच्छा रहता । इससे तो आप पंचायत समितियों का अपमान करते हैं । ऐसी रिट्रोग्रेट क्लॉज बातें रखी हैं । माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को इसका तजुर्बा होगा कि किसी भी पब्लिक बॉडी में ३।४ मेजोरिटी ऑफ दी टोटल मेम्बरशिप से कोई प्रस्ताव को पास करवाना बिल्कुल नामुमकिन बात है । पत्थर की लकीर जैसा जो यह विकास अधिकारी है वह पंचायत समिति का जो प्रधान है उसके सिर पर बैठेगा । मैं समझता हूं कि जो प्रोविजन कियागया है, एकतो विकास अधिकारी का और सेक्रेटरी जिला परिषद् का तो जो ७५ परसेन्ट ऑफ दी मेजोरिटी ऑफ दी टोटल मेम्बरशिप यह नहीं होकर जो मौजूद है उनकी ७५ परसेन्ट मेजोरिटी का जब तक वोट नहीं होता है तब तक ट्रान्सफर नहीं हो सकता है ।

मैं समझता हूँ इस क्लॉज में सारे विकास के लिए जो टू–थर्ड मेजोरिटी टोटल मेम्बर्स के लिये रखी है उसके कारण न तो कुँए खुदेंगे, न रास्ते बनेंगे, न बिल्डिंग्स बनेंगी और न तालाब खुदेंगे । यह सारा का सारा रखा है पंचायत समितियों और जिला समितियों के लिए यह उनको सेबोटेज करने के लिए रखा है । सलेक्ट कमेटी से आने के बाद इस बिल को पढ़ने से मालूम हुआ कि इसमें नॉन-ऑफिशियल्स के दिमाग ने इतना वर्क नहीं किया है जितना ऑफिशियल्स ने किया है Official brain is working against it. It is an intrigue, a plan to sabotage the entire scheme.

मैं नहीं समझ सकता कि कोई रीजनेबल आदमी ऐसी बात रखे जो इन–प्रेक्टिस नहीं हो सके । वह ठीक नहीं है । थ्योरी के लिए ठीक है । प्रेक्टिस में किसी भी डेमोक्रेटिक संस्था में या जनपद में या विधान सभा में १०० में से कितने आदमी इन्स्ट्रेटेड

(पी० के० चौधरी)

होते हैं यह हम सब जानते हैं। इसी विधान सभा में आप सीलिंग जैसा बिल पास करने जा रहे हैं उस समय १७६ सदस्यों में से कितने माननीय सदस्य यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आप यदि यह क्लॉज रखें कि ७५ पर्सेन्ट मेम्बर्स जब तक विधान सभा में मौजूद नहीं होंगे तब तक यह बिल पास नहीं होगा तब तो इस तरह की बात इसमें रखना ठीक है। लेकिन जब विधान सभा के मेम्बर्स में से ७५ पर्सेन्ट मेम्बर्स की प्रेजेन्स मुश्किल है तब आप इस तरह से कहने का कैसे हक रखते हैं? आप विकास समिति के सेक्रेटरी को ट्रान्सफर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी २।३ मेजोरिटी होगी तभी हो सकता है। It is derogatory to keep such a prov sion in the Bill. यह इन्सल्टिंग है। विकास अधिकारी को ट्रान्सफर सरकार करेगी इन सल्टेशन ऑफ दी प्रमुख इतना ही रख दीजिये। वर्ना यह रख कर आप अपमान करते हैं, तौहीन करते हैं It is derogatory to them to have such a clause in the Bill. मैं तो कहता हूँ कि आप इसको डिलीट कर दीजिये, या यह कर दीजिये कि The Government will transfer the Vik sh Adhikari. सारे अधिकार विकास अधिकारी के बारे में गवर्नमेंट को हो। स्प्रिट ऑफ डेमोक्रेसी से देखेंगे तो कोई ज़िला परिषद् नहीं चाहेगी सिंगल मेजोरिटी से १०० में से ५० मौजूद हैं और उसमें से मेजोरिटी से पास करें तो भी काफी है। विकास समिति के सिर पर विकास अधिकारी थोप कर आप प्रोम्प्ट रेस्पोन्स चाहते हैं तो आपको नहीं मिल सकता। मेजोरिटी से कोई बात होनी तो ठीक है लेकिन मान लीजिये सफिशियेन्ट नंबर ऑफ मेम्बर्स आर अगेन्स्ट ए पर्टिकुलर विकास अधिकारी तो आपको उसे हटा देना चाहिए। मैं कहता हूँ कि इस प्रकार के प्रोविजन की कोई जरूरत नहीं थी। गवर्नमेंट जिला परिषद् की सिफारिश को मंजूर करने को तैयार रहे और सारे पावर्स गवर्नमेंट को रहे तो भी कोई हर्ज नहीं है लेकिन इस तरह का अपमानजनक क्लॉज नहीं रखें यह मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय, इसके बाद रिमूवल ऑफ प्रधान क्लॉज ३२ में है। इसमें प्रधान को हटाने का भी तरीका है। मैं समझता हूँ प्रधान को हटाने का तरीका नो-कॉन्फीडेन्स का है किसी भी डेमोक्रेटिक बॉडी के लिये, जिसमें मेजोरिटी को कॉन्फीडेन्स नहीं रहता है। तब उसको हटाना चाहिये। लेकिन क्लॉज़ ३४ में गवर्नमेन्ट यह पावर अपने हाथ में ले रही है। जो पावर इस प्रकार है :

(I) If in the opinion of the state Government the pradhan or up—pradhan of a Panchayat Samiti wilfully omits or refuses to carry out the orders of the state Government for the proper working of the Panchayat samiti or abuses the powers vested in him or is found to be guilty of mis conduct in the discharge of his duties, the State Government, after giving the Pradhan or Up-Pradhan, as the case may be, a reasonable opportunity for explanation and after consulting the Zila Parishad in the matter and taking in to consideration its opinion if received within 30 days from the date of the despatch of the communication for such consultation may by order remove such pradhan or Up-Pradhan, as the case may

Page No.63

(श्री पी०के० चौधरी) .

be, from office यही मैं जो कह रहा हूँ आप कि government has not divested itself of powers in certain matters. जैसा बलवन्तराय मेहता कमेटी ने विस्युएलाइज़ किया था कि जहां गवर्नमेंट कम्प्लेन्ट्स विस्युएलाइज़ करती है, वह नहीं किया, प्रधान पर रख दिया Pradhan is bound dy the resolutions of the Panchayat samiti. पंचायत समिति का प्रस्ताव है उसका पालन यदि वे नहीं करें तो पंचायत समिति को कॉन्फीडेन्स के ज़रिये उनको हटा सकती हैं लेकिन इसमें दूसरी ही बात है और वह यह कि जो प्रधान गवर्नमेंट को आज्ञा का पालन नहीं करें तो उसको हटाने का पावर गवर्नमेंट अपने हाथ में लेती है तो इसको डेमोक्रेटिक डीसेन्टेलाइजेशन नहीं कहा जा सकता। इससे तो गवर्नमेंट पूरा अधिकार अपने हाथ में रखना चाहती है। पुरानी लोकल बॉडीज़ थी लॉर्ड कर्जन के ज़माने की उनमें और इसमें फर्क कहां है ? सभापति महोदय, जो बलवन्तराय मेहता ने कहा है: Decentralisaton, on the other hand, is a process whereby the Govrnment divests itself completely of certain duties and responsibilities.. वह कहाँ पर हुआ है, यह मेरी समझ में नहीं आता है।

इसके बाद दूसरी चीज़ जो है वह है पॉवर ऑफ केन्सिलिंग एंड सस्पेन्डिग दी रिज़ोल्युशन ऑफ दी समिति यह चेप्टर ४ में है। यह एक अजीब सा चेप्टर है इसके बाद में सारे के सारे पावर्स आगे चेप्टर में दिये हैं पंचायत समितियों को और जो सब्ज़बाग बताया गया है उस सबको यह चेप्टर खत्म कर देता है। तो सभापति महोदय, चेप्टर जो ४ है उसमें एक तो पॉवर है कन्सिलेशन एंड सस्पेन्डिग दी रिज़ोल्युशन ऑफ दि पंचायत समिति इसमें भी दो पॉवर हैं, पॉवर ऑफ सस्पेन्डिग एंड डिज़ोल्विंग दि पंचायत समिति एंड जिला परिषद् क्लॉज़ ५७ एन्ड ५६। फिर पॉवर ऑफ इन्सपेक्शन एंड ड्यूटीज़ ऑफ कलेक्टर। सभापति महोदय, किसी भी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाईजेशन में यह जो क्लॉज़ ५६, Power of cancellation or suspending the resolution of the Samiti, and clause 57 power of Government to supersede or dissolve a Panchayat Samiti etc. जहां तक डिज़ोल्युशन या सस्पेन्शन का सवाल है, मैं इस बात को मानता हूं कि यह पॉवर गवर्नमेंट के पास रहनी चाहिये। यदि कोई पंचायत समिति बराबर काम नहीं करती है तो गवर्नमेंट उसको डिज़ोल्व कर सकती है। जैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट बराबर काम नहीं करती है तो उसको प्रेसिडेन्ट डिसमिस कर सकते हैं और धारा सभा को डिज़ोल्व कर सकते हैं जैसा अभी केरल में हुआ है। ऐसा क्लॉज़ ५७ में पॉवर दिया है इसको मैं मानता हूं। लेकिन क्लॉज़ ५६ के अन्डर में डे-टू-डे वर्किंग के बारे में कोई प्रस्ताव पास किया, उसको भी सस्पेन्ड करने का अधिकार आप अपने हाथ में ले रहे हैं। इसका मतलब यह होगा कि पंचायत समिति इन्डिपेन्डेन्ट कभी नहीं हो सकेगी। वह ख्याल करेगी कि गवर्नमेंट को पसन्द हो, ऐसा ही प्रस्ताव पास किया जाय। इस तरह का प्रस्ताव पास करेंगे तो वे इन्डिपेन्डेन्स के साथ, अपने स्थिर मस्तिष्क की स्वतन्त्रता के साथ, आपने विचार के साथ अपनी मर्जी माफिक कोई प्रस्ताव पास नहीं करेंगे। वे इसलिए नहीं करेंगे कि आज गांव वालों का यह एटीट्यूड है, सभापति महोदय, जो प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आती है समय समय पर, उससे मालूम होता है कि गांव के लोग प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन

(श्री पी०के० चौधरी)

में जाते हैं और वहां उनसे पूछताछ करते हैं तो वे यह देखते हैं कि ऑफिसर को कौनसा जवाब पसन्द है। जब उन्हीं लोगों के पास दूसरे नॉन-ऑफिशियल जाते हैं तो वे दूसरा जवाब देते हैं। आज गांव के लोगों में टेन्डेन्सी है कि वे पीपुल इन ऑथोरिटी को खुश रख कर चलना चाहते हैं, उनका सामना नहीं करना चाहते। वे नाराज न हो जांय, ऐसी बात नहीं कहना पसन्द करते। उन लोगों के सामने जब नॉन-ऑफिशियल एजेन्सी एप्रोच करती है तब वे सही बात बतलाते हैं। अगर आप यह रख देंगे कि जो पंचायत समिति का रेज़ोल्यूशन है वह गवर्नमेन्ट को पसन्द न हो तो वह पंचायत समिति रेज़ोल्यूशन को सस्पेन्ड कर सकती है तो वह इन्डीपेन्डेन्टली, फ्रीली फंक्शन नहीं कर सकते to allow it to evolve its own way. जिस चीज़ का आप नारा पुकारते हैं।

हम चाहते हैं कि देहात के लोग जो हैं We want to develop, to evolve themselves in any way लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उसके खुद के तरीके से वर्क करती है, उसको वेस्टरनाइज्ड ढंग से, ऊपर से लादी हुई चीज से, फिक्स्ड आईडिया से डवेलप नहीं करना चाहते लेकिन गांव के लोगों का जो पेटर्न है, उसको डवेलप करना चाहते हैं, उसको इवॉल्व करना चाहते हैं, उनके जरिये से। इस चीज को आप खत्म कर देते हैं जब उनके छोटे मोटे रेज़ोल्यूशन को खत्म करने की पॉवर रखते हैं उसको सस्पेन्ड करने की पॉवर रख कर। लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट के सिद्धान्त को जो मानते हैं वे इसके लिए तैयार नहीं होंगे। हमारी विधान सभा कोई प्रस्ताव पास करती है, कोई बिल पास करती है, कोई बजट पास करती है उसको अगर पार्लियामेंट खत्म कर देती है तो वह चीज हम मन्जूर नहीं करेंगे। वह तरीका रखते कि विधान सभा के कोई प्रस्ताव को, विधान सभा के रेज़ोल्यूशन को पार्लियामेंट अपनी मर्जी से सस्पेन्ड कर सकती है, खत्म कर सकती है, यह तरीका अगर आप रख सकते हैं तो यह भी तरीका रख सकते हैं। मैं समझता हूं कि इससे अच्छा तो यह होगा कि उसको डिज़ोल्व कर दिया जाय। जिस पंचायत समिति को आज गुडसेन्स, कॉमनसेन्स का भेद नहीं रहा। आज बिल के पास करने से पहले हम यह मान कर चल रहे हैं कि पंचायत समिति गलत-सलत काम करेगी, गलत-सलत प्रस्ताव पास करेगी। मैं समझता हूं कि बलवन्तराय मेहता कमेटी ने कहा है It is an act of faith in democracy. It is missing here. यह चीज़ मिस करते हैं You have not got faith indemocracy. It is not an act of faith but an act of control. वहां कोई एक्ट ऑफ फेथ नहीं रहा, यह डेमोक्रेसी का प्रिन्सिपल बिल्कुल गलत है, किसी बॉडी को पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे रहे हैं We divest ourselves of certain powers यह पॉवर देने के बाद डे-टू-डे के रूटिन को कन्ट्रोल करना चाहते हैं, यह गलत है। सही प्रोविज़ो वह है जो आपने क्लॉज ५७ में रखा है कि उनको सस्पेन्ड करने की डिज़ोल्व करने की पॉवर रखनी चाहिए। मैं इसे मन्जूर करता हूं कि सस्पेन्ड करने की डिज़ोल्व करने की पावर्स रहनी चाहिए। जिस पंचायत समिति के बारे में यह मालूम हो कि जो प्रोविजन बिल में रखा है, जो गवर्नमेन्ट के जो डाइरेक्टिव हैं, रूल्स हैं, बाई-लॉज है, उनके अगेन्स्ट में जाकर कोई

(श्री पी० के० चौधरी)

पंचायत समिति काम करती है तो गवर्नमेन्ट उसे डिज़ोल्व कर देगी। आप पंचायत समिति के रेज़ोल्यूशन को सस्पेन्ड करते हैं, उसको टेम्पर करते हैं, यह उस भावना के खिलाफ है। इस तरीके से आप चलेंगे तो जो आप चाहते हैं कि गांव के व्यक्ति ऊपर उठें, पोलिटिकल सेन्स आये, रेस्पोन्सिबिलिटी मोल्डर करें, इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग मिले, वह ट्रेनिंग उनको इस तरीके से नहीं मिल सकती। इस तरह आप उनको स्पूनफीडिंग कर रहे हैं It is nothing but spoon feeding. स्पूनफीड करने से जो आप विकास करना चाहते हैं, वह विकास नहीं होगा। इसलिए रेज़ोल्यूशन के कन्सेलेशन का अधिकार रखा गया है वह रेट्रोग्रेसिव स्टेप है, वह नहीं रहना चाहिए। It is against the principle of what the Balwant Rai Mehta committee said जो पंचायत समिति व जिला परिषद् का बिल है, उसको लेकर डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन का इतना ढिंढोरा पीट रहे हैं, सभापति महोदय, जिसे डांस, ड्रामा के साथ इनऑगरेट करने जा रहे हैं, सारे राजस्थान में नृत्य, गीत और नाटक करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि हमें यह मन्जूर है और इसके साथ ही जो इस पर हजारों लाखों रुपया खर्च करनेवाले हैं, वह भी मन्जूर है But there must be some content, something substantial. यह जिस चीज को आप नृत्य, गीत और नाटक के साथ लाने जा रहे हैं उसके साथ साथ कम से कम there should be something substantial यह सब्सटेन्शन न रहे जो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड के रिफार्म्स थे उस तक लोकल बॉडीज नहीं पहुंची। उसके बाद लॉर्ड कर्जन के जमाने में लोकल बॉडीज़ की रिफॉर्म्स हुए थे उनमें और पहले में कोई अन्तर नजर नहीं आता। हमेशा इधर से उधर लोकल बॉडीज़ की नकेल खींचते रहे। उसी नकेल की तरह यह बिल है जिसमें डेलीगेशन ऑफ पॉवर्स हैं। बलवन्तराय मेहता के खुद के शब्दों में यह बिल जो है It is not democratic decentralisation but it delegation of power. तो मैं इस के लिए कहना चाहता हूँ कि यह जो प्रोविजन है, सभापति महोदय, चेप्टर चार में, सस्पेशन और डिज़ोल्यूशन का, यह बिल्कुल गलत है।

दूसरी बात, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट लेबल पर जो डायार्की रखा गया है, उसे, सभापति महोदय, देखेंगे क्लॉज ३५ (ए) में। अव्वल तो मैं मानता हूँ कि जिला बोर्ड की जरूरत नहीं है। मेरी निश्चित राय है कि पंचायत समिति के ऊपर सीधी गवर्नमेन्ट रहनी चाहिए। यह ज़िला बोर्ड...

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : जिला परिषद् ?

श्री पी. के. चौधरी : मैं समझता हूँ कि ज़िला परिषद् को नहीं रखते। जो आप सर्टेन पॉवर्स देना चाहते हैं पंचायत समिति को डीसेन्ट्रलाइज़ेशन के सिद्धान्त को मानते हुए, मैं कहता हूँ कि आप उससे कम दीजिये। मैं नहीं कहता कि जितनी सारी रखी है वे सब दीजिये, कुछ कम दीजिये but give them complete powers. Let them commit mistakes, आप जब तक गलती करने का मौका नहीं देंगे, उसको मर्ज़ी माफिक चलने का मौका नहीं देंगे, तो जैसा आपका एटीट्यूड रहा है, जो अंग्रेज़ों का एटीट्यूड रहा है, उसमें कोई डिफरेन्स नहीं है। लॉर्ड

Page No.66

(श्री पी०के० चौधरी)

लोथियन ने कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू को या महात्मा गांधी को कि हम आज़ादी देकर चले जायेंगे तो यहां फिरका-परस्ती हो जायेगी और प्रोविन्शियलिज्म फैलेगा और मार-काट होगी। तो महात्मा गांधी ने कहा था Let us kill overselves, but let us have self-rule हम अपने को कत्ल करेंगे, फिर भी हमें सेल्फ गवर्नमेन्ट चाहिए We don't want good Governmet, we would like to be badly governed by ourselves. तो जो प्रिंसिपल अपने लिए लागू करना चाहते हैं वही इनके लिए भी लागू होना चाहिए। उनको गलती करने का मौका दीजिये, गलती करने से वे सुधरेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेन्ट ने स्पूनफीडिंग किया है जिसके कारण आज तक लोकल सेल्फ बॉडीज़ डवेलप नहीं हो पाई। मैं आपको बताऊँ कि १८१७ में लोकल सेल्फ बॉडीज़ की स्थापना की गई, लेकिन आज तक वे स्ट्रोंग नहीं हुई, पॉवरफुल नहीं हुई डवेलप नहीं हुई। क्यों नहीं हुई ? उनको कभी रेस्पोन्सिबिलिटी पूरी नहीं दी, मर्ज़ी के माफिक चलने का मौका नहीं दिया और कन्ट्रोलिंग नकेल अपने हाथ में रखी। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिला परिषद् जो है वह रहनी नहीं चाहिए। जो जिला परिषद् का प्रावधान रखा है वह गलत है। इसके बजाय आप ज़िला प्लानिंग के लिए रख दें जो पंचायत और ज़िला के प्लान बना दे। इसके साथ ही इसके कोई फंक्शन नजर नहीं आते। फिजूल जिला परिषद् आपने रखी है, उसमें एक डायर्को रखी है। जिला परिषद् का एक सेक्रेटरी अलग होगा, उसकी पॉवर्स क्लॉज़ ४५ (एफ) में है और दूसरी पॉवर्स, जो गवर्नमेंट ने क्लॉज़ ७२ के अन्डर में दी हैं, ये सारी पॉवर्स उनकी है।

तीसरी बात है कि जो डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट ऑफिसर रहेगा, उसकी कुछ पॉवर्स हैं, वह कुल काम करेगा। चौथे नम्बर पर आते हैं कलेक्टर साहब। कलेक्टर साहब की कुछ पॉवर्स हैं, वे कुछ फंक्शन करेंगे। एक मज़े की बात यह है, सभापति महोदय, कि बलवन्तराय मेहता ने कहा था कि कलेक्टर ज़िला परिषद् का चेयरमैन रहेगा। अपनी राय है कि वह चेयरमैन नहीं रहना चाहिए। लेकिन कम से कम कलेक्टर को वाइस चेयरमैन या सेक्रेटरी जरूर बनाना चाहिए। आपने इस जिला परिषद् बिल में क्या प्रोविजन रखा है जो डवेलपमेंट ऑफिसर है, विकास अधिकारी है, जो कलेक्टर भी है, उसको एक्स-ऑफिशियो मेम्बर रखा है, विदाउट राइट ऑफ वोट। सभापति महोदय, आज तक लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट के ऊपर जितने लोगों ने राय दी है तो सबसे ज्यादा लोगों ने इस प्रोविजन को कन्डेम किया है। जहाँ लोकल बॉडीज को सारे पॉवर देने की बात आती है और उनमें गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स रखने की बात आती है कि एक्स-ऑफिशियोज रखें तो इस सम्बन्ध से एक्सपर्ट्स को यह राय रही है कि यदि उस आदमी को मीटिंग में जो भी फैसला हो उसमें राइट ऑफ वोट का अधिकार नहीं हो तो इस तरह उसको रखना बिल्कुल इर्रेस्पोन्सिबल बना देता है। डेवलपमेंट ऑफिसर, कलेक्टर कहेंगे कि हमारा तो राइट ऑफ वोट नहीं है। एक आदमी को कमेटी में रखना और राइट ऑफ वोट नहीं देना Because he has no right to vote, he acts most irresponsibly.

Page No.67

(श्री पी० के० चौधरी)

उसको इर्रेस्पोन्सिबल बना देता है। उस कमेटी में राय देता है पर यह तरीका उसको राइट ऑफ वोट नहीं होने से बिल्कुल इर्रेस्पोन्सिबल बना देता है। इससे आप जिला परिषद् के वर्किंग में एक तरह से दिक्कत पैदा करेंगे। यह तो आप डायर्की पैदा करेंगे.....he Collector will not give his honest opinion in that meeting. कलेक्टर अपनी निपक्ष्य राय नहीं देगा। राइट, करेक्ट ओपिनियन कभी नहीं देगा। इसलिए लोकल बॉडीज में, सारे एक्सपर्टस मान कर चलते हैं कि लोकल बॉडीज में ऑफिशियल्स को रखते हैं तो They must be full members or not members at all. तो पूरे अधिकार दीजिये, राइट ऑफ वोट दीजिये You have put a man without any responsibility there. तो इसको मैं फालतू समझता हूँ।

दूसरी बात यह कि यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि कलेक्टर को अलग पॉवर दिया जाता है, डवेलपमेंट ऑफिसर को दूसरे पॉवर देते हैं, सेक्रेटरी है उसको ७३, ७४ के अन्दर यह पॉवर देंगे। कलेक्टर और डाइरेक्टर दोनों का काम रहने से डायर्की हो जायेगी। कलेक्टर और डाइरेक्टर का काम एक है। पर मुख्य मंत्री ने फर्माया कि बी.डी. ओ. के माफिक कलेक्टर काम नहीं कर सकता, कलेक्टर को बहुत काम रहता है पर मेरा निवेदन है कि जिला परिषदों का काम मिनिट्स रखने के सिवाय कुछ नहीं है। जो ब्यूरोक्रेसी है वह पसंद नहीं है।

कलेक्टर को अगर जिला परिषद् का चेअरमैन बना देते हैं तो वह खुशी से आकर बैठ जाता है और सेक्रेटरी रखते हैं तो वह समझता है कि उसकी इज्जत में फर्क आता है। आई. सी. एस. ऑफिसर हैं उनके अन्दर, अन्दर ही अन्दर यह चल रहा है, सेक्रेटरी रहने में वे अपना अपमान समझते हैं। वहाँ प्रधान बताना जाय कलेक्टर को I suspect some Offical Hand behind it.

अलग सेक्रेटरी रखा, अलग डवेलपमेंट ऑफिसर को रखा, कलेक्टर अलग रखा, तो यह मेरी समझ में नहीं आया He must be the Vice President of that Zila Parishad.

आज इस बिल में अलग स्टेचुटरी पॉवर, रख रहे हैं कि कलेक्टर को अलग पॉवर, विकास अधिकारी को अलग पॉवर, सेक्रेटरी को अगल पॉवर, यह ठीक नहीं। तो या तो कलेक्टर का कोई संपर्क मत रखिये अगर रखते हैं तो Make them full fledged members with right to vote ताकि अपनी रेस्पोन्सिबिलिटी तो होल्ड करें, रेस्पोन्सिबिलिटी से तो इन्कार नहीं कर दें। तो स्टेचुटेरी पॉवर के मैं खिलाफ हूँ। वोट नहीं देंगे तो उनको रखना नहीं रखना बेकार है। तो सारे के सारे इस बिल को देखने के बाद मुझे यह इतमीनान हुआ है कि सलेक्ट कमेटी में जाने के बाद बिल और भी रद्दी बन गया है। इसलिए इसमें रेडिकल चैंजेज आने चाहिये। डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाईजेशन के लिए इसमें रेडिकल चैंजेज लाने बहुत आवश्यक हैं। मैं तो यह मानता हूँ कि डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाईजेशन के लिए जिला परिषदें नहीं रखनी चाहिये, पंचायतों को ही पूरे अधिकार होने चाहिये। हिन्दुस्तान के लोगों में सेल्फ गवर्नमेंट का कॉमन-सेंस

(श्री पी० के० चौधरी)

है। पहले हमारे यहाँ सेल्फ गवर्नमेंट का एलिमेंट था। यह तो ब्रिटिश जमाने में यहाँ पर नहीं रहा। ब्रिटिशर्स के पहले था लेकिन हमको पता नहीं रहा। It requires very great charges. It is not that कोई चेंज नहीं हो सकता, बोल्ड ऐक्शन लेना है तो Let us experiment with it. Experiment करना चाहिये। दूसरी बात यह है सभापति महोदय, कि इसका जो कम्पोजिशन रखा है, सरपंचों को पंचायत समिति का सदस्य रखा है, मैं समझता हूँ वह गलत रहेगा। बलवन्तराय मेहता कमेटी ने रखा था कि जिलापरिषदों के सदस्य पंचायतों के पंच चुन कर भेजें या लोगों से डाइरेक्ट चुनाव करा कर लाईये। नहीं तो वह सरपंच पंचायत में सरपंच भी रहेगा और जिला परिषद का मेम्बर भी रहेगा, पंचायत समिति का सदस्य भी रहेगा....Sarpanch is a formidable creature.

आज सरपंचों से गांवों के लोग घबराते हैं। जितना गांवों के लोग नाजिम से, तहसीलदार से नहीं घबराते, जितना नाजिम तहसीलदार गांवों के लोगों को परेशान नहीं कर सकते उतना सरपंच गांवों में गांव के लोगों को तंग कर सकता है। वहां फिर आप उस सरपंच को पंचायत समिति में भेज रहे हैं तो He will become all powerful.

इसलिये मेरा निवेदन है कि आपने यह दलील दी है कि सरपंचों को पंचायत समितियों में इसलिए भेजना चाहते हैं कि पंचायत समितियों के फैसलों को सरपंच ही इम्प्लोमेंट करेंगे। वास्तव में पंचायत समितियों के फैसलों को पंचायतें ही इम्प्लीमेंट करेंगी। Sarpanch is an executive of the Panchayat.

इसलिए यह दलील वजनदार नहीं है कि पंचायत समिति के फैसलों को सरपंच इम्प्लीमेंट करेंगे। यह कोई ठोस दलील नहीं है कि सरपंच, सरपंचों को ही पंचायत समिति में लाना चाहिये। इसको और फोर्मिडेबल बनाना चाहते हैं, यह कहाँ तक ठीक रहेगा? इन दिस इन्फेन्ट स्टेज ऑफ डेमोक्रेसी यह ठीक नहीं रहेगा। या तो बलवन्तराय मेहता ने सिफारिश की थी कि पंचों के द्वारा चुने-हुओं को पंचायत समिति का सदस्य बनाया जाय या उस एरिया का एडेल्ट वोटिंग होकर पंचायत समिति के सदस्यों को चुना जाय। दूसरे देशों में भी इन्डाइरेक्ट वोटिंग से नहीं जाते हैं, वहां के वोटर्स के डाइरेक्ट वोटिंग से जाते हैं।

मेरी आज भी राय है कि सरपंचों को भेजने का रखा गया है वह नहीं रखना चाहिये। सरपंच को रखा है और उसका जुडिशियल फंक्शन रखा है इस वजह से गांवों में आज गुटबन्दी चलती है। पंचायत समिति में जाने के बाद सरपंच गांवों में अपने काम को अच्छी तरह निभा नहीं पायेंगे। इसलिये लोकल सेल्फ का काम दें तो पंचायत समिति के मेम्बर इलेक्टेड होने चाहिये, चाहे डाइरेक्ट इलेक्शन हो या इन्डाइरेक्ट इलेक्शन हो।

दूसरी बात, मैं माननीय सभापति महोदय, अंत में कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो चेक और बेलेन्स का तरीका रखा है सस्पेन्ड करने का उसकी मुझे कोई जरूरत नजर नहीं आती। आप दूसरे मुल्कों के उदाहरण देखें तो आपको मालूम होगा कि वहां पर भी

(श्री पी० के० चौधरी)

गवर्नमेंट का इस पर कन्ट्रोल रहता है। गवर्नमेंट अपना कन्ट्रोल करती है मगर वह मेचिंग ग्रान्ट और लोन देकर और अपने इन्सपेक्टर रख कर करती है। आपने भी यहां पर इन्सपेक्टर रखे हैं। जिस चीज को सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मेचिंगग्रान्ट या लोन्स मिलते हैं उसका इन्सपेक्शन स्टेट गवर्नमेंट के आदमी करते हैं। अगर आपको लोकल बॉडीज को चेक करना है जिनको ग्रान्ट-इन-एड देते हैं तो उनकी मेचिंग ग्रान्ट और एक्सपेरिमेंट होती है बाकी जो चीज है give them complete freedom to commit mistakes. उसके लिये आप देखेंगे कि वे मिस्टेक करेंगे और मिस्टेक करते करते ही वे सुधरेंगे और काम सीखेंगे अन्यथा नहीं सीखेंगे। आपका उन पर ट्यूटरोनेज और पेट्रोनेज रहेगा तब तक मैं यह कहूँगा कि tutelege रहेंगे। जब तक आपका पेट्रोनेज नहीं रहेगा तब तक लोगों में इनिशियेटिव नहीं होगा और जब तक उनमें इनिशियेटिव नहीं होगा तब तक लोकल बॉडीज में जान नहीं आ सकती है और सही माने में वे लोग लोगों को रिप्रेजेन्ट उनके रिप्रेजेन्टेटिव बन कर नहीं कर सकेंगे। आपने इस बिल में इनिशियेटिव नहीं रखा है। Give them freedom to commit mistakes. इसलिये उनको इनिशियेटिव लेने का मौका दें।

दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि बलवन्तराय कमेटी ने यह डीसेन्ट्रेलाईजेशन डेमोक्रेसी में इसलिये किया था कि जब तक हमारे देश में Unless and until we have a system of worthy and strong local Self-Government तब तक डेमोक्रेटिक स्ट्रेक्चर हमारे देश में चल नहीं सकता Democracy itself will come into danger. जब तक हमारी लोकल बॉडीज स्ट्रोंग नहीं बन सकती तब तक वह गलतियाँ न करें। सभापति महोदय, इस बात को सभी लोग जानते हैं कि हिन्दुस्तान में बाहर के लोगों ने हमले किये। दिल्ली का तख्त कई लोगों के हाथ में रहा। लेकिन आप देखेंगे कि हिन्दुस्तान में गांवों का इनिशियेटिव था वह तो वैसा का वैसा ही रहा। यही एक वजह है कि आज हिन्दुस्तान पर इतने एटेक्स के होते हुए भी हमारी कल्चर वैसी ही है it continued as it was उन्होंने हमारे कल्चर को इन ओरिजनल रिटेन किया।

जब तक हमारी लोकल बॉडीज अपने आप जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगी तब तक वे मजबूत नहीं बन सकेंगी। इसलिये आज हमको यह करना चाहिये कि सारे के सारे लोकल बॉडीज हैं उनको स्वतन्त्रता से काम करने दिया जावे। Give them that freedom for certain things. बस, इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : (आमेर-सु०): सभापति महोदय, सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिये जो बिल पेश किया है उस संबन्ध में मैंने अपना अमेन्डमेंट रखा है और वह यह है कि इसको जनमत के लिये प्रसारित किया जावे। मैंने इस बिल को शुरु से आखिर तक पढ़ा और बहुत सारी बातों को देखा और उसके पश्चात् मेरे दिल में बात आई वह यह कि राज्य सरकार सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट महादेवजी ने किया था। उन्होंने सारी सता को भस्मासुर को दे

(श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री)

दिया था। उनके साथ जो मामला हुआ, मुझे खतरा है कि कहीं ऐसा ही मामला हमारे साथ न हो जावे।

एक माननीय सदस्य : उनके साथ क्या मामला हुआ ?

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : उसने पार्वतीजी को भी इधर उधर कर दिया। तो इस बिल में बहुत सारी बातों का समावेश किया है। सलेक्ट कमेटी ने लिखा है उसके अंतर्गत यह बताया गया है कि पंचायत समिति के सभापति प्रधान कहलावेंगे और उनके चुनाव उस तहसील के सरपंच और पंचायतों के सरपंचों द्वारा होगा। साथ ही साथ धारा ६ में लिखा है कि एक हरिजन को कोऑप्ट किया जावेगा। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज भी बहुतसी पंचायतें हैं जिनमें हरिजनों को रखा गया है मगर उनकी पंचायतों में जाजम पर बैठने नहीं दिया जाता है। उनको पानी नहीं पिलाया जाता है। उनको कह दिया जाता है कि राज्य सरकार ने आपको इसलिये रखा है जिस प्रकार पुराने जमाने में राज्य बलाई को रखा जाता था उसी प्रकार यहां पर रखा जाता है। जब कि आज......

श्री हरिप्रसाद यादव : (बल्लभनगर-सु) ऐसा कहीं नहीं होता। यह हरिजनों का अपमान है।

श्री सभापति : आप इनको बोलने दें।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : मैं आपके सामने उदाहरण पेश करूंगा। माननीय सदस्य को मैं बता देना चाहता हूं कि मैं कल ही जुगली गांव में जाकर आया हूं। वहां के हरिजनों को सुवर्णों ने कुल्हाडों से मारा और उनके हाथ पैर टूट गये और वे काम करने योग्य नहीं रहे।

श्री हरिप्रसाद यादव : ऐसे तो कई झगड़े हो जाते हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : मैं यह निवेदन करूंगा कि वे हरिजनों के प्रतिनिधि हैं, उनको मालूम नहीं होगा। मैं कहने के लिये तैयार हूँ। मैं उस गांव में जाकर आया। बेचारे हरिजन खेतों को बो रहे थे, पर्चे उनके पास थे। मगर फिर भी उस गांव के कई सुवर्णों ने आकर उनको फर्शों, कुल्हाड़ियां और लाठियों से मारा। बेचारे हरिजन अपने खेतों में थे और उनको बुरी तरह से मारा और उसके फलस्वरूप कई लोगों के हाथ पैर टूट गये। मुझे देख कर बड़ा दुःख हुआ कि औरतों पर भी प्रहार किया गया। औरतें पड़ी पड़ी चिल्ला रही थी। उनके बच्चों को लाठियां मारी गई जो कुछ नहीं जानते। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि उसमें पंचायत के पंच का हाथ था। यह जुगली गांव है। पंच ने यह कहा कि हरिजनों को मार दो। मेरे बैंक में ८० हजार रुपये जमा हैं उनको मैं खर्च करने के लिये तैयार हूँ। माननीय सदस्य अगर जाकर देखना चाहें तो देख सकते हैं। यह २५ मील के फासले पर है आप जाकर देख सकते हैं। मैं इसके लिये इन्तजाम करने को तैयार हूँ।

एक माननीय सदस्य : आप मोटर लेकर जावेंगे ?

Page No.71

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : आप कहेंगे तो सब कुछ इन्तजाम करूंगा।

एक हरिजन मेरे इलाके में है। वहाँ पर उसको जमीन एलॉट की है। पर्चे आदि सब कुछ उसके नाम पर हैं फिर भी लोगों ने उस पर रात को आक्रमण किया और १० आदमी परसों के दिन उसके शिकार हुए। मैं यह निवेदन करूँगा कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

श्री सभापति : आप इस विधेयक को जनमत को प्रसारित करने के दृष्टिकोण से कहिये।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री: इस प्रकार एक हरिजन को जान से मार डाला उसकी कोई सुनवाई नहीं। मैं निवेदन करूँगा कि ऐसा न हो कि इससे भी ज्यादा कठिनाई फिर हमारे सामने आ जावे। हमारे हरिजनों की आज यह हालत है जबकि अधिकार राज्य सरकार के हाथ में है। हम एस० डी० ओ०, कलेक्टर, तहसीलदार के पास जाते हैं और उनको अर्ज करते हैं फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती। अगर सारे मामले पंचायत समिति या जिला परिषद् के सदस्यों के पास चले जावेंगे तो कोई सुनवाई नहीं करेंगे। चाहे जिसका बाड़ा होगा मगर जिसको चाहेंगे उसका मान लेंगे। वे यह कहेंगे कि हरिजन का नहीं है किसी सुवर्ण का है। हमारे हरिजनों की कोई सुनवाई नहीं होगी। वहाँ पर एक आदमी हरिजन होगा वह भी नाममात्र का होगा। मैं यह निवेदन करूँगा कि...

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय सदस्य बोल रहे हैं, मैं भी हरिजन हूं, मैं भी...

श्री सभापति : आपको भी इसके बाद बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री हरिशङ्कर सिद्धान्त शास्त्री : इससे २५ लाख हरिजनों का जीवन खतरे में पड़ जावेगा। वे मारे मारे फिरेंगे। कलेक्टर के पास जावेंगे, माननीय मंत्री के सामने हाथ जोड़ कर कहेंगे और वे यही कहेंगे कि पंचायत के सरपंच या प्रधान के पास जाओ और लिखा कर लाओ....

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : मैं समझ नहीं पाया कि आप चाहते हैं क्या? क्या आपकी समझ में आया?

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : आप सुनिये तो सही आप हरिजनों की बात को सुनना नहीं चाहते हैं क्या?

श्री सभापति : वे कह रहे हैं जिला परिषदें होने के बाद तो हमारी सुनवाई नहीं होगी।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : आप समझ बैठे हैं कि एम. एल. एज़. हुकूमत कर लें? इस तरह की बातें होती हैं तो मुख्य वे मन्त्री, और मन्त्री से जाकर कहते हैं, कुछ फैसले भी होते हैं आगे जाकर ऐसा नहीं होनेवाला है। इसमें एम. एल. एज़. का प्रमुख ध्यान रखा गया है। वे जिला परिषदों के सदस्य नहीं हो सकेंगे। वे पंचायत समि-

(हँसी)

तियों में नहीं होंगे। जिला परिषदों में वे खाली मात्र बैठे रहेंगे। पंचायतों में सरपंच होंगे, पंच होंगे लोग उनके पास जावेंगे और

(श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री)

एम. एल. एज. के पास नहीं आवेंगे तो उसका क्या रहेगा ? इसमें इस तरह की बातें हैं।

चेअरमैन भी दूसरे होंगे। कलेक्टर भी नहीं रहनेवाले हैं। गश्त गिरदावर, इन्सपेक्टर, लैंड रेकॉर्ड्स के कर्मचारी, अफसर, नायब-तहसीलदार वगैरह वे सब पंच और सरपंच के आधीन काम करेंगे। जिस प्रकार पंच और सरपंच बातें कहेंगे उसी प्रकार से उनको करना पड़ेगा। दूसरों की वे लोग सुनेंगे नहीं। मैं एक गांव में गया। पूछा कि अच्छी तरह कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? उसने कहा कि पंच लोग प्रभाव डालते हैं। मास्टर लोग कहीं काम करते हैं और वे यदि पंच और सरपंच को सलाम नहीं देते हैं तो उनको कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक किया जावेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हाऊस के सामने इस प्रकार की सारी बातों को ध्यान में रख कर इस पर पूरी तरह से विचार किया जाय। सबसे ज्यादा अच्छी चीज तो यह है कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिए प्रसारित किया जाये जिससे सब इस पर ठीक तरह से सोच सकें कि क्या करना चाहिये और क्या नहीं। अगर इसी तरह से इस बिल को पास किया गया और हरिजनों के लिए सोचा नहीं गया तो यह वास्तव में हरिजनों के लिए घातक होगा।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय सभापति महोदय, सम्राटों से, सामन्तों से शक्ति जब हटी तो वह जनता में आकर निहित हुई। हमारा यह उद्देश्य रहा कि मानव मानव पर हुकुमत न करे। यह मानवता पर कलंक है। हम नहीं चाहते कि कोई मानव दूसरे मानव पर हुकुमत करे और इस हुकुमत का जो यह सिद्धान्त था और सबसे पहले प्लेटो ने ऐलान किया था कि कभी कभी शासन शक्तिशालियों के हाथ में रहता है और लोग यह समझते हैं कि न्याय शक्तिशाली ही कर सकते हैं, इस सिद्धान्त को उसने चुनौती दी और उसके बाद यह माना गया कि शासन लोगों की इच्छा के आधार पर चलना चाहिये और इसलिए कहा गया कि कानून लोगों की इच्छा का स्वरूप है। हम ज्यों ज्यों आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते सोचा हमने कि इस प्रान्त की १॥ करोड़ की जो जनता है और जिसमें हम २३६ पंचायत समितियाँ बना सकते हैं, २६ जिला परिषदें बना सकते हैं। आखिर में इस बात का बहुत बड़ा, कहना चाहिये, कोने २ पर ऐलान हुआ। मुख्य मंत्री महोदय के भाषण हुए, और भी लोगों के भाषण हुए और उन्होंने इस बात के लिए जोर दिया कि हमें विकेन्द्रीकरण कहना चाहिये। दो, चार बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।

यह विकेन्द्रीकरण सत्ता का है या विकेन्द्रीकरण काम का है ? सत्ता और काम ये दो चीजें भिन्न भिन्न हैं। पहला प्रश्न जो मेरे दिमाग में खड़ा होता है वह यह है कि यह जो विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं यह विकेन्द्रीकरण वास्तव में जो सत्ता है उसका हो रहा है या जो काम है उसका विकेन्द्रीकरण हो रहा है ? दूसरा प्रश्न यह है कि हम उस मुल्क में विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं जिस मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा अब तक अशिक्षित है, अनडवेलप्ड है और कई बातों में पिछड़ा हुआ है। मुख्य मंत्री महोदय ने आज कहा कि राजस्थान पिछड़ा हुआ कहलाता है। हम

Page No.73

(श्री मूलचन्द डागा)

इस पिछड़े हुए इलाके में जिसने कई वर्षों तक दोहरी गुलामी सही है, सम्राटों और जागीरदरों की दोहरी गुलामी सही है, उस इलाके में एक क्रान्तिकारी कदम रखना चाहते हैं। तो क्या इस स्थिति में ये जो पंचायत समितियां और जिला परिषदें जिस रूप में हम निर्माण करने जा रहे हैं इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगी ? यह दूसरा सवाल है।

तीसरा सवाल है कि हम इस बिल में क्या देने जा रहे हैं और उसको देने के बाद क्या हम संतोष ले सकेंगे ? हम चाहते हैं कि हमारा काम है वह बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप कई २ बार कहते होंगे कि बलवन्तराय मेहता ने उदाहरण दिया कि एस. डी. ओ. हैं वे पंचायत समितियों के अध्यक्ष होने चाहिये लेकिन आप ने उस सुझाव को लोकतान्त्रिक तरीके में ठीक न समझ कर, जनतन्त्र के जमाने में ठीक न समझ कर, पंचायत समितियों में चुनिन्दा अध्यक्ष किये हैं। लेकिन दो, चार इस सम्बन्ध में बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि जो पंचायत समितियाँ बनेंगी उन समितियों के जो बजट बनेंगे, एक बात मानी हुई है, आप मानें या न मानें, यह ५६ लाख सेना बनी हुई है नौकरशाही की, हम कहते हैं जिनसे उत्पादन नहीं होता, जो बुद्धिजीवी हैं और उस सेना का काम करने का दृष्टिकोण है, ५६ लाख की जो नोकरशाही की सेना है, जो उत्पादन कुछ नहीं करती है, उनकी संख्या बढ़ाई जाय या नहीं, घटाई जाय या नहीं तो मुझे मालूम होता है कि आपके इस विकेन्द्रीकरण से आपके इस नोकरशाही की संख्या और बढ़ रही है और हम नहीं मान सकते कि विकेन्द्रीकरण से शासन का खर्चा कम होता है। लेकिन एक बात मालूम होती है कि इस विकेन्द्रीकरण से तो शासन के खर्चे में और बढ़ोतरी होगी और उसका जनता पर और खर्चा बढ़ेगा। आप इस बात को मानते हैं और आखिर इस बात को कई बार माना है कि हम नोकरशाही को कम करना चाहते हैं लेकिन आपने जो बिल पेश किया है उस बिल से यह मालूम होता है कि जिला के स्तर पर, जो नोकरी करनेवाले लोग हैं, कलेक्टर, एडीशनल कलेक्टर, आपके डी. एम. एच. ओ., एग्रीकल्चर ऑफिसर्स आदि, उनके अलावा सरकार की ओर से जिला परिषदों, पंचायत समितियों और स्टेडी ब्लॉक्स में और भी लोग होंगे।

तो पहले जो आपने ऐलान किया कि हम इस नोकरशाही को कम करना चाहते हैं मैं समझता हूँ विकेन्द्रीकरण के बाद भी आपको यह आवश्यकता महसूस होगी कि हम ज्यादा लोगों को नोकरी लगायें। इससे क्या होगा ! एक खतरा हो सकता है। हमारे यहां जो सेक्रेटरीज होंगे, जिला परिषदों के जो सेक्रेटरी होंगे कम से कम उनके लिए मुख्य मंत्रीजी इस बात का स्पष्टीकरण करेंगे सेक्रेटरी किस लेवल के होंगे ? कम से कम २५०) रु० से ५००) रु० के तो अवश्य होंगे ? और इसके अन्तर्गत कुछ काम करनेवाले क्लर्क्स भी होंगे। आप यह बतलाईए कि जिला परिषदों का उपयोग क्या है ? जैसा कि हम इस बिल में पाते हैं जिला परिषदों का उपयोग केवल पंचायत समितियों पर शासन करना है। हम समझते हैं यह निरर्थक, अनुचित और इन्टरफियेरेन्स हैं पंचायत समितियों पर।

आप जिला परिषदों से क्या काम करवाना चाहते हैं ? पंचायत समितियों को जब सारे

Page No.74

(श्री मूलचन्द डागा)

एकाधिकार दे दिये हैं वहां सारे पंच इकट्ठे होते हैं उस इकाई के, उस क्षेत्र के और वे सारे इकट्ठे होकर जिले के विकास की बातें सोचते हैं। जब आप दफ्तरी दृष्टिकोण को कम करना चाहते हैं तो फिर जिला परिषदों का मकसद क्या है ? आप यह मान चुके हैं कि पंचायत समितियों में ब्लॉक डवेलपमेंट ऑफिसर काम करेंगे। वे उसमें बैठेंगे। इसके अलावा सरकार के जितने भी काम करनेवाले कर्मचारी हैं वे भी वहां उपस्थित हो सकते हैं। पंचायत समिति का अपनी इकाई पर सारा शासन होगा, इस व्यवस्था के बाद भी जिला परिषदों की क्या उपयोगिता समझते हैं ? जिला परिषदों की उपयोगिता मेरी समझ में गवर्नमेंट और पंचायत समिति के बीच बाधा के रूप में होगी। क्योंकि जहां पंचायत समिति को पूरा अधिकार है वह अपने क्षेत्र का काम करे। इस स्थिति में जिला परिषदों का उपयोग किस रूप में होगा ? मैं समझता हूं यह लोकतांत्रिक तरीका नहीं हो सकता। यह व्यर्थ है। लाल फीताशाही को जहां हम मिटाना चाहते हैं, नौकरशाही के कारण हमारे काम में जो ढीलापन है उसमें तेजी लाने के लिये जहां हम कार्य करने जा रहे हैं वहां जिला परिषदें रुकावट का काम करेंगी।

पंचायत समिति बजट बनाती है। उसके बाद वह बजट पंचायत समितियें विकास अधिकारी को साथ लेकर बनाती हैं, उस बजट को पारित कर देती हैं। उसके बाद वह जिला परिषद में जाता है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस पंचायत समिति में सारे ब्लॉक के पंच इकट्ठे होते हैं वहां के अधिकारी इकट्ठे हो जाते हैं। वे अधिकारी सोच समझ कर बजट का निर्माण करते हैं। फिर उस बजट को जिला परिषद में भेज कर आप किस बात की मोहर लगाना चाहते हैं ? जो पंचायत समितियां लोकतन्त्रात्मक तरीके से बनी हुई हैं उन समितियों के कार्य में हेरफेर करके जिला परिषदों में भेजते हैं उसके कारण कितनी कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं ? मेरा यह निवेदन है जो पंचायत समितियां बजट स्वीकार कर लेती हैं वह बजट फाइनल होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का हेरफेर या संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

जिला परिषद् का जहाँ तक सम्बन्ध है वह सरकार से संबन्ध रखती है। मुझे मालूम है कि जैसा कि यह बिल बतलाता है आपका एस० डी० ओ०, बी० डी० ओ० और इस तरह बड़ी ऊँची ऊँची तनख्वाह पानेवाले व्यक्ति हैं वे पंचायत समिति में मौजूद हैं। उनको सारी बजट योजनाओं का ज्ञान है। इसके अलावा भी सरकारी अधिकारियों को उस पंचायत समिति में निमन्त्रित किया जा सकता है वैसी हालत में उसके ऊपर जिला परिषदों की क्या आवश्यकता है ? अब तक इस सवाल का उत्तर मुख्य मंत्री महोदय नहीं दे सके। जिला परिषदों का कितना वार्षिक बजट बनता है ? २६ जिला परिषदें होंगी उनका शासन हम चलाना चाहते हैं। उससे हमारे वतमान बजट पर जो पहले से ही काफी बढ़ा - चढ़ा है कितना बोझ पड़ेगा, यह बताया नहीं ? उसके अलावा २३२ पंचायत समितियाँ भी काम करेंगी। उनका किन किन मामलों में इन्टरफिअरेन्स किस तरह से हो सकेगा, वह भी इस बिल में अस्पष्ट है ?

Page No.75

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं समझता हूँ कि बिल स्पष्ट है। इन्टरफियेरेन्स की कल्पना ही नहीं की जाती।

श्री मूलचन्द डागा : आप इन्टरफियेरेन्स की कल्पना नहीं करना चाहते। लेकिन जब पंचायत समितियां अपना बजट बना लेती हैं फिर उस बजट को जिला परिषद् में भेजने की क्या आवश्यकता समझते हैं? यह जो नया कदम रखने जा रहे हैं इस कदम को रखने के अन्दर आप धीरे धीरे कदम रखना चाहते हैं। आपका यह जो बिल है वह प्रयोगात्मक रूप में होगा। यह ठीक नहीं है हम चाहते हैं कि पंचायत समिति को पूरे अधिकार होने चाहिए। जब वह बजट पारित कर देतो उसको जिला परिषद् में भेजने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

दूसरी बात जो हमें इस बिल से मालूम नहीं होती कि सरकारी नोकर जो हैं, पंचायत समितियों के जो अध्यक्ष हैं उनका और सरकारी कर्मचारियों का आपस में एक दूसरे से क्या संबन्ध रहेगा? आपने एक ढंग से कह दिया, हल्के ढंग से कह दिया लेकिन यह आप नोकरशाहीपन की बू छोड़ देते हैं। हमारे साथ वे सहायक के रूप में कार्य करेंगे, इस बात को मैं अब तक नहीं समझ पाया। जहाँ आप पंचायत समितियों द्वारा काम करना चाहते हैं वहाँ इस हालत में पंचायत समिति को पूर्ण अधिकार हैं या नहीं, यह समझ में नहीं आता। इस बिल से केवल यह समझ पाया हूँ कि आपके ब्लॉक के विकास काम हैं उनको करने की मोनोपोली आप जहाँ बी० डी० ओ० को नहीं दे सकते उसे आप एक तरह का इस प्रकार का साधन बनाना चाहते हैं कि वह एक प्रकार से इन कामों से स्वतंत्र हो जाय और केवल उसको बैठे बैठे तनख्वाह मिले और सारा काम दूसरे ही करें, मैं तो इसका मकसद यही समझ रहा हूँ। आज जो बी० डी० ओ० एक कोने से दूसरे कोने तक भागता है, कुछ काम करता है कहीं उसको यह खतरा न पैदा हो जाय कि वह बैठा रहे? इसके अलावा बी० डी० ओ० की इच्छा पर यह निर्भर करता है वह चाहे जिसे निकाल सकता है चाहे जिसे रख सकता है। आज हम देखते हैं कि पटवारी पंचायत समिति के अधिकार में नहीं हैं, रेवेन्यु इन्सपेक्टर नहीं हैं, नायब तहसीलदार नहीं हैं, तहसीलदार पर पंचायत समिति का अधिकार नहीं है।

आपने एक ढांचा खड़ा किया है और इस ढांचे के आधार पर आप सारे काम का वजन उन लोगों पर लादना चाहते हैं और उन लोगों का ६ करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने अभी निकाला है वह रुपया रिकवर नहीं कर सकी। पंचायत समितियों के द्वारा गांव गांव के अन्दर आप टैक्स लगवा कर एक नया कदम पंचायत समितियों द्वारा उठवाना चाहते हैं। पर आप यह कदम उठाने के पहले यह सोच लें कि हमारा राजस्थान कितना गरीब प्रान्त है और कितना पिछड़ा हुआ है। यह चीज आपके काम में बाधा डालेगी। लेकिन आप हमें यह बतायें कि आपने टैक्सेशन की पॉलिसी का कौन सा टैक्स कब युनिवर्सल बना दिया? आपने यह टैक्स लगाने का काम पंचायत समितियों पर छोड़ दिया और ऐसा हो सकता है कि एक पंचायत समिति एक टैक्स लगाती है और दूसरी नहीं लगाती है तो इस तरह के काम से आप नया कॉन्फलिक्ट पैदा कर रहे हैं। आपने अपना कुछ भी सिद्धांत नहीं बताया।

(श्री मूलचन्द डागा)

आपने तो पंचायत समितियों पर छोड़ दिया कि वे टैक्स लगायें, उसको रिकवर करें और उससे वे अपना खर्च चलायें। आप किसी भी एक पंचायत समिति का बजट बनाईये और फिर यह बतलाने की कोशिश करिये कि खर्चे को हम कम कैसे करें।

विकेन्द्रीकरण मैं तीन बातों से मानता हूँ। दरअसल में वह विकेन्द्रीकरण कहलाता है जिसमें जनता में सत्ता निहित हो जाये। तो इस बिल से जैसा मुझे मालूम होता है मैं भी समझता हूं कि आपकी डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेन्ट कमेटियां हैं, अभी भी पंचायत तहसील में डवेलपमेन्ट कमेटीज हैं और तहसील के अन्दर जो डवेलपमेन्ट कमेटी है उनमें कौन बैठते हैं ? उनमें वहां तहसीलदार बैठता है, वहां का एम० एल० ए० बैठता है, वहां के पंच बैठते हैं और कुछ और लोग बैठते हैं। वह तहसील की जो डवेलपमेन्ट कमेटी है वह अपने प्रोपोजल्स पेश करती है। तहसील की जो आज की डवेलपमेन्ट कमेटीज हैं जिनके कन्वीनर तहसीलदार हैं जहां एम० एल० ए० जाते हैं, पंच जाते हैं और दूसरे जाते हैं वे बैठ करके सारे तहसील की बातें रखते हैं। तहसील पंचायत अपना सारा काम डिस्ट्रिक्ट कमेटी को भेज देती हैं कि हमने डवेलपमेन्ट कमेटी में यह पास किया है। तो इस काम को आपने और रूप में विकेन्द्रीकरण किया कि जो काम हम ५, ७ या ११ आदमी बैठ करके तहसील डवेलपमेन्ट कमेटी में कर सकते थे वह सारा काम अब पंचायत समितियां करेंगी। क्या इसमें कुछ फर्क है ? अगर आप इसमें कुछ फर्क समझते हैं तो इसमें मेरे ख्याल से ३, ४ बातों का फर्क है। नाम का फर्क है। एक फर्क आपने समझा होगा कि हम सरपंचों को इकट्ठा करते हैं। मैं कहता हूँ कि हम जब तकावी का वितरण करते हैं, अभी भी जब हम डवेलपमेन्ट की बातें करते हैं तब सारे गांव के पंच इकट्ठे हो जाते हैं, एम० एल० ए. आते हैं, तहसीलदार आते हैं, नायब-तहसीलदार आते हैं, पटवारी आते हैं और जरूरत होती है तो हम एग्रीकल्चर ऑफिसर को भी बुला लेते हैं। लेकिन अब हमने यह तरीका सोचा कि तहसील की जो पंचायत समितियां हैं वे इन सारे कामों को करेंगी। वह काम कि जो हम सोचते हैं कि इतने आदमी बैठ करके सोचें। एक बात आप महरबानी करके सोचने की कृपा करें कि आपकी जो तहसील की पंचायतें हैं, डवेलप-मेन्ट कमेटीज हैं, विकास समितियां हैं उन विकास समितियों में और इन पंचायत समितियों में क्या अन्तर होगा ? एक बड़ी बात जो इसमें सोचने की है वह यह है कि अन्तर जरूर है कि हम टैक्स नहीं लगा सकते थे वह अब पंचायत समितियां बैठ करके गांव गांव में उनकी आर्थिक हालत जानकर उन पर टैक्स लगा सकती है। यानि वहां पर सारे डवेलपमेंट के कामों को जो अब तक ४ या ५ आदमी बैठ करके करने की सोचते थे वह ज्यादा संख्या में एक जगह बैठ कर करेंगे। यह मेरे ख्याल से हमारे बजट पर और ज्यादा खर्चा है। राजस्थान के अन्दर जहां हमें अभी लाखों और करोड़ों की सम्पत्ति उसके विकास के लिए खर्च करनी है तो आप सोचें कि यह पंचायत समितियां श्रम के रूप में टैक्स लगा सकती हैं या नहीं, इस पर आपकी योजना है या नहीं ? क्योंकि समिति जो आपने श्रम के रूप में काम करती थी और काम करके अपना काम पूरा कर लेती थी अब

(श्री मूलचन्द डागा)

उस काम को आप बड़े रूप में लाकर जो काम तहसील की डवेलपमेन्ट कमेटीज करती थीं वह सारा काम आपने पंचायत समितियों को लाकर रख दिया और सारे डिपार्टमेन्ट्स जो छोटे छोटे डिपार्टमेन्ट्स हैं उन कामों को आपने उनकी देखरेख में सुपुर्द कर दिया। मैं कहता हूं कि आज तक क्या सरपंच, क्या अपने गांव के पंच इन कामों को देख सकते थे या नहीं, वे डवेलपमेंट कमेटी के मेम्बर होने के नाते उन कामों की जाँच कर सकते थे या नहीं ? तो मुझे आगे मालूम होता है कि आपने सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं किया है बल्कि अपने जो काम थे उन कामों का विकेन्द्रीरकण इस रूप में किया है कि जो काम आपके ब्लॉक डवेलपमेंट ऑफिसर्स कर सकते थे उन कामों का भार पंचायत समितियों के अध्यक्ष वहन करें और ब्लॉक डवेलपमेन्ट ऑफिसर्स आराम की जिन्दगी बसर करें........

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** : मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य ने रिपोर्ट को पूरा पढ़ा है....

श्री मूलचन्द डागा : मैंने तो इसको कई बार पढ़ा होगा और अभी भी आप स्पष्ट कर दें कि जो तहसील में कमेटियां बनाई थीं....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : किसी भी धारा में यह नहीं है कि जो काम पहले बी० डी० ओ० करते थे उनको अब पंचायत समितियों के अध्यक्ष करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : मेरे ख्याल से बिल के साथ साथ बिल की सारी धाराएं भी पढ़नी चाहिए। कोई एक धारा पढ़ने की कोशिश करें और यह बतलाने की कोशिश करें कि इसके अन्दर नहीं लिखा है, मैं यह जानना चाहता हूं कि आप जो शब्द कह रहे हैं 'सत्ता का विकेन्द्रीकरण' मैं यह दरअसल में चाहता हूँ कि जनशक्ति को आप काम में लाना चाह रहे हैं यह सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं है। यह विकेन्द्रीकरण सत्ता का नहीं हुआ है अपितु यह विकेन्द्रीकरण काम का है, टैक्सेशन का है। अगर आपको सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना है तो पंचायत समिति पटवारी को बुला कर काम करने को कहे, तहसीलदार को कहे और उन लोगों के सारे कामों की देखरेख उन कामों में इन्टरफिएरेन्स करना और जाँच करना और डे-टू-डे का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह तो यों का यों काम है।

इसके अलावा आपने एक काम और दिया है जनसहयोग बढ़ाने का। यह नये युग की आधारशिला है, यह आपने अपने भाषण में कई बार कहा। मैं कहता हूं कि इस प्रकार से जन सहयोग नहीं हो सकता। आप जनता में पूरा विश्वास कायम कीजिए कि जनता में अपने आप में काम करने की ताकत है। मैं मानता हूं कि आपने उनको अधिकार दिये हैं कि टैक्स आप लगा सकेंगे। मैं कहता हूँ कि जो मुल्क बहुत पिछड़ा हुआ है, जहाँ टैक्सेशन की गुन्जाइश नहीं है वहां खर्च और बढ़ेगा। तो आपकी जो ब्लॉक डवेलेपमेन्ट कमेटी थी उसमें और इन पंचायत समितियों में क्या अंतर है, मौलिक अन्तर क्या है ? क्या आपने पंचायत समिति के अध्यक्ष को पुलिस स्टेशन में जाकर देखने का अधिकार दिया है ? क्या उसको अधिकार है कि एक थानेदार जो मुलजिम के साथ अत्याचार

Page No.78

(श्री मूलचंद डागा)

कर रहा है उसको देख सके ? मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी मौलिक अधिकार उसके पास नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि यह सब अधिकार उसको होने चाहिए। हम तो ऐसे विकेन्द्रीकरण को ही पसन्द करते हैं । अगर आप कहते हैं कि ५ हजार रुपया लाकर २॥ हजार लेकर अपनी बिल्डिंग बनाईये। टीक है, उसको पूरा हमारे सिर पर डाल दें। हम बनायेंगे कुंए और कुंए बनाने के साथ हमारे पास अधिकार है, हम तहसीलदार से पूछ सकते हैं कि किस तरह से केस डिस्पोज ऑफ करते हैं ? क्या तहसील पंचायत को अधिकार है कि वह किसी अहलकार से कहेगी कि लाओ तुम अपना रेकॉर्ड लाओ तुमने कितना काम किया है ? और तुमको सस्पेन्ड करते हैं तुमने यह काम नहीं किया।

आपने कौन से अधिकारी को, अपने कर्मचारी को तहसील पंचायत या पंचायत समिति के नीचे डाल दिया और कह दिया कि तुम्हारे सारे भाग्य का निपटारा पंचायत समिति करेगी और हम कुछ करनेवाले नहीं हैं ? अगर आप अपने अधिकारियों को पंचायत समिति के हाथों में सौंप देते हैं और उनसे काम लेती हैं पंचायत समितियां तो उनमें एक नई चीज आ सकती है। आपका हैडमास्टर, आपका मुख्याधिकारी, प्राइमरी स्कूल का टीचर, आपका डॉक्टर और अगर वह डॉक्टर और हैल्थ सेन्टर का जो कम्पाउन्डर है वह पंचायत समिति के अधिकार में नहीं है उनके बस की चीज नहीं है तो यह केवल सत्ता का विकेन्द्रीकरण न होकर काम जो था उसका बंटवारा कर दिया है और कह दिया है कि तुम जानो और तुम्हारा काम जाने विकास करना है तो पैसा इकट्ठा करो गांव में और आपका बजट और बढ़ा देंगे। मेरे दिमाग में जो था वह यह था कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण का मतलब यह है कि गांव में हम ऐसे ऑफिसर नहीं देखना चाहते हैं तहसीलदार या एस. डी. ओ. जो कि दैत्य का रूप लेकर घर बना कर खायें। अभी मुनीम के बारे में भाषण हुए थे कि सेठ तो चने चबा कर रहें और मुनीम लोग आराम करें। सेठ की जगह उसको दे दी कि वह मुनीम से कहे। मुनीम की जगह उनको देते हैं। बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई उनमें मैंने भी भाषण सुने। आप अगर यह बतलाने का कष्ट करें कि पंचायत समितियों में आपने कौन सी सत्ता निहित कर दी जो हम कहते हैं कि सम्राटों, समान्तों की शक्ति जनता में आ गई ? वह जनता की जो शक्ति है उस शक्ति का हम चाहते हैं कि नोकरशाही से हटा कर, तहसीलदार से हटा कर, थानेदार से हटा कर, एस.डी. ओ. से हटा कर वितरण किया जाय। हम उन शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं जिन शक्तियों से आप एक मनुष्य को अपने अधिकार में करना चाहते हैं जिससे हमारे नोकर हम पर अधिकार करना चाहते हैं। मुनीम मुनीम की जगह रहे और सेठ सेट की जगह रहे। फिर आप देख लें कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ। मुनीम ने बड़ी होशियारी से बिल बनाया। मुनीम ने बिल में रखा कि सेठ को काम सौंपा जाता है कि तुम इकट्ठा करो पैसा। वह पैसा इकट्ठा करके पंचायत में लगायेगा। टीक है, मैं बिल की जो भावना है, जो इसकी आन्तरिक इच्छा है उसको टीक मानता हूँ। यह टीक है कि हम लोग एक साथ बैठ कर आपस में मिल-जुल कर कुछ काम करें। लेकिन मेरे दिमाग में यह है कि मनुष्य एक साधन है। हिन्दुस्तान या राजस्थान का मनुष्य एक साधन है।

(श्री मूलचन्द डागा)

उसकी भावनाएं, उसकी अभिलाषाएं, उसकी आकांक्षाएं आदि भी साधन हैं और उन साधनों को इकट्ठा करके काम में लाना चाहते हैं। वह तभी हो सकते हैं सारे साधन जब कि आपका दफ्तरी दृष्टिकोण हट जाय। आपके हाकिम वही हैं। आज तहसीलदार के सामने एक सरपंच जाता है तो तहसीलदार अपनी कुर्सी पर अड़ा हुआ है, मजबूती से बैठा हुआ है और जानबूझकर कहता है कि कहो कैसे आये? आपका वातावरण ऐसा है। आप देखें कि आज के युग में कोई एम. एल. ए. शक्तिशाली है, कोई मजबूत है वह जाता है तो एस. डी. ओ. कहता है, आओ साहब और दूसरा कोई जाता है तो कहते हैं कि कैसे आया, खड़ा रह। मेरे दिमाग में आता है कि आप इस चीज को हटाने के पहले विकेन्द्रीकरण के नाम पर सत्ता का विकेन्द्रीकरण चाहते हैं तो मेरे दिमाग में वह सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं होकर काम का विकेन्द्रीकरण हुआ है, टैक्सेशन का विकेन्द्रीकरण हुआ है, डवेलपमेंट के वर्क का विकेन्द्रीकरण हुआ है, और कोई विकेन्द्रीकरण का सेन्स इसमें नहीं है। आपके पटवारी को सस्पेन्ड नहीं कर सकती है पंचायत समिति अपने आदेश से। तहसीलदार को हटा नहीं सकती है, नायब तहसीलदार को नोकरी से हटा नहीं सकती है। हम एक हैड-कॉन्स्टेबल को कहते हैं कि यदि वह किसी आदमी के जूते लगा रहा हो तब कि इसको मत मारो वह नहीं मानता है। तो फिर क्या सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ? मेरे दिमाग का जो नकशा है वह मैंने रखा है। वह विकेन्द्रीकरण यह नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : चेयरमैन महोदय, मैं समझता हूं कि एक नये बिल की आवश्यकता हो सकती है आप जो फर्मा रहे हैं उन बातों के लिए। यह जो बिल इस वक्त प्रस्तुत है उसके बेक ग्राउन्ड में कुछ फर्माते हैं तो वह लाभप्रद होता।

श्री मूलचन्द डागा : मुझे यही सुनना था। आख़िर मालूम हुआ कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण का बिल अलग आयेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप जो फर्मा रहे हैं तहसीलदार को निकालने का, थानेदार को निकालने का वह सारे का सारा इस बिल में नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : निकालने की जरूरत नहीं होगी। यह नहीं कोशिश की कि वे पॉवर्स या अधिकार जो सौंपना चाहते हैं वे अधिकार उनको दिये जांय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह सौंपना ही नहीं चाहते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : डीसेन्ट्रेलाईजेशन ऑफ पावर्स। आप चाहते हैं सत्ता का विकेन्द्रीकरण। जो बोलते हैं शब्द तो मैं यह चाहता था कि उसका अलग बिल होगा यह आपसे कहलाना।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : कहलाने से काम नहीं चलेगा। कोई ऐसा बिल आ नहीं रहा है। इस विश्वास से आप करें।

श्री मूलचन्द डागा : जो शक्तिशाली समाज होगा, जब लोग जागरूक हो जायेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे मुनीम हमारे

(श्री मूलचन्द डागा)

हाकिम हों। हम चाहते हैं कि जनता जनार्दन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे। हमारी यह भावना है कि हमारे पंचों में इतनी शक्ति आ जाये कि हम अपनी सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर सकें।

तो मैंने एक बात आपके सामने रखी कि आप पंचायत समितियों का जो बिल (?) है उनको दें। उनका जो बजट है वह ज़िला परिषद् में बाँटने का कष्ट नहीं करें। इस बात से आपका काम और अच्छा नहीं होगा, मेरी समझ में।

दूसरा जो मैंने कहा कि आपके जो ऑफिसर्स या अधिकारी जो उन समितियों में बैठ कर काम करेंगे। उनका और हमारा जो सम्बन्ध है वह यह बिल साफ नहीं कर सकता है कि हमारा उनसे क्या संबंध होगा? आप कह रहे हैं तो मैं इस बात को जानना चाहता हूं कि कलेक्टर जब चाहे किसी चीज को सस्पेन्ड कर सकता है? म्युनिसिपेलिटी के बारे में आपका कानून है और आपने सब ने पढ़ा है कि १९५ पॉवर्स दिये हैं कि कलेक्टर जहाँ चाहे वहाँ १९५ को यूज करे और उसका यह फल हुआ कि कोई भी काम हो १९५ के अन्डर में अनलॉफुल के घेरे में लाकर उसको किया है। जब आप सत्ता का विकेन्द्रीकरण चाहते हैं या समझ के साथ काम सौंपना चाहते हैं। उसमें आपके दिमाग में जो नक्शा है काम सौंपने के बाद हमारे अधिकारों को यह हटाना चाहता है। गवर्नमेंट यह समझती है कि हम जनता के लिए काम करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि जनता खुद काम करे। विकेन्द्रीकरण में दो बातें हैं। एक तो क्या होता है कि कुछ लोग जनता के लिए काम करते है और दूसरा जनता स्वयं अपने लिये काम करती है। आप चाहते हैं कि हमारी जनता के काम करने के लिए अधिकारी हों। हम नहीं चाहते हैं कि आप वे पॉवर्स उनको दें कि वे उस काम को सस्पेन्ड कर सकें, किसी काम को रोक सकें अपनी इच्छा से। अपनी टांग अड़ाएं जो हमारी परिषदें या हमारी समितियां हैं उनके निर्णयों में। उस पर किसी प्रकार की रोक हो, यह हमारी समझ में नहीं आया है। आप भी इसको पसन्द नहीं करेंगे कि इस प्रकार की रोक होनी चाहिए। यदि यह रोक हुई तो मैं समझता हूँ कि बड़ा नुकसान देगी और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है उसमें हम पूरी कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे।

अब मैं इस बिल में कुछ धाराएं हैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। अभी आपने हिन्दुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल पढ़ा होगा। राजस्थान में जो चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं मिस्टर बी. जी. राव उन्होंने उसे लिखा है। उन्होंने एक दो अच्छी बातों की संकेत किया है। क्योंकि यह मौका है जब कि हम सोच-समझ करबिल पारित कर सकते हैं। २ अक्टूबर को राष्ट्रपिता के जन्मदिन के अवसर पर गौरवशाली ऐलान करेंगे कि हमने राजस्थान में सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर दिया है। लेकिन इससे पहले हम अच्छी तरह से सोच-समझ लें, विचारलें तो अच्छा होगा। ऐसा न हो कि बाद में हमें दुःख हो। अभी तो बिल असेम्बली के सामने है। कुछ सोच कर ऐसी चीज़ जनता के सामने रख सकते हैं। जिससे हम कह सकें कि दरअसल में विकेन्द्रीकरण किया है। वे बातें हमारे सामने मौजूद होंगी और धारा-शास्त्री असेम्बली में काम करते हैं उनके लिये लोग

Page No.81

(श्री मूलचन्द डागा)

कहेंगे कि उन्होंने भावना को समझा और उचित रद्दोबदल किया। श्री बी. जी. राव ने एक जगह उदाहरण दिया है अमेरिकन प्रोफेसर मिस्टर रिग का उन्होंने एक सेन्टेन्स कहा था : The scheme of decentralisation in puite unsuitable for undeveloped countries and is sought with danger ous consequences. विकेन्द्रीकर करना चाहते हैं वहाँ जहाँ विकेन्द्रीकरण यदि हमारे ग्रामीण पंचों में जो पंच आते हैं और उनके आने के बाद मेहता रिपोर्ट के अनुसार एस. डी. ओ. को करना चाहते हैं कि वे अध्यक्ष बनें, अपनी इन पंचायतों में जिनको आप प्रमुख पंच या सरपंच बनाना चाहते हैं उनका चुनाव होना चाहिये यानि जो पंचायत समिति के अध्यक्ष बनना चाहें वे चुनाव के आधार पर आने चाहिये न कि....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अमेरिकन प्रोफेसर को जो आपने कोटा किया उसके बारे में समझ में नहीं आया, आगे का सेन्टेन्स पूरा बैठता है क्या ?

श्री मूलचन्द डागा : इस तरह से मुख्य मंत्रीजी यदि सतर्क रहेंजे तो अच्छा ही होगा।

श्री भैरोंसिंह : जो आपने अंग्रेजी में पढ़ा उसका करेक्ट ट्रान्सलेशन नहीं किया।

श्री मूलचन्द डागा : मैं चाहता हूँ कि जो इस बिल को पायलेट करें वे इसकी अच्छी तरह से व्याख्या करें, मैं फिर इसको पढ़ना चाहता हूँ....

श्री मोहनलाल सुखाडिया : वह तो मैंने सुन लिया। आपने अमेरिकन एक्सपर्ट की ओपिनियन पढ़ कर सुनाई और बाद में एकदम चुनाव पर आ गये। अमेरिकन एक्सपर्ट की राय इससे जोड़ रहे हैं या यह अलग पॉइन्ट है, यह मैं जानना चाहता हूँ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह कह रहा था कि जहाँ डिसेन्टेलाइजेशन पॉवर का हो तो वह जेमोक्रेटिक ढंग से होना चाहिये। वहाँ पर चुना हुआ सरपंच होना चाहिये। मान लीजिये एक ब्लॉक में ३० हजार या ४० हजार की जनसंख्या है। उसमें से एडल्ट फ्रेन्चाइज के आधार पर चुनाव होना चाहिये यह नहीं कि १०,१२ पंचों में से ही आप चुनाव कर लें और वह आदमी सरपंच बन जाय।

श्री भैरोंसिंह : यह इकॉनोमिकली डवलेप्ड हैं या नहीं जैसा कि उन्होंने लिखा है ! इसके बारे में आप क्या कहते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : इस पर भी कहूँगा।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : अमेरिकन एक्सपर्ट की ओपोनियन जो आपने कोट की है, उनकी राय से सहमत होकर राजस्थान में क्या यह लागू नहीं होना चाहिये या पुलिस के अधिकार और दूसरे अधिकार देने की बात कही वह होनी चाहिये ?

श्री मूलचन्द डागा : मैंने कहा कि यदि आप डीसेन्टेलाइजेशन चाहते हैं। तो पहला काम यह होना चाहिये, कि हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके जिसको अधिकार देना चाहते हैं उस पंचायत समिति का सरपंच या अध्यक्ष केवल पंचों द्वारा ही चुना हुआ नहीं होना चाहिये बल्कि सारे क्षेत्र में से

(श्री मूलचन्द डागा)

चुनाव से आया हुआ हो यानि सारी जनसंख्या के बहुमत के आधार पर चुना हुआ आदमी अध्यक्ष होना चाहिये । मैं एक बात मान चुका हूँ कि हम यह चाहते हैं कि डीसेन्ट्रेलाइजेशन हो । उनका यह कहना है कि जो कंट्री अनडेवलेप्ड है एज्युकेशन की दृष्टि से, ईकोनोमिक पोइन्ट ऑफ व्यू से । उसमें आप चाहते हैं कि एक छोटे से क्षेत्र में से आये हुए १०,१२ आदमियों में से अध्यक्ष चुन लिया जाय तो ठीक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकता आप ऐसा आदमी चाहते हैं जिसको एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियेन्स हो चुका हो । आपने ३,४ महीनों तक क्लासेज़ लीं और सरपंचों को ट्रेनिंग दी । लेकिन हम यह नहीं चाहते हैं कि आपकी इस प्रकार की ट्रेनिंग या भाषण हैं उनसे उनको इतना होशियार समझ चुकें कि अच्छी तरह से काम कर सकेंगे । इसलिये मैंने यह कहा कि एडेल्ट फ्रेन्चाईज के बेसिस पर चुनाव किया जाय तो कई टेलेन्टेड आदमी भी समितियों में आ सकते हैं और वहाँ आकर वे काम ठीक तरह से कर सकते हैं । एक क्षेत्र में ४० हजार की जनसंख्या होती है । उसमें से कई आदमी एडमिनिस्ट्रेशन या शासन में एक्सपीरियेन्स रखनेवाले मिल सकते हैं । आपकी जो १२ या १५ आदमियों की पंचायत बनी हुई है उसमें ऐसे आदमी मिलना नामुमकिन है । क्योंकि टेलेन्टेड आदमी यह नहीं चाहते हैं कि छोटी सी पंचायत में आवें । इसलिये मैं चाहता हूँ कि बड़े क्षेत्र में आप चुनाव कराइये । ४० हजार आदमियों में से जो शासन में अनुभव रखते हैं वे । खड़े होंगे और आयेंगी और उनके आने पर पंचायत समितियाँ ज्यादा शक्तिशाली हो सकेंगा, यही मेरा कहना था ।

दूसरी बात जो आपने रखी...

श्री मोहनलाल सुखाडिया : फिर आप शायद यह तो नहीं चाहेंगे कि वह आदमी उसी पंचायत क्षेत्र का रहनेवाला हो वही चुना जाय ?

श्री मूलचन्द डागा : इसमें यह संशोधन भी हो सकता है कि वह ब्लॉक में कहीं का रहनेवाला हो उस तहसील एरिया को विस्तृत करना चाहें तो ऐसा भी हो सकता है । जैसा कि आपने रखा है कि उसमें दो आदमी एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियेन्स रखनेवाले हों ; जब आप शासन में अनुभव रखनेवाले आदमी रखना चाहते हैं । तो यह स्कोप रखिये ताकि काबिल और योग्य आदमी आकर शासन करें अन्यथा आप जो चाहते हैं । वह मकसद पूरा नहीं होगा और आपके ब्लॉक डवेलेपमेन्ट ऑफिसर और तहसील अधिकारी उन पर छा जायेंगे और पंचायतें खाली साइनिंग मशीनरी रह जायेंगी । यह भी संभव है कि यह जो खतरा है अच्छे अधिकारियों के न होने से भ्रष्टाचार पैदा हो सकता है वह भी पूरा हो जाय । क्या आपने यह समझ कर रखा है कि दस्तखत करनेवाली मशीनरी ही रह जाय ?

दूसरी जो चीज मैं आपके सामने अभी रख रहा था कि जैसा आपने अभी रखा था कि ६ करोड़ रुपया गवर्नमेंट रिकवर नहीं कर सकी उसको राइट ऑफ करा । ऐसा कुछ रुपया था, पाली ज़िले का भी बताया । अब आपने जो रुपया रिकवर करने के लिए बताया, टैक्सेज कलेक्ट करने के लिए बताया, इसके लिए कौन सी मशीनरी के द्वारा इन

Page No.83

(श्री मूलचन्द डागा)

टैक्सेज को इकट्ठा किया जायेगा, पंचायत समितियों को कैसे अधिकार देते है कि टैक्सेशन इम्पोज करें ? आपने बतलाया है टैक्सेशन उसमें स्वतंत्रता दी गई है, कि जो हालत देखें वह टैक्सेशन लगायें। लेकिन इकट्ठा करने का साधन क्या बता रहे है ? कौन सी मशीनरी होगी ? यह मशीनरी क्या पंचायत समिति के अन्तर्गत नई सेट-अप की जायेगी, या जो आपके पास गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स हैं, वे इकट्ठा करेंगे। यह मेरे ख्याल से इस बिल से मालूम नहीं होता कि जो टैक्सेज आप इम्पोज़ कर रहे हैं उनको कलेक्ट करने का क्या तरीका होगा।

तीसरी बात रखी थी जो पंचायत समिति के लिए टैक्सेशन लगाने के लिए बता रहे हैं उनमें कुछ न कुछ तो यूनीवर्सल टैक्सेज बताते कि ये टैक्सेज हम लगाना चाहते हैं ? आपने इन सारी बातों को जो आमदनी के बारे में हैं। जिनके आधार पर पंचायत समिति चलती है स्पष्ट नहीं किया है।

इसके अलावा मैंने एक बात कही थी कि एम. एल. ए. के लिए आपने शायद ठीक नहीं समझा कि ब्लॉक में एम. एल. ए. नही जांय। एक तरफ आप चाहते हैं कि जन-सम्पर्क बढ़े। आप सम्पर्क कार्यालय खोलते है। आप चाहते हैं कि हम लोगों में जन सम्पर्क बढ़े। लेकिन जहाँ पंचायतें बैठती हों सारे ब्लॉक के पंच बैठते हों, वहाँ आप सुपीरियेरिटी कॉम्पलेक्स और इन्फीरियेरिटी कॉम्पलैक्स क्या लाना चाहता है ? यदि कोई एम. एल. ए. यह समझता है किसी क्षेत्र का कि मैं तो छोटे आदमियों से बहुत ऊँचा हूँ और मेरा स्तर बहुत ऊँचा है तो मेरी समझ में वह एम. एल. ए. है या नहीं है, इसमें भी सन्देह हो जाता है। उस क्षेत्र में बैठ कर जहाँ पंच इकट्ठे होते है, वहाँ वह एम. एल. ए. न हो जो असेम्बली में यह कहता है कि मेरे क्षेत्र में ये ये काम करवाने हैं, जो रातदिन संघर्ष करता है, लोगों से बातचीत करता है, उसके घर पं आते है, वह उनसे कहता है आपका क्या काम करना है, उसके लिए आप कहें कि आप अपनी मीटिंग में एम. एल. ए. को दूर रखें जो डवेलपमेंट कराना चाहता है ब्लॉक का, उस एम. एल. ए. को क्यों अलग करना चाहते है ? वह कौन सा ऐसा स्ट्रोंग रीजन है जिसके कारण जो एम. एल. ए. लाख जनता से चुन कर आया है, जो गाँव गाँव में वोट माँग चुका है, जो लोगों की मुसीबतों को समझता है, जो सारी बाते कर सकता है, उससे कहते हैं कि तुम अलग हो आओ? पंचायत समिति से आप एम. एल. ए. को अलग क्यों करना चाहते हैं, यह प्रश्न हमारे दिमाग में है ? जो सारे रीजन आपने दिये, उसमें यह नहीं कहा, दबकी जबान में दिया हो, किसी जबान में दिया हो, पर जब आप बोल रहे थे तो मालूम नहीं हुआ कि एम. एल. ए. को क्यों नहीं रखा गया....

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू): बदकिस्मती से कई एम. एल. ए. अपोजिशन पार्टी के हैं इसलिए।

(हँसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह हो सकेगा कैसे, अभी अल्प मत में हैं ?

श्री सभापति : एम. एल. ए. का सवाल तो जिला परिषद् में है।

श्री मूलचन्द डागा : जिला परिषद् बनती है, उसमें सवाल नहीं है। तो मेरा सुझाव है कि आप इस बात पर पुनः विचार करें। जहां जहां सदस्य हैं, उन सदस्यों को पंचायत समितियों में स्थान दिया जाय, वहां बैठ कर वे उन बातों को सुनें। यह अलग बात है कि वे अध्यक्ष न बनें, चुनाव न लड़ें लेकिन उनको प्रोसीडिंग्स ऑफ डे-टू-डे से अलग न रखा जाय। मेरी समझ में जैसा आप समझते हैं वह ठीक नहीं है।

तीसरी बात मैं कह रहा था, जैसा कि अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, बलवन्त राय कमेटी के साथ साथ चल रहे हैं, सीलिंग बिल चल रहा है, और पंचायत और जिला परिषद् बिल भी साथ में चल रहा है। दोनों बिल साथ साथ चल रहे हैं, इस बात को बड़े टेक्ट से रखा है।

(हँसी)

हम नहीं चाहते हैं कि हमारे यहां धनी-मानी सरपंच बनते रहें और उन क्षेत्रों में उन कार्यों को धनाढय को नहीं देना चाहिए, जो मोनोपोली जमाये रखें। हमें गरीब को ऊंचा लाना चाहिए। इसलिए बलवन्तराय मेहता ने यह बात कही थी और हमारे दिमाग में भी है कि पंचायत समिति में वे नुमाईन्दे न जाँय जो तख्त पर अभी तक बैठनेवाले हैं, जो खाट से उतरने की कोशिश नहीं करते हैं, जिनका साम्राज्य पैसे के आधार पर है। इसलिए सीलिंग बिल भी साथ चल रहा है और पंचायत समिति और जिला परिषद् बिल भी साथ चल रहा है। अगर सीलिंग में टुकड़े कर देते हैं जमीन के, आर्थिक असमानता मिटा देते हैं तो आपकी पंचायत समितियों में आगे जो पंच आनेवाले हैं वे ठीक भावना प्रस्तुत कर सकेंगे। नहीं तो पंचायतों में लगता है कि वे ही आर्थिक अवस्था से सम्पन्नशाली व्यक्ति पंचायतों में बैठेंगे...

श्री भैरोंसिंह : आपका मतलब है कि जब तक सीलिंग इम्पलीमेंट न हो, यह असमानता दूर न हो, तब तक डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन का स्टेप लिया जा रहा है, इसको पोस्टपोन कर दिया जाय?

श्री मूलचन्द डागा : मैं समझता हूं कि दोनों बिल साथ साथ चल रहे हैं। इसमें उम्मीद है आप सहयोग देंगे और सीलिंग के मामले में ज्यादा जमीन दिलाने की योजना है उसका डट कर विरोध करें जिससे स्टेन्डर्ड एकड़ में कम हो जाय और ऐफीशियेटली मेनेज्ड फार्म के नाम पर जो जमीन दी जा रही है वह न दी जाय ताकि आर्थिक असमानता मिट सके और सीलिंग बिल और पंचायत समिति और जिला परिषद् बिल साथ साथ चल सकें। बड़ा अच्छा प्रश्न है कि दोनों बिल साथ साथ चल रहे हैं। बलवन्तराय मेहता ने कहा है :

Caution is needed not so much in imposing the resonsibility of Panchayats but in making sure that each institution functions uninflenhed by any vested interest (than as many instances) what may be called the equalisation of the Panchayat such equalisation can only be prevented through effective imposition of ceiling of land holdings.

शायद पहले पहल आपने कहा था कि मेहता की रिपोर्ट में यह तो है कि आजकल

(श्री मूलचन्द डागा)

हमें मानव का मूल्य पैसे के आधार पर निर्धारित नहीं करना चाहिए क्योंकि हम आर्थिक ढांचा बदलना चाहते हैं। इसलिए उसको बदलने के लिए, मानव मानव का जो सम्बन्ध है, जो पैसे से निर्धारित होता है, उसको खत्म करना चाहिए। जब मानव का सम्बन्ध पैसे से खत्म हो जाता है तो उसके चरित्र, उसके त्याग के आधार पर मानव का मूल्य निर्धारित होगा और उसके साथ ही सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने में सफलीभूत हो सकेंगे। जब तक मानव का मूल्य पैसे से आँका जायेगा तब तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग अपनी सत्ता जमाये रखने में सफल होंगे और आगे आने वाला जमाना बतायेगा कि सीलिंग के मामले में, आर्थिक असमानता को मिटाने के मामले में अगर सख्ती से कदम नहीं उठाया तो वह जमाना दूर नहीं है, चाहे १० साल लग २० साल लग जांय, अगर हमने किसी भी तरह सत्ता का विकेन्द्रकरण नहीं किया और सत्ता फिर भी शक्तिशाली आदमियों के हाथ में रही और पल्लवित होती रही तो सत्ता उन गरीब और ईमानदार आदमियों के हाथ में पहुंचने की नहीं है। तो मैं यह चाहता हूं कि जो आप यह बिल ला रहे हैं उसके साथ सीलिंग का बिल चल रहा है। सभापति महोदय, सीलिंग बिल पारित हो जाता है या पंचायत सीमिति और जिला परिषद् में बिल पास हो जाता है, भगवान् जाने क्या है, दोनों बिल साथ साथ चल रहे हैं, एक की शुरुआत हो गई है, दूसरे की भी शुरुआत हो गई है, कौन सा बिल पारित पहले किया जाता है, उसका असर दूसरे पर क्या होगा, यह मैं नहीं कह सकता। तो मैं जिला परिषद् के बारे में कह रहा था कि जिला परिषद् में एम. एल. ए. को देना चाहते हैं, जिला परिषद् में कलेक्टर को लाना चाहते हैं कि वह वहां बैठा रहे परन्तु जिला परिषद् का काम क्या हैं, आपकी जिला परिषद् से क्या काम आप कराना चाहते हैं? आप जिला परिषद् को पंचायत समिति के काम की देखरेख के लिए रखना चाहते हैं। इसके अलावा और उसके क्या फंक्शन हैं, मुझे मालूम नहीं हुआ? क्या आपने कोई ऐसा फंक्शन निर्धारित किया है, जिससे हमारे गांव को कोई लाभ हो सकता है? मैं समझता हूँ नहीं। इसलिए जो आपकी यह बॉडी है, जिस जिला परिषद् को आप बनाना चाहते हैं उससे कोई लाभ किसी भी रूप में आपका उद्देश्य हैं, जो आपका ऑब्जेक्ट है, उसको नहीं हो सकता। एकमात्र लाभ यह होगा, आपका सेक्रेटरी है वह अधिकारी हो जायेगा और उसके बाद आपका खर्चा बढ़ेगा और जो आमदनी पंचायतों को टैक्सेशन से होगी उसके लिए जिला परिषद् कहेगी कि हमें भी कुछ दो, हम भी चाहते हैं। आपकी पंचायत समिति उसे बजट पेश करेगी और उसके लिए सरपंच दौड़ कर जायेंगे जिला परिषद् में। मैं समझता हूँ कि आप एक सुपरफ्लुऐस बॉडी खड़ी करना चाहते हैं। मेरी समझ में इसे खड़ी न होने दें और अभी पंचायत समितियां जहां हैं, उन्हें ही काम करने दिया जाय और फुलफ्लेज्ड काम सौंपना चाहें तो पंचायत समितियों को देना चाहिए जिला परिषदों को नहीं।

तीसरी बात यह है कि...

श्री भैरोंसिंह : आपका नम्बर गलत हो गया, छठी बात है यह शायद।

(हँसी)

(श्री मूलचन्द डागा)

अब यह बात है कि आपने जो पॉवर्स दिये हैं, आप देखिए बड़े चुन चुन कर ढंग से रखे हैं और इतनी खूबी है, यह जो बिल बनते हैं और बनने के बाद पारित हो जाते हैं, जैसा कि पहले बोलनेवाले माननीय सदस्य ने कहा था कि इसमें यहां कितना इन्ट्रेस्ट लेते हैं। आपका मकसद था कि आप २ अक्टूबर को कहेंगे या बाद में कहेंगे कि हम जनता में नयापन लाना चाहते हैं, जोश पैदा करना चाहते हैं पर मैंने आपसे प्रार्थना की कि आप कहते हैं कि ८२ पर्सेन्ट पोपुलेशन सारी गांवों के अन्दर है, गांवों में रहनेवाले, गांवों में काम करनेवाले लोग हैं, उन गांवों में लैंड रेवेन्यू को कम करने के सम्बन्ध में आपने इन पंचायत समितियों को क्या अधिकार दिये हैं? अगर मान लीजिये पंचायत समिति के पास उस गांव के लोगों की लैंड रेवेन्यू है उसमें खास खास परिस्थितियों में करने के अधिकार नहीं रहते हैं तो उसकी क्या वकत रहेगी, टिनेन्सी एक्ट की कुछ धाराएं जिनके अन्तर्गत लैंड रेवेन्यू को कुछ समय के लिये सस्पेन्ड आप कर सकते हैं, एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, टिनेन्सी एक्ट में आर्बीटिशन के पॉवर्स हैं वे आप इन पंचायत समितियों को क्या देना चाहते हैं? टिनेन्सी एक्ट में लैंड रेवेन्यू के पॉवर्स, सेटलमेंट के पावर्स आपने अपने हाथ में रख रखे हैं वे पॉवर्स आप इन पंचायत समितियों को क्यों नहीं देना चाहते? आप ब्लॉक डवेलपमेंट में एक ऐसा अफसर रखें जिसको इन सब बातों का ज्ञान हो तो आपके कई अधिकारियों, कर्मचारियों की कमी हो जायेगी। एक गांव के लिए लोग आपके पास आते हैं कि वहां लैंड रेवेन्यू ज्यादा है तो आप उनको कहते हैं कि यह काम हमारा नहीं है फलां डिपार्टमेंट के पास जाओ ..

३.४२ म० प०

(श्री आबिद अली, सभापति, पदासीन)

तो लैंड रेवेन्यू के जितने मामले हैं, जमीन के जितने मामले हैं, लैंड रेवेन्यू घटाने-बढ़ाने के जितने मामले हैं, एग्जेम्पशन देने के, सस्पेन्शन करने के मामलों में पंचायत समितियों को अधिकार दीजिये। सारे इलाकों का भाग्य निर्माण करने जा रही हैं पंचायत समिति और उनको आप यह अधिकार नहीं दे रहे हैं। एक जगह बाढ़ आ गई तो पंचायत समिति कहेगी कि हमारे हाथ में नहीं है लैंड रेवेन्यू माफ करना।

गांवों के काश्तकार आपसे तीन बात चाहते हैं, वे बीघोडी कम कराना चाहते हैं, आप कहते हैं कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा पर तुझे वकीलों की की मार्फत कचहरियों में जाना चाहिए बाकायदा फीस देकर। **एक कुआ** ढह गया और उस कुए के काश्तकार लैंड रेवेन्यू कम कराना चाहते हैं। पंचायत समिति के पास वे काश्तकार जायेंगे तो वह पंचायत समिति कहेगी कि हमें इस प्रकार के कोई अधिकार नहीं हैं। तो इन चीजों से, अधिकारों से आप ग्रामीणों को वंचित रखना चाहते हैं तो गांवों की जनता चौकन्नी हो जायेगी कि जहां अधिकारों का मामला है सरकार ने अपने हाथ में और अपने अधिकारियों के हाथ में रखा है और जहां टैक्स बढ़ाने का सवाल है वे अधिकार हमारे हाथ में दिये हैं।

(श्री मूलचन्द डागा)

रोजमर्रा के मामले पंचायत समितियों द्वारा तय कर दिये जायें तो सही माने में विकेन्द्रीकरण माना जा सकता है। मुख्य मंत्रीजी सोचेंगे कि रोजमर्रा काम में आने वाले लैंएड रेवेन्यू अधिकार इन पंचायत समितियों के दे दिये जायं नहीं तो लोग समझेंगे कि हमारे रोजमर्रा के काम में आने वाले कानूनों का भी पंचायत समितियों को अधिकार नहीं है। २७ में अमेंडमेंट किया है और उस पर भी टैक्सेशन लगाने की कोशिश की है। एक बात है कि टैक्सेशन के प्रोपोजल्स होंगे। हम कई बार राजस्थान में बैठ कर सोच सकते हैं कि उन डिविजन्स में ये कर लगा सकते हैं, कई लोगों पर हम टैक्स रखना चाहते हैं पर क्या यह जरूरी है कि पंचायत समिति जिस हालत में टैक्स रखेगी पब्लिक उन पर उसी हालत में विश्वास कर लेगी ?

लैंड रेवेन्यू ज्यादा कर दीजिये पर जो छोटी-छोटी पंचायतें हैं जिन्होंने टैक्स लगा रखें हैं, खरड़ा, लाग और घर पर टैक्स लगा रखे हैं, सैकड़ों रुपया जमा कराते हैं अब पंचायत समितियां और टैक्स लगायेंगी तो क्या इतना टैक्स ग्रामीण बर्दाश्त कर सकेंगे ? क्योंकि पहले से ही पंचायतों ने जरूरी जरूरी टैक्स लगा रखे हैं और उन टैक्सेज को पंचायतें वसूल करती हैं और अब आप कहते हैं कि पंचायत समिति कायम कर रहे हैं वे और टैक्स लगायेंगी, आपकी यह पॉलिसी समझ में नहीं आई। या तो आप अपनी पंचायतों को कह दीजिये कि ये टैक्स बन्द करें नहीं तो यह नई योजना लेकर आप जो कामयाबी हासिल करने जा रहे हैं उसमें सफलीभूत नहीं हो सकते। अब जो अभी इसमें आपने अधिकार दिये हैं वे बड़े लम्बे चौड़े हैं। मैंने उनको पढ़ा नहीं है। मगर राजस्व मंत्री और उप-राजस्व मंत्री दोनों यहां पर बैठे हैं वे बतावेंगे। उन्होंने कहीं पर भी यह नहीं सोचा कि लैंड के सम्बन्ध में भी पंचायत समिति को अधिकार दिये जावें। आपने एज्युकेशन, प्राईमरी स्कूल्स आदि के सम्बन्ध में अधिकार दिये हैं। आप उनको सारे खेलकूद व नाटकों के अधिकार दे दें उससे कोइ होने वाला नहीं। आप उन्हें एज्युकेशन, हैल्थ, आदि के अधिकार दे दें लेकिन जहां तक आप शासन करने का अधिकार नहीं देते कुछ नहीं दिया है। आपने वह अधिकार कहां दिया है ? आपने फोरेस्ट और दूसरे विभाग के अधिकार उनको दे दिए हैं मगर अपने कहीं भी लैंएड रेवेन्यू, टिनेन्सी एक्ट, एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स, पटवारी आदि के सम्बन्ध में कोई अधिकार नहीं दिये हैं। इससे तो यह बिल्कुल साफ है कि हमारे माननीय राजस्व मंत्री ने अभी तक यह समझा है कि अभी हमारी पंचायतों को लैएड रेवेन्यू के अधिकार नहीं देने चाहिये क्योंकि वे अभी तक इस योग्य नहीं हैं और उन्होंने उनको योग्य नहीं समझा कि उनको ये पॉवर्स दे दिये जावें। हमारे सारे धरती के लाभ और कानून अगर पंचायतें समिति के पास नहीं हैं तो फिर उनको आपने क्या दिया ? धरती के लालों के पास धरती के कानून नहीं और फिर आप इसको विकेन्द्रीकरण कहते हैं। धरती के कानून का अधिकार धरती के लालों के पास न होकर नौकरशाही के हाथ में हो, यह कहाँ तक वाजिब हैं ? हमें इस बात के लिए मुबारिक हो कि वे लोग धर्मशालाओं को देख सकते हैं, स्कूलों को देख सकते हैं मगर हम चाहें कि यहां के हेडमास्टर को हटा दिया जावे तो उस

Page No.88

(श्री मूलचन्द डागा)

हैडमास्टर को हटाने का हमको अधिकार नहीं है। वे कहते हैं कि ठहरो, ठहरो' यह बात मेरे दिमाग में थी जो आपके सामने रखी है।

इसके अलावा आपने कलेक्टर के अधिकारों को सर्वोपरि रखा है। आप यह चाहते हैं कि कोई भी वहां पर एल० एल० ए० आये या कोई एम० पी० आ जावे और अपनी राय दे मगर उससे बढ़ कर कलेक्टर की राय होगी। यह एक बड़ी आश्चर्य की बात है। भला कौन व्यक्ति यह चाहेगा कि वह उस जिला परिषद् का चेयरमैन बने? अगर वह एम.पी.या एम.एल.ए. है और वह कोई सजेशन देता है तो कलेक्टर की मर्जी पर है कि वह उसको माने या न माने। कलेक्टर कह देता है कि नो, ऐसा नहीं होगा। ऐसी जिला परिषदों में वेही लोग आवेंगे जो कलेक्टर की मेहरबानी पर जीएंगे। आपका सेक्रेट्री होगा वह काम कर लेगा। समझ में नहीं आता कि आखिर इससे आप चाहते क्या हैं? हमारे काम को आप जब चाहें सस्पेन्ड कर सकते हैं, तो हमें यह पसन्द नहीं। इसलिए जब आप सेक्रेट्री मुकर्रर करते हैं तो "The State Government shall appoint a secretary for each Zila Parishad.

Every Secretary shall be a member of state service or a person holding a post under the State Government and shall be liable to transfer by the State Government. यानी यह सत्ता का विकेन्द्रीकरण है। सभापति महोदय, मैं इसको पढ़ रहा हूँ। एक जिला परिषद् का सैक्रेट्री है वह कहता है कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है।

३. ५३ प० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सेक्रेट्री का भाग्य निर्णायक अध्यक्ष नहीं है। यह सत्ता का विकेन्द्रीकरण है। The State Government shall appoint a Secretary for each Zila Parishad, and Secretary shall be a member of the State service or a person holding a post under the State Government and shall be liable to transfer by the State Government. हम कहते हैं कि हमारी सेक्रेट्री जिला परिषद् का हमारे पीछे बैठा है मगर वह तुम्हारे अधिकार में नहीं है। मेरे ख्याल से आप भी मानेंगे कि आपके मंत्री महोदय हों अगर आपके सेक्रेट्री आपके अधिकार में नहीं हों तो आपको बड़ी मुश्किल काम करने में आवेगी। आगे आप कहते हैं: "In special cases on a resolution of a Zila Parishad to that effect passed by the majority of three fourth of the total number of such Zila Parishad." अब आपने इस नये विधान में लिखते लिखते यहां तक लिख दिया हैं कि हम यहाँ पर बहुमत के आधार को नहीं मानते हैं आप यह मानते हैं कि एक रसोइया है। अगर वह १०० मन से ५० रोटी खराब सेक दे तो नाकाबिल रसोइया नहीं होगा। आप यह कहते हैं कि जब ७५ आदमी कह दें तो हम उसको अनफिट करेंगे। यह तीन चौथाई आपने कैसे रखा है? अगर बहुमत यह कह दे कि यह कसूर नौकरशाही का है, यह कंची

Page No.89

(श्री मूलचन्द डागा)

कुर्सी पर बैठना चाहता है, काम टीक तरह से नहीं करता है मगर उसको भी हम हटा नहीं सकते । जिला परिषद् के अध्यक्ष को अपने सेक्रेट्री को जो अच्छा काम नहीं करता है हटाने का अधिकार नहीं है । यह आपका क्लॉज ४५ है जिसमें आपने लिखा है : "The State Government shall appoint a Secretary for each Zila Parishad...

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Daga I think we are going too minute to the details of the clauses.

श्री मूलचन्द डागा : मैं तो विकेन्द्रीकरण के संबन्ध में ही निवेदन कर रहा हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : यह है तो विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत ...

श्री मूलचन्दडागा : मैं यह बताना चाहता हूं कि सत्ता कैसे सौंपी जा रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : इस बिल को सदन जब क्लॉज बाई क्लॉज डील करेगा उस समय चलेंगे ।

श्री मूलचन्द डागा : हमारा फर्ज है कि जब लोहा गर्म है उस पर चोट करते जावें । होना न होना हमारे हाथ में नहीं है । हमारा कर्तव्य है उसको करते रहें ।

श्री उपाध्यक्ष : आप मौके को खोना नहीं चाहते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने तो यह उदाहरण दिया है ।

अभी मैंने बताया कि इस बिल का क्लॉज २६ है उसके लिए बलवन्तराय कमेटी ने यह रखा है कि ४० प्रतिशत लैण्ड रेवेन्यू से ज्यादा दी जावे । उसमें आपने यह लिखा है: Income and expenditure of the Panchayet Samiti तो यह भी जिस रिपोर्ट पर आपने आपको आधारित करते हैं वह उसके खिलाफ है । हम चाहते हैं कि ४० प्रतिशत लैण्ड वेन्यू की इन्कम दी जावे न कि २५ नये पैसे । इसके अलावा A share of the land revenue calculated at the rate of 25 n. p. per head of the population of the Block. जब आपने पंचायत समिति में जो अपना स्टाफ रख छोड़ा है वह इतना लंबा-चौड़ा है मेरी समझ में जो ब्लॉक में खर्च होता है वह उन्हीं समितियों में खत्म हो जावेगा । इसका असली मकसद तो नौकरशाही को कम करने और दूसरे खर्चों को कम करने को जनता की भावनाओं की कद्र करके डेमोक्रेसी लाना है । लेकिन आपने इसमें जो स्टाफ रखा है उस पर जो खर्च होगा वह आमदनी से ज्यादा होगा और जो बजट आगे आवेगा उसमें यह बात आवेगी । तो मैंने आपके सामने ये बातें रखी हैं उसका एक ही मकसद वह है कि जनमत में , जनता में सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं तो उनको कुछ अधिकार दें । हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु कहते हैं कि रेड-टेपिजम के कारण हमारी योजनाएं कागजों में ही सीमित रह जाती हैं और आगे नहीं बढ़तीं । मैं समझता हूं जिला परिषदों में जो योजनाएं जावेंगी वे दफ्तरों में कई दिनों तक पड़ी रहेंगी । जब नेहरूजी ने बार बार प्लानिंग कमिशन की रिपोर्ट पर कह दिया कि जो योजनाएं सन् '४५ के बाद बनीं और आप यह कहते रहे कि अधिक अन्न उपजाओ में

(श्री मूलचन्द डागा)

हम आगे बढ़ते हैं मगर वह योजना कागजों में रही। उसी तरह वेही योजनाएं जिला परिषद् में जाकर खत्म न हो जावें। इसलिए जिला परिषद् का उपयोग बावजूद इस बिल के होते हुए भी इस बिल में नहीं है, उसको नहीं रखना चाहिए और इसके अलावा यहां के चीफ सेक्रेट्री ने जो (उन्होंने) किताब निकाली है 'नई रोकथाम की ओर'। मैं उनके संदेश को नहीं कहना चाहता लेकिन मैं तो यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी जो अच्छी भाषा लिखी है वह बात आपके बिल में नहीं है। अगर आप किसी चीज को लिखना चाहें तो.... ..

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Daga, would it be desirable to comment on the 'Bhashan' of the Chief Secretary? Whether it will be worth while to comment over his speech delivered outside?

श्री मूलचन्द डागा : मैं समझता हूं कि मैं इस पर न जाऊं तो ठीक है लेकिन उन्होंने एक जगह सेन्टेंस कहा है विकेन्द्री-करण का मतलब यह समझता है।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो उनकी समझ है। अपनी समझ पर ही आश्रित रहें तो अच्छा है...

श्री मूलचन्द डागा : एस. के. डे. ने जो सेन्टेन्स कहा है उसमें यह लिखा है।

एक माननीय सदस्य : Substitute 'Minister' for 'Secretary'.

श्री उपाध्यक्ष : That amendment s already been introduced.

श्री मूलचन्द डागा : जो शताब्दियों से हावी रहे हैं जनता पर, जनता के पक्ष में अधिकारों से वंचित हो गए हैं अथवा कर दिए गए हैं वे जब तक जनता का गैब छा न जाय तब तक अधिकारों से वंचित नहीं होनी चाहते हैं। एस. के. डे. ने यह लिखा है कि अधिकारों पर हाथ दे रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : एस. के. डे. हिन्दी नहीं जानते हैं। इधर-उधर हो गया होगा। शब्दों पर न लीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : सार्वजनिक संपर्क कार्यालय ने बताया है कि हम चाहते हैं कि अधिकारी वर्ग है, उसे अधिकारों से वंचित कर दें। जनता के सेवक बन गये, 'May I help you' जैसा कि पुलिस स्टेशन्स पर लिखा रहता है, यह नया तरीका यहां भी हो रहा है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि अधिकारियों की जो अधिकारों की भावना है वह इस बिल से खत्म नहीं होगी। यदि बिल को पढ़ें तो किसी अधिकारी को अधिकारों से कम कर दिया हो यह हमें कहीं नहीं मालूम होता। मैं फिर कह देता हूं जो कि मैं अर्ज कर चुका हूं कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण न होकर काम जिनके पास था उनका विकेन्द्री-करण कर दिया गया है। उनका भार हम पर आकर पड़ा है। टैक्स हम लगाएं, काम हम लें, इसको हमें संशोधन करना पड़ेगा। मुख्य मंत्री महोदय इस पर सोचेंगे। जनता जनार्दन में यदि विश्वास करते हैं तो कि कुछ अधिकार जो केन्द्रीकरण किए हुए हैं उनको खत्म करके जनता में ३० पर्सेन्ट भी दे दें तो हम कहेंगे कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ है अन्यथा सत्ता का तो केन्द्रीकरण कर बैठे हैं और खामख्वाह कहते हैं कि विकेन्द्री-करण कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, देश की आजादी के बाद राष्ट्र के बहुमुखी विकास के लिए पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई गई। इस योजना के अन्तर्गत Self-Help एवं जन सत योग के माध्यम से विकास के कार्य किये गये। लेकिन उनमें उतनी सफलता नहीं मिली, जितनी की अपेक्षा की जाती थी। क्योंकि पहले की योजनाएँ देश और प्रान्त के स्तर पर बनी थीं, नीचे के लोगों की इच्छायें जानी नहीं गई थीं पर उनको पूरा करने का जिम्मा उनके कन्धों पर था इसलिए नीचे के तबके में उत्साह नहीं था और इसलिए उस सीमा तक सफलता नहीं मिली जितनी कि मिलनी चाहिए थी। इसलिए गांवों के स्तर पर विकास योजनाएं बनाई जाँय और वे पंचायतों द्वारा पूरी की जांय, ये विचार द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाते वक्त प्लानिंग कमीशन ने व्यक्त किये। इसके लिए बलवन्तराय मेहता कमेटी नियुक्त की गई। उसने सब पहलुओं पर अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट पेश की कि प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण लोकतान्त्रिक तरीकों पर विकास के कामों के संबंध में किया जाय। इस रिपोर्ट की रोशनी में राजस्थान सरकार ने राजस्थान पंचायत समिति व जिला परिषद् विधेयक, १६५६ प्रस्तुत किया। उस पर सलेक्ट कमेटी ने काफी गम्भीरतापूर्वक विचार कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जो कि सदन मे विचाराधीन है। जो योजना राजस्थान सरकार ने रखी है वह निश्चय ही प्रगतिशील, साहसपूर्ण एवं प्रेरणास्पद है। निश्चय ही यह बात सराहनीय है कि सारे हिन्दुस्तान में इस योजना को राजस्थान ने ही पहली बार २ अक्टूबर से सारे राजस्थान में लागू करने का ऐलान किया है। केवल जल्दी शुरू करने का ऐलान ही सराहनीय नहीं हो सकता है। जब कि इस बिल के प्रोविजन्स प्रगतिशील एवं प्रेरणास्पद न हों।

बलवन्तराय मेहता कमेटी ने अपने अध्ययन के दौरान में अनुभव किया था कि हिन्दुस्तान में शिक्षा की कमी है तथा जिला म्यूनिसिपेलिटीज़ और ग्राम पंचायतों के अब तक के जो अनुभव हैं वे भी ठीक नहीं हैं इसीलिए उन्होंने बहुत सोच-विचार के बाद यह सिफारिश की है कि जो पंचायत समितियाँ और जिला परिषदें बनाई जाँय उनके चेयरमैन कुछ समय के लिए एस. डी ओज़ या कलेक्टर्स हैं। पंचायत समितियों के चेयरमैन एस. डी. ओज़ और जिला परिषदों के चेयरमैन कलेक्टर्स रहें। राजस्थान सरकार इससे आगे बढ़ी है। उन्होंने इसकी जड़ में अशिक्षा का कारण नहीं माना है, उन्होंने तो इसकी जड़ में पहले की नाकामयाबियों को कारण माना है और इस चीज को माना है कि यदि हम किसी एजेन्सी से पूरी कामयाबी की उम्मीद करते हैं तो हमें उसे पूरे अधिकार देने चाहियें। अब तक जो अधिकार दिए गए थे वे हॉल्टिंग वे में दिए गए थे, रुक रुक कर दिए गए थे। इन्टरफियरेंस सरकारी मशीनरी का बहुत था और साधन भी इतने उपलब्ध नहीं किये गए, चाहे आर्थिक साधन हो या दूसरी तरह के जितने कि उपलब्ध करने चाहिये थे और इस तरह से लोकल बॉडीज में काम करने वालों ने यह अनुभव नहीं किया कि वे उन कार्यों को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभायें और न पूरी जिम्मेदारी से वे निभाते थे क्योंकि

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

उस सम्बन्ध में उनको प्रेरणा नहीं दी गई थी। राजस्थान सरकार ने यह समझा कि चाहे पहला एक्सपेरिमेंट सफल हो या न हो, भूले हों उनके आधार पर सीखना है। जितनी सुविधायें दी जा सकती हैं चाहे वे आर्थिक हों या दूसरी तरह की वे पूरी सुविधायें उनको दी जांय। जिम्मेदारी उनके खुद के कन्धों पर डाली जाय, स्वतन्त्रता दी जाय जिम्मेदारी निभाने में और गलती करें तो बाद में सुधारी जा सकती है। इस विश्वास के साथ जनता की केपेसिटी और योग्यता के ऊपर आधारित होकर बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के आगे एक कदम उठाया कि इनमें सरकारी अधिकारियों को चेयरमैन नहीं रखेंगे बल्कि उनमें जो जनता के प्रतिनिधि जावेंगे वे चुन कर ही प्रमुख या प्रधान रखेंगे। यह कदम निश्चय ही साहसपूर्ण है और निश्चय ही प्रेरणास्पद है।

इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ कि जो राजस्थान सरकार ने इस बिल में रखी हैं वे या तो बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशें होंगी या ऐसी हैं जिनको किसी सरकार ने अपने बिल में या रिपोर्ट में नहीं अपनाया है। दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि आज डेमोक्रेसी का युग है और हर फैसला बहुमत पर होता है और बहुमत के फैसले के आधार पर ही सब काम होते हैं। यदि विकास के कार्यों में बहुमत के फैसले को रिलेक्स कर दिया जाय तो अच्छा होता है। मिसाल के तौर पर ग्राम स्तर के ऐसे काम होते हैं जिनमें ५१ आदमियों का बहुमत एक तरफ होता है और ४६ आदमियों का अल्पमत एक तरफ होता है। तो वहां बहुमत का फैसला कार्यान्वित किया जाता है जब कि इस फैसले की माईनोरिटी की इच्छाओं की ओर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक हो जाता है कि जहां ५१ और ४६ की संख्या है। इसलिए युनॉनिमस डिसिजन की मंजिल पर धीरे धीरे पहुँचने के लिए पहला कदम यह उठाया है कि इन कार्यों के लिए ऐसी प्रणाली अपनायें कि जिससे विकास के कार्य २।३ के फैसले पर पूरा करें। संख्या में वे आईटम्स थोड़े हैं लेकिन वे इस बात के जरूर द्योतक हैं कि आगे चल कर उस स्थिति पर पहुँच सकते हैं कि दूसरे आईटम्स भी उनमें शामिल कर लिये जांय। जो मुख्य आइटम्स रखे गये हैं वे हैं :

1. Construction of tanks, wells and ponds to supply water for drinking, bathing and washing purposes.

2. Construction of Public Laterins.

3. Construction of Public streets.

4. Construction of new buildings.

यह निश्चय है कि हम इस प्रणाली और पद्धति से उस मंजिल तक धीरे धीरे पहुँच सकते हैं जब कि हम विकास के कार्यों को एकमत होकर कर सकते हैं।

किसी माननीय सदस्य ने यह भी मत व्यक्त किया कि इस तरह की पद्धति और प्रणाली से कभी कोई विकास का कार्य नहीं हो सकेगा। इस प्रकार की शंका की जाती है सिर्फ २।३ बहुमत से जो कार्य किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकेगा। थोड़े दिनों तक इसमें कुछ दिक्कत हो सकती है लेकिन कुछ समय

Page No.93

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

बाद इस प्रकार की दिक्कतें हट जायेंगी। एक कुँआ या तालाब जहाँ बनाना आवश्यक है जहाँ दो–तिहाई मत नहीं बन सकता वहाँ मजबूर होकर दो–तिहाई मत बनायेंगे और इसके लिए स्थान के लिए भी राजी हो जायेंगे और इस प्रकार वह कार्य हो जावेगा।

श्री पी० के० चौधरी, (फुलेरा) : Will it increase the pace of development or retard it ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : It will create atmosphere for unanimous decisions. इस तरह से यूनानिमस डिसीजन की तरफ जो बिल में कदम उठाया गया है वह सराहनीय है।

एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि जिला परिषदें केवल दिखावटी बॉडी हैं। जिनके पास न कोई धंधा है और न कोई साधन। कैसे ज़िला परिषद् के क्या क्या कार्य होंगे वे सारे महत्वपूर्ण कार्य इस बिल में बतलाये गये हैं...

श्री पी० के० चौधरी: The Hon'ble Member is giving his own opinion or he is replying on behalf of the Government. ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Pardon ?

श्री उपाध्यक्ष : There is nothing to worry. You will continue your debate.

श्री रामप्रसाद लड्ढा लेकिन प्रान्त की प्रगति एवं विकास में तत्परता और शीघ्रता लाने का काम भी जिला परिषदों पर छोड़ा गया है। वह यह कि हर जिले की जो पंचवर्षीय योजना है प्लान्स के जो टार्गेट्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रोग्राम, प्रोडेक्शन प्रोग्राम, कन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम, एम्पलोयमेंट प्रोग्राम, इन प्रोग्राम्स के लिए किन किन जिलों में क्या क्या टार्गेट्स हैं और वे पूरे हुए या नहीं, नहीं हुए तो किस कारण से नहीं हुए ? इस तरह की सारी चर्चा करना ज़िला परिषदों का काम होगा। जिला परिषदें साल में दो बार या इससे भी अधिक बार मिल सकती हैं और जो प्रोग्राम्स हैं, उन पर विचार कर सकती हैं। जिले में जो टार्गेट्स फिक्स हुए वे पूरे नहीं हुए इसका कारण क्या है व इसके सम्बन्ध में उचित सुझाव सरकार को दे सकती हैं। निश्चय ही इस काम से हम यह आशा कर सकते हैं कि जो हमारा प्लानिंग का वर्क है उसमें तत्परता और शीघ्रता आयेगी। आज हम देखते हैं कि टार्गेट्स समय पर पूरे नहीं होते। कभी उनका रिव्यू नहीं होता, उनकी चर्चा नहीं होती और संबन्धित अधिकारियों के नोटिस में नहीं आती। इसलिए ज़िला परिषदों में जिले की योजनाओं की स्थिति के बारे में चर्चा होगी। उससे कार्य में सुचारुता और तत्परता आयेगी, ऐसी हमारी मान्यता है और प्लानिंग टार्गेट्स भी समय पर अचीव कर पायेंगे।

हमारी सारी योजनायें फेल हो जाती हैं, विकास के जितने भी फंक्शन्स हैं। वे अधूरे रह जाते हैं यदि सर्विस क्लास का पूरा सहयोग प्राप्त न हो तो। इसीलिए यह आवश्यक है कि सर्विस क्लास का पूर्ण सहयोग मिले और वह तभी मिल सकता है जब कि उनकी नौकरी की सुरक्षा हो, उसमें स्थायित्व हो, उनको अकारण ही कोई अपनी मर्जी से जब चाहें तब निकाल न दे। समिति और परिषद् भी अपनी इच्छा से उनको निकाल नहीं

Page No.94

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

सकेगी। इस प्रकार की स्टेबिलिटी सिक्योरिटी का आश्वासन उनको होगा। इससे क्या होगा कि उनका पूरा सहयोग विकास के कार्यों में मिल सकेगा। इस बात को अनुभव करते हुए यह निश्चय किया गया कि राजस्थान केवल पर पंचायत सबोर्डिनेट सर्विस कमीशन की नियुक्ति की जाय। उसमें एक ऑफिशियल एक नॉन-ऑफिशियल सदस्य होगा व ज़िले का प्रमुख भी उसका तीसरा मेम्बर होगा जो अपने अपने ज़िले के लिए सलेक्शन करेगा। उसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि डिसीप्लीनेरी ऐक्शन कौन लेगा और किस तरह से लेगा। बिना एक्सप्लेनेशन के किसी को बर्खास्त नहीं कर सकेंगे। उनकी पोस्ट पेन्शनेबल होगी। अगर वे चाहेंगे तो गवर्नमेंट सर्विस में भी आ सकते हैं और पंचायतों के अन्दर उनकी सर्विस होगी वह गवर्नमेंट सर्विस में जोड़ दी जायेगी। जितने भी आईटम्स सर्विस क्लास को सिक्योर बनाने के हो सकते हैं उन सब का प्रावधान इसमें किया गया है। ऐसा कानून बनाने के पीछे सरकार का यह मकसद है कि सर्विस क्लास का फुल को-ऑपरेशन विकास के कामों में मिले।

एक बात और है वह यह कि पंचायत समितियां बिना फंड के अपनी योजनाओं को कार्यान्वयन नहीं कर सकतीं और उसके बिना उसमें सफल भी नहीं हो सकतीं। अब तक यह देखने में आया है कि लोकल बॉडीज के फेल होने का मुख्य कारण यह रहा है कि उनके पास फंड बिल्कुल नहीं था। इस बिल में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है कि उनकी आर्थिक अवस्था में सुधार हो। एडीशन ग्रान्ट्स हैं और जो सबजेक्ट ट्रान्सफर होंगे उनके अमाउन्ट्स जो पंचायतों को दिये जाने वाले हैं। वे तो दिये ही जायेंगे पर उसके अलावा २५ नये पैसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से सरकारी लैण्ड रेवेन्यू में से हिस्से के तौर पर और रकम समितियों को दी जावेगी। एन्टरटेनमेन्ट टैक्स की आमदनी भी उनको मिलेगी। आज तक इसकी आमदनी सरकार लेती थी। अब इस बिल के पास हो जाने के बाद आमदनी पंचायत समितियों की होगी।

कई माननीय सदस्यों ने यह भी राय व्यक्त की कि २५ नये पैसे के बजाय लैण्ड रेवेन्यू का २५ पर्सेन्ट या २० पर्सेन्ट समितियों को दी जाय क्योंकि इसी प्रकार की सिफारिश बलवन्तराय मेहता कमेटी रिपोर्ट में है। सिफारिश तो जरूर इस बात की है कि लैण्ड रेवेन्यू की ४० प्रतिशत नेट लैण्ड रेवेन्यू मदद के रूप में समितियों को जाय। नेट लैण्ड रेवेन्यू का मतलब है उसके कलेक्शन में और प्रशासन में जो खर्चा होता है सारा काटने के बाद नेट इन्कम रहे उसका ४० प्रतिशत। लेकिन हमारे यहां हर पंचायत समिति या तहसीलों की आमदनी बराबर नहीं होती व नेट लैण्ड रेवेन्यू निकालना भी मुश्किल है। इन सब दृष्टियों से यह एक प्रकार से अनुपयुक्त मालूम होता है, ४० प्रतिशत का सुझाव प्रेक्टिकल नहीं है। २५ नये पैसे प्रतिवर्ष प्रति जन जो रखा गया है वह ठीक है जिससे हर पंचायत समिति को १५, २० हजार रुपया सालाना की रकम अपने कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए मिल जायेगी।

अब मैं कुछ वे मुद्दे सदन के सामने रखना चाहूँगा जो सलेक्ट कमेटी ने कन्सीडर किये, पास किये और सलेक्ट कमेटी की

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

रिपोर्ट में मौजूद हैं। बिल जो सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के साथ सदन में पेश हुआ है उसके अन्दर उसकी मन्शा बिल्कुल उल्टी कर दी गई है या उसको व्यक्त ही नहीं किया गया है। उनका बतलाया जाना इसलिये आवश्यक है कि बिल के प्रोविजन्स सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट से इन-कान्सीटेन्ट है।

पहला जैसा कि आपको मालूम है हर पंचायत समिति में एक कृषि-निपुण होगा और कृषि-निपुण को डिक्लेअर करेंगी जिला परिषदें। इसकी अवधि एक साल की होगी उसके बाद भी एक साल की अवधि और बढ़ाई जा सकती है। सलेक्ट कमेटी ने यह अवधि बढ़ाने का अधिकार जिला परिषदों को दिया है

और उसकी रिपोर्ट में भी यह मौजूद है। लेकिन इस बिल के ड्राफ्ट के अन्दर अभी वह अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को ही दे रखा बताया है। जो कि सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के विरुद्ध है। इसी तरह से सलेक्ट कमेटी ने यह फैसला किया था कि पंचायत समितियां और एस्टेब्लिशमेन्ट कमेटी या दूसरी स्टैंडिंग कमेटी और ज़िला परिषद् जो पहले के प्रावधान के मुताबिक ३१ मार्च, १६५६ से पहले बनाई थी। उनकी मियाद ३१ मार्च, १६६१ तक रखी थी। लेकिन सलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में तो ३१ जनवरी, १६६१ कर दी। लेकिन सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के विरुद्ध इस बिल के अन्दर जहाँ इनकी धारायें आती हैं। वहाँ पर अभी भी वही डेट ३१ मार्च, १६५६ रखी है। सम्बन्धित धाराएँ S. 16 (ii) Proviso एवं S. 38 (i) proviss......

श्री श्रीभानसिंह, (बयाना) : Point of information Sir, One thing is not clear. Does the Hon'ble Member mean that the Bill as presented to the House does not embody the recommendations of the Select Committee?

श्री पी० के० चौधरी : It raises a question of privilege Sir, when a member says that certain thing which was decided in the Select Committee has not been incorporated in the Bill.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : The report of the Committee is also appended with the Bill. By comparing the report with the Bill, we can easily see that there are inconcistencies between the two.

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझा नहीं कि सलेक्ट कमेटी ने फैसला किया उसको बिल में इनकॉरपोरेट नहीं किया?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Yes Sir.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : What are those omissions?

श्री उपाध्यक्ष : You mean the decisions of the Select Committee are not embodied in the Bill?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Yes Sir. They are embodied in the report but not in the Bill.

श्री उपाध्यक्ष : That is but natural. They are taken in the report.

Page No.96

श्री रामप्रसाद लड्ढा : No Sir. Everything else has been embodied in the Bill, except these four points which I am mentioning.

श्री उपाध्यक्ष : That means it is an improvement over the Bill.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Not improvement over the Bill, but something omitted in the Bill.

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि रिपोर्ट में जिस प्रका का उल्लेख है उसके माफिक बिल में सुधार नहीं हुए ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Yes Sir. And it is not a question of mistake only, because there are many fundamental things. It is not a clerical mistake but something which is fundamental,

श्री दामोदरलाल व्यास : When the Bill was taken clause by clause for consideration by the Select Committee, dose the hon'ble Member mean that certain clauses which were decided by the Committee have not been embodied

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I will illustrate it. For example, in the Select Committee we decided that the extention in the term of 'Krishi-Nipun' by one year should be done by the Zila parishad and not by the State Government. But in the Bill, as it has bean given to us, it has been provided that the period will be extended by the State Government.

श्री उपाध्यक्ष : It means that it is an omission made by our Secretariat.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I don't know who made this omission. I don't know whether it is Draftsman or Secretariat.

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : I think it is the Secretariat.

श्री उपाध्यक्ष : You mean there are four omissions ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Only four in number

सेक्शन १० सब-सेक्शन २ (सी) के प्रोवीजों में जिला परिषद् को कृषिनिपुण को एक साल तक की मियाद बढ़ाने का अधिकार सलेक्ट कमेटी ने दिया था। लेकिन इस बिल में वह अधिकार अभी तक स्टेट गवर्नमेन्ट को ही रखा गया है। दूसरा सेक्शन २७ power to impose taxes and raise funds. है। सेक्शन २७ के सब-क्लॉज २ के (i) और (ii) में दो तरह के टैक्सेज़ मूल बिल में बताये थे

(i) a tax on trades, callings and professions;

(ii) a tax on industries,

ये दो क्लॉज (१) और (२) थे। सलेक्ट समेटी ने यह रिपोर्ट दी कि दोनों ब्रेकेटेड हो जायें और उनकी भाषा यह हो "

on such trades, callings, professions

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

and industries as may be prescribed." लेकिन आज इस समय जो बिल हमारे सामने हैं उसके अन्दर इन दोनों टैक्सों को उड़ा ही दिया है। वह टैक्स कायम रखने का फैसला और दोनों को एक पेराग्राफ करने का फैसला सलेक्ट कमेटी ने किया। लेकिन जब हम बिल को देखते हैं तो ब्रेकेट इस तरह से लगा कि यह टैक्स हमने लगाना तय ही नहीं किया जब कि यह तय किया था कि ये टैक्स लगाये जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : This is clause 27 ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: Yes sir. तीसरे यह है कि जैसे सेक्शन १६ सब-क्लॉज (११) और सेक्शन ३८ सब-क्लॉज (१) प्रोविजो। इन दोनों में पंचायत समिति की स्टैंडिंग कमेटी और जिला परिषद् की टर्म के बारे में जिक्र है वहां ३१ जनवरी, १६६१ तय किया था लेकिन इन दोनों क्लॉजेज में ३१ मार्च, १६६१ ही रखा गया है।

श्री श्रीभानसिंह : If there is a serious omission in the Bill and recommendations of the Select Committee have not been included in the Bill, then discussion in the House is futile because we are discussing the Bill as amended by the Select Committee, while the present Bill does not embody the decisions of the Select Committee.

श्री मोतीलाल चौधरी : The report is there. The report is also a part of the Bill.

श्री उपाध्यक्ष : I can not treat this as clerical mistake. These are serious omissions.

श्री मोतीलाल चौधरी : It may be the fault of the Secretariat, Sir.

श्री पी० के० चौधरी : We are not concerned whether it is mistake by the Secretariat or anybody else. It is written on the Bill "As amended by the Select Committee" and therefore it is supposed to contain recommendations of the Select Committee.

श्री उपाध्यक्ष : I would be enlightening the House on these omissions. Till then Mr. Laddha will continue.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसी तरह से सेक्शन ६ सब-सेक्शन (६) है....

श्री श्रीभानसिंह : We cannot proceed with the discussion now if there are substantial discrepancies between the Bill as it is and the recommendations of Select Committee.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जैसा कि आपको मालूम है कि पंचायत समितियों में दो आदमी ऐसे को-ऑप्ट करने का अधिकार दिया है कि जिनको एडमिनिस्ट्रेशन का या रूरल डवेलपमेन्ट या पब्लिक लाइफ का एक्सपीरियन्स हो जिससे कि पंचायत समिति को बेनीफिट पहुंचे। सलेक्ट कमेटी ने यह तय किया था कि पब्लिक हैल्थ जो वर्डमूल बिल के क्लॉज ६ के सब-क्लॉज २ (६) में है और इसी तरह से सेक्शन ३५ के सब-क्लॉज (४) (ई) में है वहां पब्लिक हैल्थ के बजाय

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

पब्लिक लाइफ कर दिया जाये और इस डिसीजन के मुताबिक सेक्शन ३५ से सब-सेक्सन (४) (ई) में तो पब्लिक लाइफ कर दिया लेकिन सेक्शन ६ के सब-सेक्शन २ (६) में पब्लिक हैल्थ ही रखा गया है, वहां पब्लिक लाइफ नहीं किया गया है। इसके अलावा सेक्शन ५२ और ५४ में भी सलेक्ट कमेटी के निर्णय के प्रतिकूल प्रोविजन्स हैं जिनके मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा और मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई हैं उनके अनुकूल अमेन्डेड बिलों में प्रावधान नहीं किये गये हैं जो सर्वथा अवांछनीय है और जो रिपोर्ट व बिल की Sonctity पर असर डालते हैं तथा बिल की चर्चा में बाधक बनते हैं।

इसके बाद एक दो बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं। बलवन्त राय मेहता कमेटी ने...

श्री श्रीभानसिंह : But we can not proceed with the discussion now if there are substantial discrepancies.

श्री पी० के० चौधरी : Let us adjourn, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Let us not adjourn let us clarify the position first.

श्री श्रीभानसिंह : There is no question of clarification The Hon'ble Member has satisfied the House.

श्री उपाध्यक्ष : But I must satisfy myself whether at all there are omissions.

श्री श्रीभानसिंह : The decisions of the Committee are there in the report itself.

श्री उपाध्यक्ष : I must ascertain from the proceedings at the same time.

श्री श्रीभानसिंह : Your Honour can only ascertain what is printed in the Bill.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : The recommendations are there in the report.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : There is one clause 12. The Committee has recommended that it has been re-drafted, but in the Bill it is not re-drafted. And because this recommendation has not been incorporated in the Bill We can not proceed with the discussion.

श्री उपाध्यक्ष : I would like to have the clarification from the Treasury Benches.

श्री मोतीलाल : It is very clear from the report, Sir. Take the example of clause 10, Sub-clause (2). In the report it says:—

"The Committee while considering this provision are of the feeling that it would be more appropriate if the Zila Parishad which declared 'Krishi Nipun' was also authorised to extend his terms of office as a member."

Page No.99

(श्री मोतीलाल)

The sub-clause has, there fore been amended accordingly".

But the only difference between this and in the Bill is that in the Bill it is provided 'State Government' instead of 'Zila Parishad'. So this can be corrected now. Instead of the 'State Government' we can make it 'Zila Parishad'. It is done by a mistake of the Secretariat.

श्री उपाध्यक्ष : So in the Bill it stands as it was, and the recommendation of the Select Committee has not been given effect to?

श्री पी० के० चौधरी : Yes, Sir. The Select Committee decided that it should be extended by the 'Zila Parishad' but in the Bill as amended by the Select Committee, it says that the term will be extended by the 'State Government.'

श्री दामोदरलाल व्यास :(राजस्व मंत्री) उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि कुछ डिसीजन्सऐ से लिए गये सलेक्ट कमेटी के द्वारा जिनको कि जनरल चेनल में बिना किसी बात के बिल में इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए था वे नहीं किये गये। मगर जो डिसीजन्स लिये गये हैं वे कमेटी की रिपोर्ट के अन्दर हैं सब चेयरमैन, कमेटी ने जितने डिसीजन्स लिये हैं जिनके ऊपर जो रिपोर्ट तैयार हुई है वह बिल्कुल सही है और उनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार बिल रीड्राफ्ट करना चाहिए था वह किया गया है मगर एक्सीडेन्टली कुछ ओमीशन्स रह गये हैं. The decisions are there in the report of the Select Committee and the Bill ought to have been amended, but certain Sections are not amended. This is accidental omission which can be corrected by issuing a Corrigendum to the Bill. There is nothing unconstitutional because the report is there and all that the Secretariat had to do was to amend the Bill in light of this report. Certain mistakes have been made in the Bill and we can issue a Corrigendum.

श्री श्रीमानसिंह : Mr. Deputy Speaker, Sir, I disagree with what the Hon'ble Minister has said. We are not discussing here the report of the Select Committee, but this House is going to pass the Bill as amended by the Select Committee, and when that Bill does not incorporate the decisions of the Select Committee then what are we discussing and what are we passing? Is this House discussing the report of the Select Committee or the Bill as amended by the Select Committee; and if the Bill as amended by the Select Committee is improper, then I would suggest that House should not proceed with the discussion unless it is amended inaccordance with the wishes of the Select Committee.

श्री मोतीलाल : This is what I suggest that a Corrigendum can be issued by the Secretariat even now incorporating the omissions. There is

(श्री मोतीलाल)

no difference between my version and the version of the Hon. Member. I also submit that there should be a Corrigendum. I would again refer to the Rules 224 and 225.

श्री श्रीभानसिंह : Has the Hon'ble member read the rule before quoting it ?

श्री मोतीलाल : The rule is very clear :— "224. Presentation of Report.- The report of the Select Committee on a bill together with the minutes of dissent, if any, shall be presented to the House by the Chairman or in his absence by any member of the Committee."

श्री श्रीभानसिंह : What does it mean, Sir ? The objection that I have made, how is it affected ?

श्री मोतीलाल : The publication of the report is a matter for the Secretariat. And the report as well as the minutes of dissent both are the Report of the Select Commitee and are part and parcel of the Bill.

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : इसका किससे कनेक्शन है, साहब ?

(हंसी)

श्री मोतीलाल चौधरी : We are discussing the Bill after it is reported on by the Select Committee and not the Original Bill.

श्री उपाध्यक्ष : What are we considering ? Whether the Bill or the report ?

श्री मोतीलाल : The Bill with the report.

श्री उपाध्यक्ष : That means the Bill is the important point under consideration.

श्री मोतीलाल : No doubt. But it is not the duty of the Minister-in-charge but of the Legislative Secretary to cause every report of a Select Committee to be printed and made available for the use of every member of the House. Rule 225 is very clear about it. "225. Printing and Publication of Reports.— The Secretary shall cause every Report of a Select Committee to be printed..." So it is the duty of the Secretariat.

श्री उपाध्यक्ष : The position is whether the Hon'ble Members are handicapped in the deliberations or not. ? If the things are of a serious type, then that is a different question.

मोतीलाल चौधरी : They are not of a serious type.

श्री दामोदरलाल व्यास : We should issue a Corrigendum. That will set the matters right.

श्री अनूपसिंह : करेक्ट करके दूसरा बिल बना कर भेजें तो ठीक रहेगा।

श्री मोतीलाल : Sir, I will refer you to Rule 225 in which the last sentence says:—

"The Report and the Bill as reported by the Select Committee shall be published in the Gazette"

श्री उपाध्यक्ष : I think we are not handicapped because we have got the report of the Select Committee and we can proceed with the deliberations in the light of the report.

श्री पी० के० चौधरी : - No Sir, we are handicapped. There are substantial amendments which have not been included in the Bill. I think we should not create a bad precedent of discussing a Bill which does not contain the recommendations of the Select Committee.

श्री उपाध्यक्ष : I would like to place before the House Rule 70 which will help the House in coming to a decision:—

"70. Scope of Debate on Report of Select Committee. The debate on a motion that the Bill as reported by the Select Committee of the House be taken into consideration shall be confined to consideration of the Report of the Committee and the matters referred to in that Report or any alternative suggestions consistent with the principle of the Bill."

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : In this particular case, Sir, the Rule 225 will have to be read not with Rule 70 but with Rule 69 which says:—

"(1) After the presentation of the final Report of a Select Committee of the House on a Bill, the member-in-charge may move:—

(a) that the Bill as reported by the Select Committee of the House be taken into consideration."

So the Bill as reported by the Select Committee is under consideration of the House and not the report of the Select Committee. Then sub-rule (b) says:—

"(b) that the Bill as reported by the Select Committee of the House be re-committed to the same Select Committee or to new Committee."

So this question arises only when the Bill as amended by the Select Committee comes before the House. The Hon'ble Member from Phulera has moved that the Bill, as amended by the Select Committee, be recommitted to the same Select committee.

The Rule 69 makes it clear that the Bill as reported by the Select Committee shall be considered by the House. So this objection stands and we can not proceed.

श्री श्रीभानसिंह : I only want to add this much that as the Bill as amended by the Select Committee is not before the House, then we can not proceed further.

श्री उपाध्यक्ष : The only question is whether the deliberations are over the Report of the Select Committee ? The second issue which has been raised by Shri Satish Chandra Agarwal is that there is a motion about referring the Bill as amended by the Select Committee to the same Committee, it does create any problem before me.

श्री श्रीभानसिंह : Your Honour, the words to be considered and the attention to be paid is to " The Bill as reported by the Select Committee" If this is not the Bill as reported by the Select Committee then the House is not competent to discus this Bill.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर): It is not necessary that the Bill may be re-drafted.

श्री पी० के० चौधरी : Hon'ble Deputy Speaker, Sir, my motion is that the " Rajasthan Panchayat Samities and Zila Parishads Bill, 1959, as reported by the Select Committee, be recommitted to the same Select Committee", which means that the Bill as reported. So naturally I will have to move the motion again, because this is not the Bill as reported by the Select Committee.

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : The main thing is the 'Bill as reported by the Select Commitee' and not the report of the Select Commiee.

श्री उपाध्यक्ष : I am satisfied so far as the issue itself is concerned and I feel that as the clauses in the Bill are inconsistent with the report of the Select Committee and I also feel that the omissions, as suggested by the Hon'ble Member, appear to be serious omissions. I, therefore, think that without proper amendment of the Bill, the deliberations of the House will be handicapped. It is, therefore, desirable that the House be adjourned till corrections are made in the Bill.

Accordingly, we adjourn to meet to-morrow at 11 A. M.

[तदुपरान्त सदन की कार्यवाही ४.४५ बजे बृहस्पतिवार दिनांक २०.८.५९ को प्रात: ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई]

———

संक्षिप्त–विवरण

(बुधवार, १९ अगस्त, ५९)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

नगरपालिका चाकसू द्वारा राजकीय हाई स्कूल, चाकसू में कमरे बनवाना।

बांडी नाटी को तोड़ना।

भाखरा क्षेत्र में भूमिहीनों को भूमि का अलॉटमेन्ट।

अनुसूचित जाति के पंचों का मनोनयन, तहसील नोखा।

बीकानेर वेटरनरी कॉलेज।

ग्राम नीमड़ी कोटरिया और नीमडी कलां के लिए अलग अलग पंचायतें, डेगाना।

ई. एस. आई. लिमिटेड रामगंज मंडी में सुरंग लगाते समय दुर्घटना।

श्री रामस्वरूप सरपंच गुढ़ा के विरुद्ध आरोप।

राजकीय अनाज के व्यापार की योजना।

जिला जयपुर में शफाखाने।

पाली तहसील में लघु सिंचाई योजनायें।

कोटा भाटापाड़ा के कोलीपाड़े में नल लगाना।

शाहपुरा–कोटपुतली रूट पर तार कोल डालना।

सरकारी डाक्टरों द्वारा ड्यूटी आवर्स में बीमारों को देखने के लिए उनके मकानों पर जाना।

सहकारिता का प्रसार।

पंचायतों का पुनर्निर्माण तथा उनका क्षेत्र।

ग्राम गामड़ी में अरनोद पुलिस द्वारा अफीम की बरामदगी।

जिला बोर्ड के इन्सपेक्टर द्वारा सरकारी भवन को कब्जे में रखना।

बांसवाड़ा में शासकीय कर्मचारियों को वेतन-वृद्धि नहीं दिया जाना।

पंचायत विदरखा (लालसोट) का हिस्सों में बांटा जाना

जैसलमेर में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण।

ग्राम पंचायतों द्वारा सांड रखने की व्यवस्था को अनिवार्य करना।

जिला जैसलमेर में चोरियां व लूट के मामले।

जैसलमेर जिले के चिकित्सालयों का बजट ।

आयुर्वेद विभाग में पदवृद्धि के नियम।

बारलूथ से आगे सिरोही–बागरा सड़क का निर्माण।

डिस्पेन्सरियों तथा आयुर्वेदिक औषधालयों का खोलना ।

अनाद्रा एड पोस्ट का डिस्पेन्सरी में परिवर्तन।

कार्य सलाहकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता के प्रस्ताव पर कार्य सलाहकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन सदन द्वारा स्वीकार किया गया

विधायी कार्य

राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, १९५८

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, १९५८ को विचारार्थ लिये जाने के प्रस्ताव पर १२ से १४ अगस्त, १९५९ तक की गई बहस का उत्तर आज श्री दामोदर-लाल व्यास, राजस्व मन्त्री, द्वारा दिया गया । राजस्व मन्त्री के उत्तर के पश्चात् श्री श्रीमान-सिंह ने विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का प्रस्ताव वापिस ले लिया तथा विधेयक को विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९५९

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री के इस प्रस्ताव पर कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, सर्वश्री पी. के. चौधरी व मूलचन्द डागा ने इस आशय के प्रस्ताव रखे कि विधेयक को उसी प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय । श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री ने भी इस आशय का प्रस्ताव रखा कि विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय ।

गुरुवार दिनांक २० अगस्त, १९५९ की कार्य-सूची

१. राजस्थान पंचायत समिति व जिला परिषद् विधेयक, ५९

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २१० का उत्तर देखिये)

Schedule of fecs to be charged by the Medical Officers of Rajasthan Government in the case of the case of their private practice.

	Day 6 A. M. to 8. P. M.	Night 8. P. M. to 6 A. M.
1. Specialists in the grade of Rs. 500-1000/-	Rs. 15/-	Rs. 20/-
2. D. M. & H. O. or Junior specilists in the grade of Rs. 400-800/-	Rs. 10/-	Rs. 15/-
3. Civil Asstt. Surgeon Class I.	Rs. 5/-	Rs. 7/-
4. Civil Asstt. Surgeon Class II.	Rs. 3/-	Rs. 5/-

(a) When the time taken by the doctor for examination etc. is upto 3 hours.	Fees as above would be applicalbe within Municipal limits or where no municipal limits within a radius of 5 miles. From 5 to 10 miles radius above the fees would be 1½ times of the above.
(b) When time taken ranges from 3 to 6 hours.	Three times the rates above.
(c) When time taken is from 6 to 12 hours	Five times the rates above.
(d) When time taken is more than 12 hours,.	As mutually agreed upon.

3. Conveyance charges would be in addition the prescribed fees and the following rates will be charged if conveyance is not provided by the patients :—

(a) Upto 5 miles radius— Rs. 1/- both ways.
Rs. 2/- ,, ,,
at taxi rates.

4. Rajasthan Govt. servants and their families will have 50% concessions. Arrangements for their convayance or charge will be in full as laid down in proceeding Note.

"Family" includes Govt. servant's wife (husband in case of a weman Govt. servant) Sons, parents, minor brothers, unmarried sisters or daughter, widowed sisters or Daughters-in-law if wholly dependent on the Govt. servant.

5. Central Govt. servants will be governed by the rules laid down by the Govt. of India.

परिशिष्ट २

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २०६ का उत्तर देखिए]

List Of Medical Institutions In Jaipur District

S.N. No.	Name	Class	No. of be
1.	S.M.S. Hospital, Jaipur	Class I Hospital	65
2.	Zenana Hospital, Jaipur	Class II „	165
3.	K. G. V. T. B. Sanitorium, Jaipur	Class III „	120
4.	Mental Hospital, Jaipur	Class II „	180
5.	L & I Hospital, Jaipur	Class III „	66
6.	Leper Asylum, Jaipur	Class III „	40
7.	Mayo Dispensary, Jaipur	Class II Disp.	—
8.	Purani Basti Dispensary, Jaipur	do	—
9.	Sereh Deorhi Dispensary, Jaipur	do	—
10.	Sardar Patel Road, Dispensary, Jaipur	do	—
11.	Gandhinagar Dispensary, Jaipur	do	—
12.	Moti Katla Dispensary, Jaipur	do	—
13.	Amber Dispensary, Jaipur	do	2
14.	Bairath Dispensary	do	4
15.	Bandikui Dispensary	do	4
16.	Bassi Dispensary	Class III Disp.	—
17.	Bhianslane Dispensary	do	—
18.	Chaksu Dispensary	Class II Disp.	3
19.	Chomu Dispensary	do	4
20.	Dausa Dispensary	do	6
21.	Goner Dispensary	Class III Disp.	—

1	2	3	4
22.	Jemwa Ramgarh Dispensary	Class II Disp.	1
23.	Lalsot Dispensary	do	4
24.	Mozmabad Dispensary	do	4
25.	Naraina Dispensary	do	4
26.	Paota Dispensary	Class I Disp.	12
27.	Phulers Dispensary	Class II Disp.	—
28.	Saipura Dispensary	Class III Disp.	—
29.	Shahpura Dispensary	do	—
30.	Sambhar Hospital	do	30
31.	Samode Dispensary	Class II Disp.	4
32.	Sanganer Dispensary	do	2
33.	Sikrai Dispensary	Class III Disp.	—
34.	Kaledera Dispensary	do	—
35.	Victoria Hospital, Kothputli	Class I Dis-	6
36.	Zenana Hospital, Kotputli	Class III Hosp.	20
37.	Jobner Dispensary	do	—
	Primary Health Centres		
1.	Baswa	P. H. C.	6
2.	Phagi	do	6
3.	Amarsar	do	6
4.	Bassi	do	—
5.	Kishangarah Renwal	do	6
	M. C. W. Centres		
1.	Ramganj, Jaipur	M. C. W. C.	18
2.	Chaura Rasta, Jaipur	do	9
3.	Kamani, Jaipur	do	6

1	2	3	S
4. Sambhar Lake		M.C.W.C.	6
5. Samode		do	
6. Naraina		do	
7. Dausa		do	

Family Planning Centres

1. Dausa		F. P. C.	
2. At Zenana Hospital, Jaipur		do	
3. At Kamani M. C. W. Centre, Jaipur		do	
4. Baswa		P. F. C.	
5 Amarsar		do	

T. B. Clinic

1. T. B. Clinic at S. M. S. Hospital, Jaipur		T. B. Clinic	

परिशिष्ट ३

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २११ का उत्तर देखिये]

सहकारिता के प्रसार के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का संक्षिप्त विवरण

(१) सदस्यता में वृद्धि—

राजस्थान राज्य में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष तक कुल ग्रामीण परिवारों में से १५ प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को सहकारी क्षेत्र में लाना था किन्तु राष्ट्रीय विकास परिषद् के ८-९ नवम्बर, १९५८ के संकल्प एवं देश की सहकारिता सम्बन्धी नीति के परिणाम-स्वरूप अब २७ प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को सहकारिता के क्षेत्र में लाना है। यह लक्ष्य आधा आधा करके २ वर्ष में पूर्ण कर लेने का निश्चय किया है। अतः १ लाख ७५ हजार नये सदस्यों में से आधी नई कृषि सहकारी समितियों का गठन करके और आधी पुरानी समितियों के सदस्य बढ़ा कर पूरा करने का विचार है।

(२) ऋण प्रणाली में परिवर्तन—

सदस्य संख्या के साथ ऋण देने की प्रचलित प्रणाली में भी आधारभूत संशोधन किया जा रहा है। अब तक सदस्यों को ऋण उनकी हैसियत के अनुसार दिया जाता रहा है। लेकिन भविष्य में सदस्यों को ऋण उनकी उत्पादन योजना अनुसार दिया जावेगा। इस प्रणाली के अपनाने से वे गरीब किसान जो समुचित हैसियत न होने के कारण आवश्यकतानुसार ऋण प्राप्त नहीं कर सकते थे वे अब अपने उत्पादन की जरूरत के मुताबिक ऋण प्राप्त कर सकेंगे तथा भूमिहीन व्यक्ति भी उत्पादन की योजना की पूर्ति हेतु ऋण प्राप्त कर सकेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ४ करोड़ रुपया अल्प कालीन ऋण और २ करोड़ रुपया के अध्य कालीन ऋण के लक्ष्य को परिवर्तित कर अगले दो वर्षों में १०-११ करोड़ रुपये तक उधार लेने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिये लक्ष्य अनुसार दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में एक भूमिबंधक बैंक और १६ केन्द्रीय सहकारी बैंक गठित किये जा चुके हैं।

(३) क्रय-विक्रय समितियों का गठन एवं आधार व्यवस्था—

कृषक को अपने परिश्रम का पूरा फल उपलब्ध हो सके इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सहकारी हाट बाजारी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में कुल ५५ हाट बाजारी समितियां बनानी थीं जिनके लक्ष्य में अब वृद्धि कर दी गई है तथा १९५९-६० के अन्त तक ही ६३ हाट बाजारी समितियां गठित की जावेंगी।

हाट बाजारी समितियों के लिए आगार व्यवस्था की जा रही है। १८ गोदामों का निर्माण हो चुका है। १९५९-६० में ३८ गोदाम बनाने की व्यवस्था की गई है। जिनमें प्रत्येक में ५ हजार मन तक माल संग्रह किया जा सकेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र में जो गोदाम

और बनाने की व्यवस्था की गई है जिनमें हरेक में ७५.० मन माल रखा जा सकेगा। इस प्रकार बड़े सहकारी समितियों के स्वतन्त्र बने हुये गोदाम व इन गोदामों में लगभग ६ लाख मन माल रखने की व्यवस्था हो जायेगी।

इन सबके अतिरिक्त केन्द्रीय आगार निगम द्वारा राजस्थान में दो आगार बनेंगे जिनमें प्रत्येक में २० हजार टन से अधिक माल रखा जा सकेगा। राजस्थान आगार निगम द्वारा भी २० आगार बनेंगे जिनमें कुल मिलाकर ३६ लाख ३२ हजार ५ मन वैज्ञानिक रीति से संग्रहीत किया जा सकेगा।

(४) मार्केट समितियों के लिये ऋण व्यवस्था—

क्रय विक्रय समितियों को उनके द्वारा क्रय किये गये हिस्सा राशि के आधार पर ऋण मिल सकेगा और इसके अलावा सहकारी बैंक एवं स्टेट बैंक आफ इन्डिया से संग्रहीत माल के आधार पर भी ऋण मिल सकेगा। इस व्यवस्था के फलस्वरूप किसान को माल बेचे बिना ही उसकी आवश्यकतानुसार रुपया क्रय-विक्रय समिति से उपलब्ध हो सकेगा।

(५) सहकारी प्रसार के लक्ष्य १९५९-६०—

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य में सहकारिता में व्यापार प्रसार की दृष्टि में रख कर १९५९-६० के लिए एक सहकारी विकास कार्यक्रम बना लिया गया है जिसको पूरा करने में लगभग ७० लाख रुपया व्यय होगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अंग इस प्रकार हैं:—

१. नई ग्राम समितियों का गठन——१७८५
२. मौजूदा कृषि समिति का पुर्नगठन——१५००
३. सुपरवाइजरी यूनियन का गठन——६०
४. संयुक्त सहकारी समितियों का प्रयोग रूप में गठन——११०
५. सहकारी हाट बाजार समितियों के लिये गोदाम निर्माण——३७
६. प्राईमरी भूमिबन्धक बैंकों की स्थापना——१०
७. छोटी सहकारी समितियों के गोदाम निर्माण——१००
८. नई हाट बाजार समितियों का गठन——२९
९. जिला सहकारी संघों की स्थापना——१४
१०. सीलिंग से प्राप्त भूमि एवं राज्य अन्य सरकार द्वारा दी गई भूमि पर सहकारी समितियों का गठन।

(६) सहकारी परिशिक्षण—

सहकारिता के व्यापक प्रसार के लिए समितियों के कर्मचारी एवं पदाधिकारियों का प्रशिक्षण आवश्यक है। जिसकी समुचित व्यवस्था की गई है तथा यह कार्य राजस्थान राज्य सहकारी संघ द्वारा कराया जा रहा है। यह कार्यक्रम सभी जिलों में चालू किया जावेगा और इस वर्ष १०४० पदाधिकारी; ५२०० कार्य समिति के सदस्य और २६००० साधारण सदस्यों को परिशिक्षित किया जावे।

(७) अनुदान—

नवीन समितियों को अनुदान देकर उनकी कायक्षमता का विस्तार किया जा रहा है।

(८) विभागीय विस्तार—

सहकारिता के प्रसार के लिए विभागीय स्टाफ में वृद्धि आवश्यक है। १९५९–६० में गत वर्ष के विभागीय व्यय १२ लाख ८६ हजार के मुकाबले में २३ लाख ४६ हजार रुपये स्वीकृत कराया गया है। इस प्रकार २२ जिलों में सहायक रजिस्ट्रार नियुक्त हो जावेंगे। सहायक निरीक्षक कार्यकारी व निरीक्षक आडिट की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप प्रत्येक तहसील में सहकारी विभाग का स्टाफ नियुक्त हो जावेगा। इससे सहकारिता प्रसार स्वाभाविक रूप में होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद् के संकल्प के अनुसार बढ़े हुये कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार से धनराशि उपलब्ध होने पर की जावेगी।

(९) राष्ट्रीय विकास परिषद् के संकल्प के अनुसार सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जावेगा जो गांव के सामूहिक हितों की पूर्ति के लिये अपनी सभी प्रकार की सेवाएं सम्पन्न करेंगी जिसके फलस्वरूप इन समितियों का कार्यक्षेत्र कृषिक वर्ग तक ही सीमित न रह कर प्रत्येक व्यक्ति तक होगा। ग्राम सहकारी समितियां शिक्षा एवं समाज कल्याण के अन्य कार्य भी हाथ में लेगी। जिससे गांव वालों में समूचे गांव समुदाय को एक आर्थिक इकाई रूप में समझने की चेतना उदय होगी।

(१०) सहकारी साहित्य का प्रकाशन—

सहकारी साहित्य के प्रकाशन की विकास योजना तैयार करली गई है जिसके फलस्वरूप सहकारी सिद्धान्तों एवं विचारधाराओं का व्यापक प्रचार के साथ साथ सहकारिता का भी व्यापक प्रचार होगा।

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण मंगलवार, दिनांक १६ अगस्त, १६५६)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
११७५	१४	द्वारा	द्वारा
११८२	अन्तिम से ३	क्वालिपिकेशन	क्वालिफिकेशन
११८७	१३	मेरे	भरे
११८६	८	श्री उपाध्य	श्री उपाध्याय
११८६	१२	श्री बीद्रप्रसाद गुप्ता	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
११८६	अन्तिम से २	fnialise	finalise
११६२	अन्तिम से २	has exrcised	has exercised
११६४	शीर्ष	(श्री पी० के० चौधरी)	(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
११६४	अन्तिम से ५	सराकर	सरकार
११६४	अन्तिम से ४	सरकार	विलोपित कीजिये
१२०६	१६	वीरिष्ठता	वरिष्ठता
१२०६	१८	गोग्यता	योग्यता
१२१०	१०	Kaln	Kalan
१२११	७	M·nlster	Minister
१२११	१३	Goveraınent	Government
१२१४	१०	सहकारित	सहकारिता
१२१७	७	श्री नाथराम मिर्धा	श्री नाथूराम मिर्धा
१२२४	अन्तिम से २	Pubic	Public
१२२६	४	Parţicular	Particular

१	२	३	४
१२२६	१३	Reply has been	Reply has been given
१२२७	१	It was no so	It was not so
१२२७	३	recieved	received
१२२८	अन्तिम से ११	स्टेटिक्स	स्टेटिस्टिक्स
१२३८	१८	Standar	Standard
१२४२	१३	डाइटेक्टिव	डाइरेक्टिव
१२५०	अन्तिम से १२	Criter	Criteria
१२५२	शीर्ष	रजस्थान	राजस्थान
१२५२	२	Departnent	Department
१२५२	अन्तिम से १२-१३	प्रेस्काइव्ड	प्रेसक्राइब
१२५३	१३	factories	factries
१२५३	२१	likeily	likely
१२५५	अन्तिम से १२	सीर्घा	सीधा
१२५७	,, ,, १२	एक्स्क्लयूड	एक्सक्लूड
१२५६	११	connot	cannot
१२५६	१२	be this soler a3on	be the sole reason
१२६१	अन्तिम से ६	एग्यूजेम्प्सन	एग्जेम्पशन
१२६२	३	एक्जिजसीटंग	एकिजरिंटग
१२६३	अन्तिम से ६	with draw	withdraw
१२७३	१५	जलना	चलना

१	२	३	४
१२७८	३	भूरी	पूरी
१२८५	अन्तिम से १२	no	on
१२८६	प्रथमतः	(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)	(श्री पी० के० चौधरी)
१२८६	अन्तिम से ७	earn	learn
१२६४	अन्तिम से १०	Sacrosant	Sacrosanct
१२६६	प्रथम	(पी० के० चौधरी)	(श्री पी० के० चौधरी)
१२६८	८	dy	by
१३०३	७	but it delegation	but its delegation
१३१०	अन्तिम से १०	Freedomto	Freedom to
१३१२	२०	उनकी	उनको
१३१३	३ तथा १४	सुवर्णों	सवर्णों
१३१४	अन्तिम से ७	सुवर्ण	सवर्ण
१३१५	,, ,, ६	वे मन्त्री	मंत्री
१३१८	४	जागीरदरों	जागीरदारों
१३२६	१७	नोकरशाही	नौकरशाही
१३२६	२३	नोकर	नौकर
१३३३	१६	अन्न में इस	अन्न मैं इस
१३३४	७	puite	quite
१३३४	६	विकेन्द्रीकर	विकेन्द्रीकरण
१३३४	२०	कोटा	कोट

१	२	३	४
१३३४	२४	रहेंजे	रहेंगे
१३३५	७	जेमोके टिक	डेमोक्रेटिक
१३३६	११—१२	एडमिनिंस्टेशन	एडमिनिस्ट्रेशन
१३३६	७	प	पंत
१३४१	१५	ऐफीशियेटली	एफीशियेन्टली
१३४१	अन्तिम से ६	uninjlenhed	uninjluenced
१३४१	अन्तिम से ६	धरीती	धरती
१३४९	अन्तिम से ११	zis	zila
१३५०	अन्तिम से १०	यह समझता है	यह समझता हूं
१३५२	अन्तिम	s	has
१३५२	२२	मान	माना
१३५७	२०	Lalerins	Latrines
१३५८	अन्तिम से ३	लेकिन प्रांत की	श्री रामप्रसाद लड्ढा : लेकिन प्रान्त की
१३६०	७	उसथे	उसमें
१३६२	अन्तिम	proviss	proviso
१३६४	११	प्रका	प्रकार
१३६४	अन्तिम	bean	been
१३६५	७—८	Droftsmen or Secretariat	Draftsman of Secretariat
१३६५	अन्तिम से ३	सनेटी	कमेटी
१३६५	,, ,, ,,	दोगों ब्रेकेटेड	दोनों ब्रेकेटेड

१	२	३	४
१३६८	१६	Sonctity	Sanctity
१३७१	१०	Konmitee	Committee
१३७५	११	Commiee	Committee
१३८१	८	Specilists	Specialists
१३८२	अन्तिम से २	Convayance	Conveyance
१३८७	८	लक्ष	लक्ष्य
१३८९	२०	अश्य	अल्प